द्वितीय माला, खण्ड १४—अंक ३८

३ अप्रैल, १९५८ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fourth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १४ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

26 LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १४--अंक ३१ से ४० --२५ मार्च से ७ अप्रैल १९५८)

अंक ३१--मंगलवार, २५ मार्च, १९५८ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ११८४ से ११९०, ११९२, ११९५, १२०० से १२०६, १२०८ से १२११ और १२१४ — ३०८१–३१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११९१, ११९३, ११९४, ११९६ से ११९९, १२०७, १२१२ और १२१३ . . — ३१०६–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६२४ से १६६० — ३११०–२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . — ३१२३–२४

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . — ३१२४

प्रश्न के उत्तरों का स्पष्टीकरण — ३१२५

अनुदानों की मांगें—

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय . — ३१२५–७३

दैनिक संक्षेपिका . . . . — ३१७४–७७

अंक ३२--बुधवार, २६ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या १२१५, १२१७, १२१८, १२२०, १२२२ और १२२४ से १२३५ . . . . — ३१७९–३२०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . — ३२०३–०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२१६, १३१९, १२२१, १२२३ और १२३६ से १२४२ . . . . . — ३२०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६१ से १७१४ . . . — २०९–३४

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२३४–३६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	
अठारहवां प्रतिवेदन	३२३७
अनुदानों की मांगें	३२३७–७६
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय . . .	७२३७–४५
परिवहन तथा संचार मंत्रालय . .	३२४५–७६
दैनिक संक्षेपिका . . .	३२७७–८१

अंक ३३—गुरुवार, २७ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १२४३ से १२४७, १२४९ से १२५३, १२५५ १२५७ से १२५९, १२६१ और १२६२ . .	३२८३–३३०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४८, १२५४, १२५६, १२६०, १२६३ से १२७७ और १२७९ से १२८२ . .	३३०७–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १७१५ से १७६४ .	३३१६–३७

स्थगन प्रस्ताव

(१) रायचूर रेलवे स्टेशन पर गोली काण्ड . . .	३३३७–३८
(२) आसाम–पाकिस्तान सीमा पर युद्ध-विराम करार का उल्लंघन .	३३३८–३९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३३३९
अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	३३३९
२४–३–५९ को हुई डकोटा विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य .	३३४०–४१

अनुदानों की मांगें—

परिवहन तथा संचार मंत्रालय	३३४१–९९

कार्य मंत्रणा समिति

बाईसवां प्रतिवेदन	३३९९
दैनिक संक्षेपिका	३४००–०३

अंक ३४—शुक्रवार, २८ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १२८३ से १२८६, १२८८, १२९० से १२९२, १२९४, १२९६ से १२९८, १३१५, १२९९ से १३०१ १३०४, १३०६, १३०८ और १३१० से १३१३ . .	३४०५–३१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . .	३४३१–३४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२८७, १२८९, १२९३, १२९५, १३०२, १३०३, १३०५, १३०७, १३०९, १३१४, १३१६ . . ३४३४–३८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७६५ से १८०८ . . ३४३८–५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४५३–५४

सभा का कार्य ३४५४–५५

सदर बाजार में अग्नि कांड के बारे में वक्तव्य . . ३४५४–५५

व्यापार तथा पण्य चिह्न विधेयक:—पुर:स्थापित खान . . ३४५६

तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, १९५८–पुर:स्थापित ३४५६

कार्य मंत्रणा समिति

बाईसवां प्रतिवेदन . . . ३४५७

अनुदानों की मांगें . . . ३४५७–८२

परिवहन और संचार मंत्रालय . . . ३४५७–७६

निर्माण आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३४७७–८२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन ३४८२

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में संकल्प . ३४८२–९९

राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुके व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प ३५००–०३

दैनिक संक्षेपिका . . . ३५०४–०८

अंक ३५—सोमवार, ३१ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या १३१७ से १३१९, १३२१, १३२२, १३२५ से १३३०, १३३३ से १३३७, १३४१, १३४४ और १३४५ ३५०९–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३२०, १३२३, १३२४, १३३१, १३३२, १३३८ से १३४०, १३४२, १३४३ और १३४६ से १३५४ . ३५३६–४४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८०९ से १८४३ और १८४५ से १८५५ . ३५४४–६८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५६८

प्राक्कलन समिति

पांचवां प्रतिवेदन . . . ३५६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के कार्य की ओर ध्यान दिलाना--

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना . . ३५६९–७०

	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	३५७० ३६२०
निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय . . .	३५६० २६१३
इस्पात, खान और इन्धन मंत्रालय . . .	३६१४ २०
दैनिक संक्षेपिका	३६२१–२४

अंक ३६--मंगलवार, १ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर --

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५५ से १३५८, १३६० से १३६३, १३६६, १३६८, १३७०, से १३७६ और १३७८ से १३८४ . ३६२५–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३५९, १३६४, १३६५, १३६७, १३६९, १३७७ और १३८५ से १३९१ . . . . ३६५०–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५६ से १९१७ . . . ३६५५ ८२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ३६८२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

जम्मू-पठानकोट सड़क के निकट विस्फोट . . . ३६८२

अनुदानों की मांगें

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय . . . ३६८२–३७१८

दैनिक संक्षेपिका ३७११–२२

अंक ३७--बुधवार, २ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या १३९३ से १३९९, १४०१ से १४०८, १४१०, १४११, १४१४, १४१६ और १४१८ . . ३७२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३९२, १४००, १४०९, १४१२, १४१३, १४१५ १४१७ और १४१९ से १४२३ . . . ३७४९ ५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९१८ से १९६६ . . ३७५३ ७०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७७०–७१

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन . . ३७७१

अनुदानों की मांगें ३७७२–३८२३

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय . . . ३७७२ ८२

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ३७८३ ३८२३

दैनिक संक्षेपिका . . ३८२४–२७

	पृष्ठ
अंक ३८—गुरुवार, ३ अप्रैल, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १४२४ से १४३२, १४३५ से १४३८, १४४० और १४४२ से १४५०	३८२९–५५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११	३८५५–५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३९, १४४१ और १४५१ से १४५५	३८५७–६०
अतारांकित प्रश्न संख्या १९६७ से २०१३	३८६०–८२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३८८२–८३
तारांकित प्रश्न संख्या १२९ के उत्तर की शुद्धि के बारे में वक्तव्य	३८८३
सभा का कार्य	३८८३–८४
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	३८८४
अनुदानों की मांगें	३८८५–३९३४
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	३८८५–३९१४
सामुदायिक विकास मंत्रालय . .	३९१५–३४
दैनिक संक्षेपिका .	३९३५–३८
अंक ३९—शनिवार, ५ अप्रैल, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १४५६ से १४५९, १४६१, १४६२, १४६५ से १४६९, १४७१, १४७२, १४७४ से १४७७, १४८४, १४८३ और १४८० . . .	३९३९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६०, १४६३, १४६४, १४७०, १४७३, १४७८, १४७९, १४८१, १४८२ और १४८५ . .	३९६४–६८
अतारांकित प्रश्न संख्या २०१४ से २०६९ .	३९६८–९४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	३९९५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
बोकारो कोयला क्षेत्र में चेचक के सम्बन्ध में	३९९५–९६
अनुदानों की मांगें—	
सामुदायिक विकास मंत्रालय . . .	३९९६–४०१७
भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	४०१८

	पृष्ठ
अखिल भारतीय प्रसूति लाभ विधेयक—पुरःस्थापित	४०१८
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक–पुरःस्थापित .	४०१८–१९
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	४०१९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	४०१९–३१
नाट्य प्रदर्शन (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	४०३१–३५
दैनिक संक्षेपिका . . .	४०३६–३९
अंक ४०—सोमवार, ७ अप्रैल, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १४८६, १४९६, १४९७, १४९९, १५०१ से १५०३, १५०८ से १५१२, १४९८, १५०७, १४९१ और १४९५	४०४१–६५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . .	४१६५–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८७ से १४९०, १४९२, १४९३, १५००, १५०४, १५०५ और १५१३ . . .	४०६६–६९
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७० से २०७३, २०७५ से २०९८, २१०० से २१०५ और २१०७ से २११९ . .	४०६९–८७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	४०८७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	४०८८
अनुदानों की मांगें . .	४०८८–४१३७
सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	४०८८–४१२९
श्रम और रोजगार मंत्रालय . . .	४१२९–३७
दैनिक संक्षेपिका . . .	४१३८–४१

नोट:— मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह * चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्नों को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

गुरुवार, ३ अप्रैल, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी वस्तुओं की प्रदर्शिनी

+

†१४२४. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई वस्तु समिति (स्टोर्स कमेटी) ने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अपेक्षित सरकारी वस्तुओं की स्थायी प्रदर्शिनी के बारे में जो सिफारिश की थी क्या उसके अनुसार स्थायी प्रदर्शिनी कायम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शिनी में किन-किन मुख्य वस्तुओं का प्रदर्शन होगा; और

(ग) क्या दिल्ली कलकत्ता और बम्बई के नमूना-कक्ष (सैम्पल रूम) बन्द कर दिये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). दिल्ली, कलकत्ता व बम्बई के नमूना-कक्ष (सैम्पल रूम) पूर्णतया बन्द कर दिये गये हैं । सरकारी विभागों द्वारा अपेक्षित वस्तुओं के नमूनों की स्थायी प्रदर्शिनी स्थापित करने का विचार है । इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था की जा रही है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार ने सरकारी वस्तुओं की प्रदर्शिनी पर होने वाले व्यय का अनुमान लगा लिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसके व्यय के विस्तृत ब्यौरों का अनुमान लगाया जा रहा है । यह एक बहुत बड़े पैमाने की स्थायी प्रदर्शिनी होगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह कहां पर बनायी जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मथुरा रोड पर । ४८, ००० वर्ग फुट भूमि पर बनायी जायेगी ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी प्रत्येक नगर में सरकारी स्टोर बनाने का विचार रखती है ?

†श्री मनुभाई शाह : अभी हम ने शुरुआत की है। हमारा लक्ष्य यह है कि संभरण के महानिदेशक तथा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित सभी वस्तुओं का ठीक प्रकार से प्रदर्शन हो सके इसलिये हम मंत्रालयवार व उद्योगवार स्टाल व प्रदर्शन रखने का प्रयत्न करेंगे ।

†श्री त्यागी : जब दिल्ली में पहले से ही सरकारी कार्यालयों की भरमार है और सरकार यहां से कई कार्यालयों व स्टोरों को बाहर भेजने का विचार कर रही है तब उसने ऐसी दशा में यहां पर इतनी भारी प्रदर्शिनी करने का क्यों विचार किया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : पहले हमारे पास दिल्ली में प्रदर्शिनी के पुराने मैदान में, जहां पर कि रेलवे व औद्योगिक प्रदर्शिनियां हुई थीं, अनेक खाली दुकानें व बड़ा भारी मैदान पड़ा हुआ है। इसलिये हमारे पास स्थान तथा दुकाने दोनों चीजें हैं। हमें इनके लिये अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली एक केन्द्रीय स्थान है। देश में बाहर से आने वाले सभी व्यक्ति व देश के उद्योगपति यहां आते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में दिल्ली को इस कार्य के लिये सर्वथा उपयुक्त समझा गया है।

रेशम का धागा

†*१४२५. { †श्री स० चं० सामन्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बदरी वृक्ष (ज़िज़िफस[1]) पर मिलने वाले कृमिकोष में से रेशम का धागा उपलब्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोग कहां पर किया गया है; और

(ग) यह अन्य रेशम के धागे की तुलना में मज़बूती तथा लोच की दृष्टि से कैसा है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) जम्मू व कश्मीर राज्य के दक्षिणी प्रदेश के निचले भागों में ।

(ग) जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा की गई प्रारम्भिक खोज के अनुसार, ज़िज़िफस टसर कृमिकोषों से प्राप्त होने वाला टसर देश के अन्य भागों में मिलने वाले टसर की अपेक्षा मजबूती एवं लचीलेपन में कहीं अच्छा है।

†श्री स० चं० सामन्त : काश्मीर सरकार ने इस सम्बन्ध में कितना भाग लिया है ?

†श्री मनुभाई शाह : उन्होंने अपने एक उद्योग निदेशक, श्री बेग को इस कार्य के लिये भेजा था और उन्होंने इसका अध्ययन किया है। उनके वापस आने के बाद से इस दिशा में नये प्रयोग व अध्ययन चल रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Ziziphus

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह बदरी (ज़िज़िफस) का वृक्ष भारत के किसी अन्य भाग में भी मिलता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तक वे केवल कश्मीर में ही पाये गये हैं। वनस्पति शास्त्र की दृष्टि से इसके लिये ठंडे जलवायु और घने जंगली प्रदेश की आवश्यकता है। इसीलिये प्रारम्भ में इसकी जम्मू व कश्मीर में ही खोज की गई है। हो सकता है कि किन्ही अन्य शीत एवं सघन जंगली प्रदेशों में भी यह मिल जाये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि किन्हीं और भागों में भी इस प्रणाली के प्रचार करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने अभी जो जवाब में कहा वह यही कहा कि फिलहाल यह नया तजुर्बा है और वह काश्मीर से जो साहब विदेश गये थे उनके ज़रिये हुआ है । वह एक दफ़ा सफल हो गया, सफलता मिल गयी तो वह शायद दूसरे भागों में जहां ऐसे ट्रीज़ मिल सकते हैं वहां इसकी कोशिश की जायगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : आसाम में शहतूत के वृक्षों से मिलने वाले 'मूगा' की तुलना में चलने में तथा तार में यह रेशम कैसा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैं मुख्य प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, यह मजबूती एवं लचीलेपन में अन्य रेशम से अच्छा है इसलिये यह स्वभावतः शहतूत या अन्य रेशम अथवा टसर रेशम से चलने में भी अच्छा ही होगा ।

नेपाल से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल

†*१४२६ **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के निमन्त्रण पर एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया था ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : जी हां। हमारे निमंत्रण पर नेपाल से १८ सदस्यों का विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। ये लोग हमारे देश में २६ दिसम्बर, १९५७ से १७ जनवरी, १९५८ तक भ्रमण करते रहे।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या यह एक सद्भावना दौरा था या इस ने किन्हीं विशेष समस्याओं की चर्चा की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी नहीं । यह एक सांस्कृतिक मिशन था ।

†**श्री गोरे** : क्या उन्हों ने अपने दौरे के बाद हमारी सरकार को या अपनी सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं नहीं कह सकती कि उन्हों ने अपनी सरकार को कोई रिपोर्ट दी है अथवा नहीं । मेरे विचार में उन्हें हमारी सरकार को कोई रिपोर्ट देना जरूरी नहीं था ।

†**श्री गोरे** : क्या उन्हों ने कोई राय प्रकट की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उन्होंने अवश्य कुछ राय प्रकट की होगी । किन्तु हमें उस का कोई ज्ञान नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियरी की वस्तुओं सम्बन्धी निर्यात संवर्धन परिषद्

+

†*१४२७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी की वस्तुओं सम्बन्धी निर्यात संवर्धन परिषद् ने मिस्र और सूडान की मंडियों की सर्वेक्षण रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) इस परिषद् ने अन्य किन-किन देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं ; और

(ग) उन का क्या परिणाम रहा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) मिस्र और सूडान के अतिरिक्त परिषद् ने बर्मा, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, इथियोपिया, अदन, अफगानिस्तान, ईरान, क्वायत, बेहरीन, ईराक, सीरिया, लेबानान, जोर्डन, लंका, सिंगापुर, मलाया, थाईलैंड, कम्बोडिया, दक्षिणी वियत नाम, फिलिपीन, और हांगकांग में भी प्रतिनिधि-मंडल भेजे हैं ।

(ग) ये प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के भ्रमण के बाद उन की मंडियों के बारे में जो सर्वेक्षण रिपोर्टें देते हैं उन रिपोर्टों को हम अपने देश के इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्माताओं में प्रचारित करते हैं । इंजीनियरिंग वस्तुओं सम्बन्धी निर्यात संवर्धन परिषद् इन मंडियों के सर्वेक्षणों के आधार पर जो काम कर रही है उस से उन देशों को निर्यात बढ़ने की प्रत्येक सम्भावना है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या इस परिषद् ने निर्माताओं को विभिन्न देशों में बिक्री कार्यालय खोलने के लिये सलाह दी है ; और यदि हां, तो किन किन देशों में ?

†**श्री कानूनगो** : उन्हों ने कोई ऐसा विशेष सुझाव नहीं दिया है । बल्कि उन्हों ने यह कहा है कि कई देशों में अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध हैं और उन्हें वहां पर एजेन्टों के माध्यम से काम करना चाहिये ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या विदेशों से माल मंगवाने वाले लोगों ने हमारे माल के बारे में भी कोई शिकायत की है, यदि हां, तो हम अपने माल की क्वालिटी ऊंची करने के लिये क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : इस विषय में कोई खास शिकायत नहीं आई है । हां गाहे बगाहे एक दो शिकायतें चाहे मिली हों । परिषद् इस बात पर खास ध्यान दे रही है कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत मिलने का अवसर न आये ।

†**श्री दामानी** : हम कौन कौन सी मुख्य इंजीनियरी की वस्तुएं बाहर भेज रहे हैं और उन से १९५६-५७, १९५७-५८ में कितनी आय हुई थी तथा इस वर्ष कितनी आय होने की आशा है ?

†**श्री कानूनगो** : इस का बड़ा लम्बा उत्तर हो जायेगा । यदि आप पृथक् प्रश्न पूछने की कृपा करें तो मैं यह जानकारी दे पाऊंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेडा** : क्या इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई समन्वित प्रयत्न किया जा रहा है जिस से उन की श्रेष्ठता भी बनी रहे और उनकी अधिक मात्रा में निर्यात भी किया जा सके ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां । निर्यात संवर्धन परिषद्, विकास विंग तथा सरकार सभी मिल कर इस दिशा में काम कर रहे हैं ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या यह सच है कि इन सब देशों में इन वस्तुओं की इतनी अधिक मांग है कि हम उस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं ; यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं । यह बात ठीक नहीं है । बल्कि हम को वहां पर शताब्दियों से जमे हुए पुराने निर्माताओं से मुकाबला करना पड़ता है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस प्रतिनिधि मंडल द्वारा दी गई मार्किट सर्वे रिपोर्ट के कारण विदेशों में हमारा कुछ निर्यात बढ़ा है--विशेष रूप से बर्मा तथा मलाया में ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां ; उस में वृद्धि हुई है ।

कोयला खनन उपकरण संयंत्र

+

†*१४२८. **श्री पाणिग्रही :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री शोभा राम :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७० के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक रूसी विशेषज्ञों की सहायता से कोयला उद्योग के लिये मशीनरी तथा अन्य उपकरण बनाने के लिये एक कारखाना बनाने का कोई अन्तिम निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां बनाया जायेगा ; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख) . जी हां । यह कारखाना पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर में बनाया जायेगा ।

(ग) सोवियत विशेषज्ञों ने १९५७ की अपनी रिपोर्ट में एक प्रारम्भिक प्राक्कलन में यह बताया है कि इस कारखाने पर प्रारम्भ में १५ करोड़ रुपये का व्यय होगा । परियोजना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट १९५९ के मध्य में तैयार होगी । इस में सभी प्राक्कलनों का विस्तृत विवरण दिया जायेगा ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या हम ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि हमें सरकारी क्षेत्र व ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के लिये कोयला खनन के लिये कितने उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनुभाई शाह** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गैर-सरकारी क्षेत्र में १५ करोड़ रुपये के उपकरणों की आवश्यकता होगी और सरकारी क्षेत्र के लिये ३२ करोड़ पये की।

†**श्री पाणिग्रही** : इस कारखाने की कितनी उत्पादन क्षमता होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जब यह कारखाना पूरे रूप से काम करना शुरू कर देगा तब इस में प्रतिवर्ष ३०,००० टन का उत्पादन हो सकेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह कारखाना किस तरह की मशीनरी बनायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोयला काटने के यंत्र, कोयला ढोने के यंत्र, बिजली के इंजन, वाइंडिंग[1] मशीनें, पम्प इत्यादि ।

†**श्री त्यागी** : इस बात को देखते हुए कि कोयला उद्योग की मशीनरी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी, जैसे कि बुल डोजर्स, खुदाई के यंत्रों आदि से बहुत कुछ मिलती जुलती है क्या इन उपकरणों को बनाने के लिये भी कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था और विशेषज्ञों ने यह राय दी है कि फिलहाल खनन उपकरणों तक ही सीमित रहना अच्छा है। किन्तु बाद में अगर हमें यह दिखाई दिया कि हमारे पास अधिक उत्पादन क्षमता है तो हम निश्चय ही उस का मिट्टी हटाने की भारी मशीनें बनाने में उपयोग करेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : कोयला उद्योग के लिये अनुसूचित उपकरण मंगवाने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय होगा तथा इस मशीनरी व उपकरण से हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर क्या तथा कितना प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक लंबा प्रश्न है। सब से पहली बात यह है कि हम कितनी मशीनरी मंगवायेंगे। इस समय कोयले की खानों का अधिक यंत्रीकरण नहीं हुआ है। एक वर्ष में हमारी आयातों का मूल्य ५० लाख रुपये से बढ़ कर १ करोड़ रुपये हो गया है। अब क्योंकि हम द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन बहुत कुछ बढ़ाना चाहते हैं, इसलिये हमें इन का यंत्रीकरण करना बड़ा आवश्यक है। हम चाहते हैं कि हम प्रतिवर्ष ३०,००० टन कोयले का उत्पादन कर सकें। इस से हमें प्रतिवर्ष १५ करोड़ से २० करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा तक की बचत हो जायेगी ।

†**श्री आचार** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस कारखाने के लिये दुर्गापुर को क्यों चुना गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समस्त कोयला क्षेत्र, आसनसोल व दुर्गापुर का सारा क्षेत्र उस इलाके के समीप है, इसलिये यही उचित तथा उपयुक्त था कि हम कोयले की खानों के पास ही यह कारखाना बनायें ताकि सब खानों का पूरा पूरा उपयोग किया जा सके और परिवहन व्यय को भी कम किया जा सके ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मेरा प्रश्न यह था कि हम ने दुर्गापुर में ही क्यों यह कारखाना बनाने का निश्चय किया है। क्या यह अच्छा न रहता कि हम इसे उस क्षेत्र में बनाये जाने वाले इस्पात के कारखाने के समीप बनाते जो कि अब शीघ्र ही पूरा हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Winding Machines

†**श्री मनुभाई शाह** : विशेषज्ञों ने इन सभी प्रश्नों पर भली भांति विचार किया था और उन्होंने अन्तिम रूप से यह निश्चय किया है कि उस के वर्तमान विकास को देखते हुए दुर्गापुर ही इस के लिये उपयुक्त स्थान रहेगा क्योंकि वह कोयले की खानों, इस्पात, व लौह अयस्क सभी क्षेत्रों के समीप है ।

†**श्री दासप्पा** : क्या सोने की खानों के लिये आवश्यक 'शैफ्ट' आदि भी बनाये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है ।.किन्तु हम विचार कर रहे हैं कि खानों के लिये अन्य प्रकार की बड़ी तथा भारी मशीनरी भी बनाई जा सके । चेकोस्लोवेकिया के सहयोग से जो तापकुट्टन ढलाईघर स्थापित किया जा रहा है उस में हर प्रकार की खानों के लिये उपकरण तैयार किये जायेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री ने कहा है कि दुर्गापुर को इसलिये चुना गया है कि वह कोयला क्षेत्र के समीप है ; किन्तु दुर्गापुर में कुल उत्पादन का केवल २४ प्रतिशत कोयला मिलता है जबकि बिहार में ५६ प्रतिशत कोयला मिलता है और वहां पर लोहा और इस्पात भी मिलता है । इसलिये इस के लिये बिहार को क्यों नहीं चुना गया ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दुर्गापुर-आसनसोल का क्षेत्र ही मुख्यतया कोयले का क्षेत्र है । स्थान का निर्णय करना विशेषज्ञों का काम है । उन्होंने आर्थिक कारणों की देखभाल कर के ही दुर्गापुर को चुना है । सभी खानें एकदम ही सारी मशीनरी का प्रयोग नहीं करने लगती हैं । उन को इस्पात तैयार करने की कई विधायें भी करनी पड़ती हैं । इस के लिये उन्हें कई अन्य प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है । अतः इस के लिये इर्द गिर्द में औद्योगिक वातावरण का होना भी बड़ा आवश्यक है ।

दर्शन यंत्रों के शीशों का संयंत्र

†१४२९. +
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दर्शन यंत्रों के शीशों (आप्टिकल ग्लास) के संयंत्र के बारे में रूसी विशेषज्ञों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री भक्त दर्शन : इस में जो इतनी देर हो रही है, इस का कारण क्या है और देर से देर कब तक इस के प्राप्त होने की आशा की जा सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : कोई ज्यादा देरी नहीं हो रही है। वैसे एग्रिमेंट तो फाइनलाइज़ हो गया है। इस के बाद डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी है जिस के अन्दर नक्शे बनाने पड़ते हैं कि कैसी भट्टियां होंगी, कैसी मशीनरी होगी। इस में थोड़ा टाइम लगेगा ही क्योंकि सारी प्राजेक्ट को इम्प्लिमेंट करने का सवाल है, और सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में इस का इम्पिलमेंटेशन हो जाय, ऐसी हमारी ख्वाहिश है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि किन्हीं दूसरे विदेशी विशषज्ञों से ऐसी कोई प्लैन मांगी गई है ?

श्री मनुभाई शाह : नहीं। पहले तो बड़ी कोशिश की थी, लेकिन जब हम ने देखा कि सोवियत यूनियन से इस के लिये अच्छी से अच्छी टेकनीक मिल सकती है और क्रेडिट भी मिलता था, तो उन के साथ ही एग्रिमेंट किया गया।

†**श्री त्यागी** : क्या देहरादून की आर्डनेन्स फैक्ट्री में जो आप्टीकल ग्लास प्लांट (दर्शन यंत्रों के शीशों का कारखाना) खोला गया है उस का भी कोई ध्यान रखा गया है और क्या सरकार इस बढ़े प्लांट को उसी कारखाने के इर्द गिर्द लगाना चाहती है तथा उस का उपयोग करना चाहती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तक इस के स्थान का कोई निर्णय नहीं किया गया है। यह प्लांट 'आप्टीकल' तथा 'आपथलमिक' सभी प्रकार के विशेष शीशों के निर्माण के लिये बनाया जायेगा। आर्डनेन्स फैक्ट्री सामान्यतया बहुत थोड़ी सी मात्रा में 'आपथेलमिक ग्लास' ही बनाती थी, उस में 'आप्टिकल ग्लास' का निर्माण नहीं होता था। इस कारखाने में ऊंचे ग्रेड के 'आप्टिकल' व 'आप-थेलमिक' दोनों प्रकार के शीशे तैयार होंगे और यह कारखाना देश के सभी कारखानों में, जोकि ऐसे शीशों का उत्पादन कर रहे हैं, समन्वय का काम भी करेगा।

†**श्री वें० प० नायर** : हमारी 'आप्टिकल ग्लास' की सामान्यतया कितनी मांग है व उस की तुलना में इस का कुल कितना उत्पादन हो रहा है ? क्या यह सच नहीं है कि "साउथ इंडियन ग्लास फैक्ट्री" ने चेकोस्लोवाकिया के प्रविधिक विशेषज्ञ के अधीक्षण में अपने यहां 'आप्टिकल ग्लास' बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की मांग की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समय प्रति वर्ष ५ से ७ टन की मांग है। हमारा विश्वास है कि उप-करण उद्योग के विकास तथा 'आप्टिकल ग्लास' का प्रयोग करने वाले उद्योगों की विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि के साथ हमारे देश में इस की मांग ५० टन तक बढ़ जायेगी। रूसी प्लांट में प्रतिवर्ष १० टन 'आप्टिकल ग्लास' व २०० टन 'आप्थेलमिक ग्लास' बनाया जायेगा। हमारे पास देश के भिन्न भिन्न भागों से कई प्रस्ताव आये हैं किन्तु हम उस को सरकारी क्षेत्र में रखना चाहते हैं। इसलिये हम फिलहाल 'आप्टिकल ग्लास' के निर्माण के लिये किसी गैर-सरकारी निर्माता को अनुमति नहीं देंगे।

प्रलेख चलचित्र

†*१४३०. **श्री द० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर के जीवन एवं दर्शन सम्बन्धी प्रलेख चित्र के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : टैगोर शताब्दी समारोह के एक अंग स्वरूप और समारोह समिति के आदेश के अन्तर्गत रवीन्द्रनाथ टैगोर पर एक प्रलेख चित्र बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रलेख चित्र के बनाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया प्रश्न पर उपराष्ट्रपति के सभापतित्व में समारोह समिति की प्रथम बैठक में विचार किया गया। टैगोर से सम्बन्ध रखने वाले सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की परामर्शदात्री समिति के शीघ्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह समिति चित्र की सामान्य बातों के निर्धारिण में सहायता देगी। इस कार्य की प्रगति के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सामान्य बातों का निर्धारिण और कथापट्ट के तैयार होने में कुछ समय लगेगा। प्रलेख चित्र के १९६१ में टैगोर शताब्दी समारोह, के अवसर पर ही प्रदर्शित किये जाने का विचार है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस प्रलेख चित्र के लिये निर्माता के चुनाव के बारे में क्या पद्धति अपनाई गई है अथवा क्या भारत सरकार इस का निर्माण करेगी ?

†**डा० केसकर** : भारत सरकार टैगोर शताब्दी समिति के सहयोग एवं परामर्श से निर्माता का चुनाव करेगी। इस समिति में अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठित एवं टैगोर से सम्बद्ध व्यक्ति हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह निश्चय हो चुका है कि बंगला, हिन्दी और अंग्रेज़ी के सिवा अन्य भारतीय भाषाओं में भी डाकुमेंटरी फिल्म तैयार की जायेगी ?

डा० केसकर : मैं ने अभी यह कहा था कि इस बारे में अभी कुछ कहना नामुमकिन है, इस लिये कि सिद्धान्त रूप से तय किया गया है कि डाकुमेंटरी बनेगी। किस प्रकार की होगी, कितनी बड़ी होगी, क्या होगी, यह अभी तय करना है।

सेठ गोविन्द दास : क्या कम से कम यह तय हो गया है कि वह बंगला, हिन्दी और अंग्रेज़ी इन तीन भाषाओं में बनेगी ?

डा० केसकर : इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया गया है।

†**श्री प्रभात कार** : क्या चित्र निर्माता के चुनाव में शान्ति निकेतन से परामर्श किया जायेगा तथा क्या शान्ति निकेतन के सम्पूर्ण कागज-पत्र निर्माता के पास रहेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने यही तो कहा है।

†**डा० केसकर** : यह स्पष्ट है कि टैगोर के बारे में कुछ भी बनाते समय शान्ति निकेतन के साथ पूर्ण सहयोग किया जायेगा। वस्तुतः सरकार द्वारा निर्मित समारोह समिति में उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष के समान अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।

†**श्री प्रभात कार** : क्या सम्पूर्ण कागज-पत्र निर्माता के पास रहेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इन पत्रों के अभाव में प्रलेख चित्र नहीं बनाया जा सकता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या परामर्शदात्री समिति पूर्ण रूप से नियत की जा चुकी है या अभी बन रही है ?

†**डा० केसकर** : अभी बनाई जा रही है। मुख्य तो समारोह समिति है वही परामर्शदात्री समिति की रचना में सहायता देगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भोपाल राजधानी परियोजना

†१४३१. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिद्धान्त रूप से यह बात मान ली गई है कि भोपाल राजधानी परियोजना की लागत मध्य प्रदेश योजना के सम्पूर्ण परिव्यय में से दी जायेगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : मध्य प्रदेश सरकार से भोपाल राजधानी परियोजना को राज्य योजना में सम्मिलित करने के लिये कहा गया है। राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है कि वे परियोजना प्रतिवेदन और राजधानी परियोजना का प्राक्कलन योजना आयोग के पास भेज दें। अभी ये प्राप्त नहीं हुए हैं। फिलहाल १९५८-५९ में खर्च करने के लिये १९५८-५९ की राज्य विकास योजना में ५० लाख रुपये की रकम की अनुमति दी गई है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : नये मध्य प्रदेश के लिये सर्वथा नवीन राजधानी निर्माण करने में निधियों के प्रवर्तन से किन-किन विशिष्ट योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह कहना कठिन है कि किन किन विशिष्ट परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा किन्तु अधिकांश राजधानी परियोजनाएं वार्षिक योजना का अंग हैं ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या योजना आयोग इस बात से संतुष्ट है कि किसी नगर में अधिक इमारतों का निर्माण हमारे अत्यधिक सीमित संसाधनों का श्रेयस्कर उपयोग है और निधियों के परावर्तन से प्रभावित होने वाली कल्याण योजनाओं और विद्युत् योजनाओं की अपेक्षा वे अधिक अच्छी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । नीति सम्बन्धी विषय अथवा प्राथमिकता आदि बातें प्रश्नकालीन घंटे के लिये नहीं हैं ।

सेठ गोविन्द दास: क्या यह बात सही नहीं है कि चंडीगढ़ और भुवनेश्वर की राजधानियां बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से उड़ीसा और पंजाब प्रदेश को विशेष रूप से सहायता मिली थी, यदि यह बात सही है तो भोपाल के लिये एक विशेष सहायता केन्द्रीय सरकार से क्यों नहीं मिल रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह बात सही नहीं है । उड़ीसा सरकार को भुवनेश्वर के लिये और पंजाब सरकार को चंडीगढ़ के लिये जो मदद दी गयी है वह पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दी गयी है और मध्य प्रदेश सरकार को भी उसी आधार पर दी जायेगी, किसी तरह का विभेद या अन्तर नहीं किया गया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान

†*१४३२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की दर ६ १/४ से बढ़ा कर ८ १/२ प्रतिशत करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का क्या स्वरूप है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). यह विषय अभी भी अध्ययन दल के विचाराधीन है जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस विषय के अन्तिम निर्णय में विलम्ब के कारण श्रमिकों की हानि है, इस पर कब निर्णय किया जायेगा ?

†श्री ल० ना० मिश्र: निस्सन्देह ही इस का परिणाम श्रमिकों के लिए हानिकर है क्योंकि यह अंशदान में वृद्धि करने का प्रश्न है । इस पर शीघ्र विचार, किया जायेगा । हम अध्ययन दल से प्रतिवेदन प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं ।

†श्री एंथनी पिल्ले : इन प्रस्तावों की स्वीकृति किन कारणों से रुकी पड़ी है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : अनेक कारण हैं । मुख्य यह है कि दर में वृद्धि से उद्योगों पर भार बढ़ जायेगा । इस से भी अधिक महत्व की बात वर्तमान में यह है कि जो अधिनियम आजकल लागू हैं वह अभी उन सम्पूर्ण उद्योगों में लागू नहीं हुआ है जो इस के अन्तर्गत रखी जायेंगी । व्यवहृत होने वाली सभी उद्योगों में लागू करने के लिये हम कदम उठा रहे हैं । हम इस अवस्था को पूरा करेंगे । हम इसे यथासम्भव शीघ्र कार्यान्वित करेंगे । मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि हम सब इस प्रस्ताव के प्रति सहानुभूतिपरक हैं और इसे शीघ्र क्रियान्वित करने की दृष्टि से हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि इसे उन सब उद्योगों में कार्यान्वित किया जायेगा जहां यह अभी नहीं है । इस प्रकार के उद्योगों में नियोजित कुल मजदूर ३०,००० हैं जबकि पहले से क्रियान्वित उद्योंगों के श्रमिकों की संख्या १५ लाख है । इस में विलम्ब का क्या कारण है ?

†श्री नन्दा : माननीय सदस्य द्वारा बताये गये आंकड़े मुझे स्वीकार नहीं हैं । अक्रियान्वित उद्योगों के श्रमिकों की वृहद् संख्या है ।

†श्री ब० स० मूर्ति : क्या अंशदान की बढ़ी हुई दर स्वीकार करने के इच्छुक कोई उद्योग है और यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या नीति है ?

†श्री नन्दा : हम ने नियोजकों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया था । वे अधिक दर स्वीकार करने के अनिच्छुक हैं ।

†श्री तंगामणि : यदि दर सवा छ प्रतिशत से बढ़ा कर ८.३३ प्रतिशत कर दी गई तो इस अधिनियम द्वारा व्यवहृत उद्योगों की ओर से भविष्य निधि में अंशदान की कितनी रकम बढ़ जायेगी ?

†श्री नन्दा : यह साधारण गणित की बात है । आनुपातिक वृद्धि होगी । सांख्यकी देखने के पश्चात् मैं माननीय सदस्य को निश्चित आंकड़े बता दूंगा ।

†श्री तंगामणि : अंशदान कितना होगा । यदि यह रकम भविष्य निधि न्यास में आ जाती है तो यह रकम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये प्रयुक्त की जा सकती है ।

†श्री नन्दा : मैं यह सुझाव स्वीकार करता हूं । यह संसाधनों में अमूल्य वृद्धि होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एंथनी पिल्ले** : क्या समग्र उद्योग अतिरिक्त रकम देने में असमर्थ हैं अथवा इने गिने उद्योग ही असमर्थ हैं ?

†**श्री नन्दा** : यह अत्यन्त सुसंगत है ।

रेडियो धर्मिता[1]

†***१४३५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अभी तक प्रतिवेदित रेडियो धर्मिता का उच्चतम स्तर क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : रेडियो धर्मिता का उच्चतम स्तर अप्रैल १९५७ में दिल्ली में परिलक्षित किया गया । यह वायु के क्यूबिक मीटर पर १८.७ माइक्रोमिक्रो क्यूरी था । अनुमति की अधिकतम सीमा से यह काफी नीचे था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : रेडियो धर्मिता के प्रमाप के लिये देश में क्या व्यवस्था है ? क्या इस के लिये अद्यतन और अद्यावत प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, उटकमण्ड और श्रीनगर में नमूने लेने वाले स्टेशन हैं । इन क्षेत्रों से धूलि और वर्षा जल के नमूने विमान मानीटरिंग डिवीजन में परीक्षण हेतु भेजे जाते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या रूस द्वारा नाभिकीय परीक्षण अस्थायी रूप से बन्द करने पर इस देश ने उक्त देश की सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रख कर कि लोक-सभा ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वर्तमान प्रश्न से इस का क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : रेडियो धर्मिता की उत्पत्ति शून्य से नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने रेडियो धर्मिता के उच्चतम स्तर के बारे में प्रश्न आरम्भ किया था और वे अब निम्नतम स्तर की ओर परागंमुख हो रहे हैं ।

†**श्री एंथनी पिल्ले** : क्या सोवियत रूस में नाभिकीय विस्फोट के पश्चात् रेडियो धर्मिता में वृद्धि हो गई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं नहीं जानती कि इस में वृद्धि हुई है अथवा ह्रास हुआ है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सोवियत रूस द्वारा नाभिकीय परीक्षणों को अस्थायी रूप से बन्द करने की परिणामस्वरूप उस देश में रेडियो धर्मिता में काफी कमी हो जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न में किस प्रकार उत्पन्न होता है ? अनेक बातें पूछी जा सकती हैं किन्तु वे इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हम रेडियो धर्मिता के अनेक कारण मानते हैं । हम ने पूछा : दिल्ली में अमुक तिथि को अधिकतम रेडियो धर्मिता का क्यों परिलक्षण किया गया ? इस का कारण यह था कि एक विशिष्ट देश में नाभिकीय परीक्षण हो रहे हैं'।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Radio Activity

†**अध्यक्ष महोदय** : नाभिकीय परीक्षणों के रोकने का रेडियो धर्मिता के उच्चतम स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है अथवा उस की संभावना हो सकती है ? दूसरा प्रश्न ।

सल्फा औषधियां

†*१४३६. **श्री घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सल्फा औषधियों के आयात पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ख) क्या सरकार के पास भारत में सल्फा औषधियों का उत्पादन आरम्भ करने के लिये कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कहां बनाये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न है :

	आयात मूल्य हजार रुपये में
१९५४-५५	१००९६
१९५५-५६	९९८८
१९५६-५७ (अप्रैल से दिसम्बर) . . .	९००४
१९५७ (जनवरी से सितम्बर)	६२४४

(ख) और (ग). सल्फा औषधियों समेत मूल औषधियों के निर्माण के लिये संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

†**श्री घोषाल** : क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ सल्फा औषधियों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति ली थी और उन्हें अनुमति अस्वीकृत करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने बम्बई की कुछ प्राइवेट फर्मों को इन के उत्पादन की अनुमति दे दी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सलफर औषधियों के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई विशिष्ट परियोजना आरम्भ नहीं की थी वे दुर्गापुर की कोक भट्टी संयंत्र में एक रासायनिक संयंत्र बनाना चाहते थे जहां कुछ औषधियों का निर्माण किया जायेगा । किन्तु जहां तक सरकारी नीति का सम्बन्ध है हम वर्तमान में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में एन्टी बायटिक्स, सल्फा औषधियां, विटामिन, संश्लिष्ट औषधियां, हारमोन आदि औषधियों के सम्बन्ध में संयन्त्र अथवा वृहद् एक कों की श्रृंखला का सूत्रपात कर रहे हैं । जब यह नीति पूर्णरूपेण क्रियान्वित हो जायेगी उस अवस्था मे हम ने गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में बड़े लाइसेंस नहीं दिये हैं । किन्तु कुछ फर्में पहले से ही इन दवाओं के निर्माण में संलग्न हैं और उन की वृद्धि एवं प्रसार तथा क्षमतावृद्धि की अनुमति दी गई है ।

श्री वें० प० नायर : कुछ समय पूर्व फार्मस्युटिकल जांच समिति ने यह सिफारिश की थी कि सारभूत औषधियां---जिन में सल्फा औषधियां भी सम्मिलित हैं---का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोलतार कहलाने वाले रसायनों के उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है । यदि गैर-सरकारी उद्योग इस क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं होता है तो क्या सरकार इस कार्य के लिये प्रस्तुत है और यदि हां, तो वे किस सीमा तक यह काम करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उन सब राष्ट्रीय इस्पात संयंत्रों में जहां कोक भट्टी संयंत्र है और उर्वरक कारखानों में भी जहां तक व्यवहार्य होगा हम पूर्ण कोल तार निर्माण संयंत्र बनाने की मंशा रखते हैं उस से देश की कोल तार रसायन की सम्पूर्ण मांग पूरी हो जायेगी।

†**श्री नारायणन्कुट्टि मेनन** : क्या यह सच है कि भारत में एक औषध संयंत्र की स्थापना के बारे में रूस सरकार के साथ वार्ता चल रही है और यदि हां तो क्या अभी तक कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने लोकसभा के समक्ष अनेक बार बताया है कि हम ने इन परियोजनाओं पर सोवियत विशेषज्ञों से बातचीत की है और उन से औपचारिक प्रार्थना भी की गई है। यदि यह प्रार्थना स्वीकृत हो गई तो हम सोवियत रूस के सहयोग में मूल औषधियां निर्माण करने वाले कुछ संयंत्र स्थापित कर सकेंगे।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि सल्फा औषधियों का स्थान शनैं शनैं एण्टी-बायटिक्स ग्रहण करते जा रहे हैं तो क्या फिर इन के उत्पादन-प्रसाद के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच नहीं है कि आज एक औषधि दूसरी औषधि का स्थान ग्रहण कर लेगी। प्रत्येक दिशा में नवीन प्रवृत्तियां दृष्टिगत होती हैं—कभी एण्टी-बायटिक्स की खपत बढ़ जाती है और कभी सल्फा औषधियों के उपयोग में वृद्धि हो जाती है। हम गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में दोनों की ही स्थापना करना चाहते हैं —पिम्परी में प्रसार द्वारा और एण्टी बायटिक्स एवं सल्फा औषधियों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में एक पृथक् संयंत्र की स्थापना की सहायता से।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से प्रकट है कि सल्फा औषधियां प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये के मूल्य की मंगाई जाती हैं। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन औषधियों के निर्माण के लिये क्या कोई वृहद् संयंत्र स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यही तो मंशा है। संश्लिष्ट औषधियां, सल्फा औषधियां, एण्टी बायाटिक्स, विटामिन, हारमोन, कोर्टिसोन्स और अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिये हम यथासम्भव गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में प्रयत्न कर रहे हैं।

रेशम के गूदड़[1] का निर्यात

†*१४३७. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५८ के पूर्वार्द्ध में मद्रास और मैसूर की रेशम के गूदड़ के निर्यात के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के निर्यात का लक्ष्य है ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिये लाइसेंस सम्बन्धी विशेष प्रक्रिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) ३००,००० पौण्ड।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Silk waste.

(ग) जी, हां। चालू कोटे के सम्बन्ध में लाइसेंस सम्बन्धी प्रक्रिया बताने वाला विवरण लोकसभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०९]**

†**श्री हेडा** : इस वस्तु के निर्यात के लिये अभी तक कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं अथवा आवेदन पत्र कितनी मात्रा के सम्बन्ध में हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समय यह बताना कठिन है क्योंकि आवेदन पत्र आते रहते हैं। कोटे की घोषणा कर दी गई है तथा ब्यौरा विवरण में बता दिया गया है। जो इस के अन्तर्गत आते हैं उन्हें लाइसेंस दिये जायेंगे ।

†**श्री हेडा** : अब आधा समय तो बीत गया है फिर इस निर्यात कार्यक्रम की पूर्ति कैसे होगी —क्या यह अनुसूची के अनुसार चल रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : रेशम के गूदड़ का निर्यात अब भी हमारी आशा के अनुसार नहीं है। किन्तु मौसम के अनुसार इस में घट बढ़ होती रहती है अतः उत्तरार्द्ध में संभव है इस की मात्रा में वृद्धि हो जाये ।

†**श्री आचार** : हम निर्यात पर प्रतिबन्ध लगायें ही क्यों। उन्हें निर्बन्ध अनुमति क्यों नहीं दी जाती ताकि निर्यात में प्रोत्साहन मिले ?

†**श्री मनुभाई शाह** : देश में सम्पूर्ण रेशम के गूदड़ के उपयोग की हमारी मंशा है। अतः रेशम के गूदड़ के उपयोग की दृष्टि से देश में ही रेशम कातने वाले एक मिल की स्थापना के बारे में हमारा विचार है ।

†**श्री तिम्मय्या** : स्थानीय उपयोग के लिये यहां रखी गई और प्रति वर्ष बाहर भेजे जाने वाले रेशम के गूदड़ की मात्रा कितनी-कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रत्येक वर्ष अलग-अलग होती है। किन्तु सामान्यतया यह ३३ से ४० प्रतिशत होती है। लगभग ८ से ९ लाख पौण्ड देश में ही प्रयुक्त की जाती है और लगभग इसे ४ लाख के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

नेपाल के लिये भारतीय विशेषज्ञ

†*१४३८. **श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या **प्रधान मंत्री** १७ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर के ससबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विशेषज्ञों के दो दलों ने नेपाल यात्रा के पश्चात् वहां कागज और सीमेंट फैक्टरी की स्थापना के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) इन दोनों दलों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन नेपाल सरकार को संप्रेषित कर दिये गये हैं और ये उन के विचाराधीन हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इन दो दलों की सिफारिशें उन के द्वारा क्रियान्वित करने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां :** ये रिपोर्टें उस देश की सरकार के विचाराधीन हैं ।

प्याज का निर्यात

†***१४४०. श्री विश्वनाथ राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष प्याज के निर्यात में १९५६ की तुलना में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या प्याज के निर्यात से सम्बद्ध सहकारी संस्थाओं को विशेष सहूलियतें देने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) देश में फालतू मात्रा में प्याज की उपलब्धि को देख कर बाजार में बिक्री के लिये मुक्त प्याज की मात्रा पर ही निर्यात अवलम्बित है । अक्तूबर तक उपलब्ध सांख्यकी इस बात की परिचायक है कि निर्यात किये जाने वाले प्याज का मूल्य जनवरी-अक्टूबर १९५७ में पिछले वर्ष समनुवर्ती अवधि की अपेक्षा बढ़ गया है ।

(ख) सहकारी समितियों को प्याज के निर्यात के बारे में अनेक वर्षों से विशेष सहूलियतें दीं जा रही हैं । हाल ही में प्रयोगात्मक रूप में निर्णय किया गया है कि प्याज के निर्बन्ध निर्यात की अनुमति दी जाये ।

†**श्री विश्वनाथ राय :** पिछले वर्ष निर्यात किये गये प्याज का कितना मूल्य था ?

†**श्री कानूनगो :** १९५७ में जनवरी से अक्टूबर के बीच ३१,०५० टन अर्थात् ११३ लाख रुपये के मूल्य के प्याज विदेशों को भेजे गये ।

†**श्री विश्वनाथ राय :** प्याज की मांग किन देशों की ओर से मिली है ?

†**श्री कानूनगो :** अधिकांश श्रीलंका, मलाया, सिंगापुर और पाकिस्तान से ।

†**श्री गोरे :** सम्पूर्ण कोटे का कितना प्रतिशत सरकारी संस्थाओं को दिया जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** आजकल वे असीमित मात्रा में निर्यात कर सकते हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि सहकारी समितियां स्वतंत्र रूप में प्याज का निर्यात कर सकती हैं । फिर अन्य व्यक्तियों अथवा कृषकों द्वारा सीमाहीन मात्रा में प्याज का निर्यात करने देने में क्या हानि है ?

†**श्री कानूनगो :** वे भी निर्यात सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत आते हैं ।

†**श्री गोरे :** क्या यह सच नहीं है कि सम्पूर्ण निर्यात मात्रा का केवल दस प्रतिशत कोटा ही सहकारी समितियों को दिया जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं । पहले यह ४० प्रतिशत था अब असीमित है ।

†**श्री तंगामणि :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रीलंका को वृहद् मात्रा में प्याज का निर्यात किया जाता है और श्रीलंका के अनेक विस्थापित व्यापारी दक्षिण भारत में हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्याज के निर्यात के लाइसेंस प्रदान करते समय इन व्यापारियों के प्रति प्राथमिकता बरती जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं, केवल सहकारी समितियों को ही प्राथमिकता दी जाती है ।

†**श्री तिम्मय्या** : इस बात के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं कि सहकारी समितियों में वास्तविक उत्पादनकर्ता ही रहें ?

†**श्री कानूनगो** : राज्य सरकार का प्रमाणपत्र हमारे लिये काफी है ।

†**श्री तंगामणि** : श्रीमान्, मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि क्या सहकारी समितियों की तुलना में विस्थापित व्यापारियों को प्राथमिकता दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या व्यापारियों में ही विस्थापित व्यापारियों के साथ प्राथमिकता बरती जायेगी ।

†**श्री कानूनगो** : मेरा उत्तर नकारात्मक था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को इन मामलों में कोई रुचि हो तो वे मंत्री महोदय से किसी विशेष बात कहने के लिये आग्रह न करें। पहले वे मंत्री के साथ इस पर चर्चा करें कि वे फुरसत के समय पर विचार करें। और फिर वे प्रश्न करें ।

†**श्री तंगामणि** : उन्हें निश्चित उत्तर देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम दूसरा प्रश्न लेंगे ।

एरंड-तेल का निर्यात

†*१४४२. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय एरंड-तेल की ब्रिटेन में बिक्री कम होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हमारे पास अक्तूबर, १९५७ तक के आंकड़े हैं। उनकी पिछले वर्ष की १९५६ की इसी अवधि के आंकड़ों से तुलना करने से ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता कि हमारी ब्रिटेन में एरंड-तेल की बिक्री कम हो गई है। हमारे पास नवम्बर से लेकर प्रत्येक देश को भेजे जाने वाली मात्रा के पृथक आंकड़े तो नहीं हैं, किन्तु सामान्य रूप से ऐसा ज्ञात होता है कि भारत-वर्ष से बाहर भेजे जाने वाले एरंड-तेल की मात्रा में कुछ कमी जरूर आ गई है ।

(ख) ऊंचे आन्तरिक मूल्य व ब्राजील की प्रतियोगिता ।

(ग) सरकार स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रही है। देश में एरंड के बीजों की मात्रा बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। हम अन्य आवश्यक कदम भी उठाने को तैयार हैं।

†**श्री आचार** : १९५६–५७ के निर्यात और १९५७–५८ के निर्यात में कितना अन्तर है ?

†**श्री कानूनगो** : ब्रिटेन को १९५६–५७ में १३,७०० टन तेल भेजा गया था और १९५७ में जनवरी से अक्तूबर तक १२,७४१ टन। सम्पूर्ण वर्ष का निर्यात सम्भवतया अपेक्षतया कुछ कम होगा।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या हाल ही के कुछ महीनों में भारत में एरंड-तेल की मांग बढ़ गई है ?

†**श्री कानूनगो** : स्थानीय मूल्य कुछ थोड़े से ऊंचे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

समाचार व सूचना पदाली[1]

+

†*१४४३. श्री रघुवीर सहाय :
श्री वि० द० त्रिपाठी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक समाचार व सूचना पदाली बनाने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पदाली की योजना की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) तथा (ख). जी हां । जब अंतिम रूप से सब नियम बना लिये जायेंगे तब उनकी एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : राज्य सभा में एक ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि उनको इसकी योजना बनाने में तीन वर्ष लगे हैं और अब उस योजना का अनुमोदन हो गया है । उस अनुमोदन के बाद आज १४ मास बीत गये हैं किन्तु फिर भी अब तक उस योजना का विस्तृत विवरण क्यों नहीं बताया जा रहा है ?

†**डा० केसकर** : इन नियमों में कोई गोपनीय बात नहीं है किन्तु जब कभी कोई ऐसी पदाली बनाई जाती है जिसमें कि अधिकारियों को स्थायी बनाया जाता है तब उसमें प्रक्रिया सम्बन्धी कई मामलों के बारे में अनेक मंत्रालयों से परामर्श करना पड़ता है और लोक-सेवा आयोग का भी परामर्श लेना पड़ता है । जब ऐसे मूल भूत नियमों का प्रारूप तैयार किया जाता है तब इन सबसे परामर्श करना पड़ता है । अब यह नियम अंतिम स्तर पर हैं और इस समय लोक सेवा आयोग के पास भेजे गये हैं । जब हमें उसकी स्वीकृति मिल जायेगी तभी हम उन्हें लोक-सभा के पटल पर रख सकेंगे । इस में कोई शक नहीं कि देरी हुई है किन्तु हम मजबूर थे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मंत्री महोदय हम को इस योजना की वृहत् रूपरेखा बता सकते हैं ?

†**डा० केसकर** : श्रीमान् सारी योजना बताने में बहुत समय लग जायेगा । मुख्य रूप से हमारा विचार इस प्रकार है । केवल हमारे मंत्रालय में ही नहीं अपितु अन्य अनेक मंत्रालयों में भी समाचार इकट्ठे करने वाले, उनका सम्पादन करने वाले तथा अन्य ऐसे काम करने वाले लोगों की पोस्टें हैं । हम इन सब को इकट्ठा करना चाहते हैं । इन सबको मिलाकर एक एसी पदाली बनाई जायेगी जिसमें नीचे से ऊपर तक के सभी श्रणियों के अधिकारी आ जायें । इन सबको विभिन्न वेतन श्रणियों में नियमित रूप से पदोन्नति प्राप्त हो सके तथा इन सबको स्थायी बनाया जा सके । इस समय इनमें से अधिकांश अधिकारी अस्थायी हैं व संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : विभिन्न मंत्रालयों में काम कर रहे व सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम कर रहे सूचना अधिकारियों की कुल कितनी संख्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

१ [1] News and Information Cadre.

†**डा० केसकर** : इसके लिये मुझे पृथक् सूचना चाहिये । अब हम कुल संख्या का ठीक ठीक निश्चय कर देंगे अर्थात् यह निश्चय कर दिया जायेगा कि इस पदाली में कितने स्थायी अधिकारी रहेंगे ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार आकाशवाणी में काम कर रहे स्टाफ आर्टिस्टों की संस्थिति व सेवा की सुरक्षा के बारे में कुछ कदम उठा रही है ताकि वे अधिकारियों की नजरे इनायत के आश्रित न बने रहें ?

†**डा० केसकर** : जी नहीं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या इस पदाली पर गृह मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियम भी लागू होंगे ; और यदि हां, तो फिर पृथक् नियम बनाने की क्या आवश्यकता है ?

†**डा० केसकर** : ऐसे सब नियमों की पहले गृह मंत्रालय द्वारा परीक्षा होती है तब ही उनको आगे भेजा जाता है ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : यह योजना लगभग कितने समय तक कार्यन्विति में आजायेगी ?

†**डा० केसकर** : यह स्कीम इसी वर्ष के दौरान में ही लागू हो जायेगी ।

जेसप एण्ड कम्पनी कलकत्ता

†***१४४४. श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन्) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत मेसर्ज जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटिड के कार्यों के बारे में जांच करने के लिये चार आदमियों की जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अपनी उपपत्तियों की रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या मूंद्ड़ा की अन्य फर्मों के सम्बन्ध में भी कोई ऐसी जांच समिति नियुक्त की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) . विषय विचाराधीन है ।

†**श्री तंगामणि**: क्या बी० आई० सी० और रिचर्ड और क्रुडास की फर्मों के बारे में भी, जिनमें कि जीवन बीमा निगम के बहुत से अंश हैं, कोई ऐसी जांच समिति नियुक्त की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मैं पहले बता चुका हूं कि इन सब विषयों पर विचार किया जा रहा है । यदि हमें कोई आवश्यकता अनुभव हुई तो हम उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत हमेशा ऐसी जांच समितियां नियुक्त कर सकते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : यह चार आदमियों की समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी व क्या इन फर्मों के लिये कोई नियन्त्रक नियुक्त किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे पहले ही रिपोर्ट दे चुके हैं । अब उस पर विचार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री साधन गुप्त** : क्या जेसप कम्पनी के मामलों की जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी उसके निर्देश पदों में यह बात भी सम्मिलित थी कि वह समिति इस बात की भी जांच करेगी कि क्या कम्पनी के कुछ शेयर पत्र जाली व प्रतिलिपि किये हुए शेयर पत्र थे तथा क्या इन शेयर पत्रों के आधार पर कोई लेन देन किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह जांच उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन की गई है। इस समिति के निर्देश पद काफी व्यापक थे किन्तु उन्हें शेयर पत्रों को देखने के बारे में नहीं कहा गया था। किन्तु यदि कोई अन्य जांच वगैरह हुई तो ये बातें यथासमय स्वतः प्रकाश में आ जायेंगी ।

†**श्री आचार** : इस समिति की मुख्य-मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी कुछ कहना कठिन है। जैसा कि मैंने अभी बताया है, हमें अभी हाल ही में उपपत्तियां मिली हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जैसे ही इन का परीक्षण हो जायेगा हम इस सभा तथा सारे देश को बता देंगे कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया**: कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि इस कम्पनी की साख बहुत कम हो गई है और इसके कारण वर्तमान प्रबन्धकों को बड़ी कठिनाई हो रही है। क्या इसको देखते हुए सरकार इस कम्पनी के लिये एक नियन्त्रक नियुक्त करना अच्छा नहीं समझेगी ताकि इस के कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पड़े ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह तो सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का पूर्वानुमान लगाना हुआ। परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि पिछले कुछ महीनों से जांच वगैरह के कारण से इसकी प्रबन्ध व्यवस्था में बड़ी कठिनाई हो रही है। इसी लिये हम स्वयं इस विषय में शीघ्र निश्चय करने के लिये बड़े उत्सुक हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : इन संदिग्ध शेयरपत्रों के बारे में अफवाह उड़ने के बाद क्या सरकार ने जेसप कम्पनी व अन्य कम्पनियों के, जिनमें कि जीवन बीमा निगम का बहुत बड़ा हित निहित है, शेयर पत्रों की जांच के बारे में कोई कार्यवाही की है ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसका उत्तर मैं पहले मुख्य प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं। मैं इस बारे में उससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता। इन सब विषयों की कभी न कभी जरूर जांच/छानबीन हो जायेगी ।

†**श्री तंगामणि** : सबसे पहले केवल जेसप कम्पनी में ही क्यों जांच की गई है इसके साथ ही मूंदड़ा की अन्य फर्मों में क्यों नहीं जांच शुरू की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह केवल सिलसिलेवार चुनने का प्रश्न था। क्योंकि यह कम्पनी बहुत महत्वपूर्ण कम्पनी थी और इसके पास सरकार के बहुत से आर्डर थे और इनको कार्य में बहुत कठिनाई हो रही थी। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने स्वयं बताया है कि इनको ऋण मिलना बड़ा कठिन हो गया था। हम यह चाहते थे कि इस का काम किसी तरह न रुकने पाये। हमने सबसे पहले इसको इसलिये चुना है ताकि हम इसके बारे में कोई शीघ्र कार्यवाही कर सकें।

†**श्री प्रभात कार** : इन सब फर्मों की विशेष स्थिति को जानते हुए भी सरकार अन्य फर्मों में जांच कराने के लिये इतना समय क्यों लगा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इसके उत्तर में यही दोहराना चाहूंगा कि इन सब मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

रहन-सहन के स्तर का निर्धारित किया जाना

***१४४५. श्री ब० प्र० सिंह** : क्या **योजना** मंत्री दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्याय २ की कंडिका ६(क) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के नागरिकों के रहन-सहन का कोई न्यूनतम स्तर निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

†**श्री नारयणन् कुट्टि मेनन** : मूल उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ कर सुनाया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री ब० प्र० सिंह : क्या यह सही है कि माननीय योजना मंत्री ने एक पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि यह विषय बहुत महत्व का है और इसको विचार के लिये बहुत बार रखा भी गया है, यदि हां, तो क्या कारण है कि इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : निस्संदेह यह प्रश्न बहुत महत्व का है और हमने योजना में इसके बारे में कई जगह पर जिक्र भी किया है । लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हम इसको किस तरह से हासिल करें, उसके लिये हमने कुछ सुझाव भी दिये हैं । लेकिन किसी भी देश में कोई स्तर कायम किया गया हो, इस तरह की बात नहीं हुई है क्योंकि हालात बदलते जाते हैं उनके मुताबिक स्तर भी ऊंचा उठता जाता है ।

श्री ब० प्र० सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में निर्णय किए बिना आर्थिक विषमता और बेकारी की समस्या दूर की जा सकती है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : यह ठीक है कि एक तरह से माननीय सदस्य ने यह विचारणीय प्रश्न उठाया है । लेकिन इसका सम्बन्ध तो जीवन माप से है, जीवन स्तर से है । लेकिन हम लोगों ने अपनी योजना में कहा है कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिये रोजगार के अवसर पैदा किये जाने चाहियें और उसके साथ जीवन स्तर का क्या सम्बन्ध हो यह हम मिनिमम वेजेस वगैरह से किया करते हैं जोकि विभिन्न इंडस्ट्रीज में लागू होती हैं ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : यह समस्या क्या कभी नैशनल डिवेलेपमेंट काउंसिल में भी पेश की गई है और वहां पर इस पर क्या कभी कुछ बहस हुई है, यदि हां, तो कंसेंसस आव ओपिनियन वहां क्या था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्या० नं० मिश्र : राष्ट्रीय विकास परिषद् में प्रकारान्तर से इस समस्या पर विचार किया जाता रहा है। प्रकारान्तर यानी किस तरह से आमदनी बढ़ाई जाए किस तरह से रोजगार की सूरतें पैदा की जायें। लेकिन खास तौर पर यह विषय किसी समय उसके सामने उपस्थित नहीं हुआ है।

श्री स० म० बनर्जी : क्या माननीय उपमंत्री महोदय बतायेंगे कि मिनिमम लेवल आव लिविंग की परिभाषा उनकी दृष्टि में क्या है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : यही प्रश्न में पूछा गया है कि उसकी परिभाषा की जाए। हमने कठिनाइयां बतलाई हैं। उसकी परिभाषा करना मुश्किल होता है।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या मैं यह समझूं कि सरकार ने देश के नागरिकों की न्यूनतम आय के प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया है ?

श्री श्या० न० मिश्र : हमने कहा है कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़े और उसके साथ व्यक्ति की आमदनी बढ़े और वह तब बढ़ेगी जबकि उत्पादन हम बढ़ायेंगे, लोगों के लिए रोजेंगार की सूरतें पैदा करेंगे और विषमता वगैरह दूर करेंगे। ये सूरतें तो हमने कुछ बताई हैं।

†**श्री पु० र० पटेल :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार ने इस विषय पर कोई गौर किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता होती है और इस पर भी विचार किया गया है।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने रहन-सहन के स्तर की परिभाषा करने के लिये व उसको मापने के साधनों के बारे में विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है ? यदि हां, तो क्या भारत सरकार को उनसे कोई रिपोर्ट मिली है और सरकार ने उस पर क्या विचार किया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मैं ने ऐसी किसी रिपोर्ट के बारे में नहीं सुना है। मैं ने यह जानने की कोशिश भी की है कि क्या किसी अन्य देश में ऐसा न्यूनतम रहन-सहन का स्तर निर्धारित किया गया है। किन्तु जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं अधिक प्रगतिशील देशों में ज्यों ज्यों प्रगति होती जाती है, उनका जीवन स्तर बदलता जाता है। परन्तु वे लोग भी सामाजिक सुरक्षा उपायों द्वारा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जीवन स्तर अधिक नीचे न गिरने पाये।

†**डा० सुशीला नायर :** माननीय मंत्री महोदय को यह रिपोर्ट पुस्तकालय में मिल जायेगी। उस समिति में डा० वी० के० आर० वी० राव भारत के प्रतिनिधि बन कर गये थे। उस समिति की रिपोर्ट की एक जिल्द मैं ने पुस्तकालय में देखी थी। मैं केवल इतना जानना चाहती थी कि क्या सरकार ने उस रिपोर्ट पर कोई विचार किया है और उसके बारे में कोई निश्चय किया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** ये दो भिन्न भिन्न बातें हैं। एक प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य तथा कुशलता का ध्यान रखते हुए न्यूनतम रहन-सहन का स्तर निर्धारित करना। इस प्रकार के प्रयत्न कई बार किये गये हैं। जिस समिति का माननीय सदस्या ने उल्लेख किया है

†मूल अंग्रेजी में

उसमें भी इसी प्रकार का प्रयत्न किया गया था। हमारे पास उस समिति की रिपोर्ट है और हम अपने देश में भी इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक मजूरी के लिये न्यूनतम स्तर निश्चित करने का प्रश्न है, इसका निश्चय इस आधार पर किया जाता है कि किसी की न्यूनतम आवश्यकताएं कितनी होनी चाहियें। किन्तु यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है कि इस न्यूनतम स्तर को कहां तक लागू किया जा सकता है। मैं समझता हूं कदाचित् हम इन दोनों प्रश्नों को मिला रहे हैं।

श्री ब० प्र० सिंह : मंत्री महोदय ने १७ मई के पत्र में मुझ को लिखा कि यह विषय बहुत महत्व का है और इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है और उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया है तो क्या मैं जान सकता हूं कि कब तक उस पर अन्तिम निर्णय हो सकेगा ?

श्री श्या० नं० मिश्र: वह शायद उस पत्र की तरफ इशारा करते हैं कि जो पत्र उन्होंने माननीय योजना मंत्री को लिखा था लेकिन अभी बताया गया कि जहां तक आवश्यकताओं का सवाल है उनके आधार पर तो हम तसवीर बना सकते हैं किन्तु उस आधार पर जो तसवीर बनायें उस पर अमल कैसे करें, कठिनाई इस बारे में उठती है। यह "बीड बैस्ट" लेविल जो हो सकता है वह हम भी बना सकते हैं कंजम्पशन स्टैंडर्ड वगैरह के आधार पर लेकिन उस पर अमल कैसे करें इसके लिये कठिनाई है और इसलिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

†**श्री नन्दा** : हमारी योजनाओं का यही उद्देश्य है कि हम अपनी राष्ट्रीय न्यूनतम आय को पर्याप्त स्तर तक ऊंचा उठा सकें और एक आदर्श प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकें।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियां

+

*१४४६. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में रहने वालों को अधिक सुविधायें देने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये अभी हाल ही में एक स्थायी परामर्शदात्री समिति नियुक्त की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) इस समिति ने अब तक क्या कार्य किया है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभा की मेज पर विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११०]**

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से यह मालूम पड़ता है कि इस कमेटी में जो ८ व्यक्ति रक्खे गये हैं उनमें से केवल एक सज्जन गैर-सरकारी है, राजा गुलाब सिंह, वाइस प्रैसीडेण्ट, न्यू दिल्ली नगर-पालिका, मैं जानना चाहता हूं कि कम से कम दिल्ली के एम० पी० साहबान को जो कि उन इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो कर्मचारी उन इलाकों में रहते हैं उनके प्रतिनिधियों को इसमें क्यों नहीं लिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : ये सुविधाएं अधिकतम नगरपालिकाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं और इस समिति में नगरपालिका के एक प्रतिनिधि भी हैं।,

श्री भक्त दर्शन : विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि उस कमेटी के सदस्य मोती बाग, पश्चिमी विनय नगर और पूर्वी विनय नगर जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन व निरीक्षण करेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि जब कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के रहन सहन की हालत बहुत असन्तोषजनक है तो उन स्थानों का पहले निरीक्षण करके क्यों नहीं उनका सुधार किया जाता है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह बात समिति के स्वविवेक पर छोड़ दी जानी चाहिये। समिति का यह विचार है कि वह दिल्ली के इर्द गिर्द की सभी सरकारी बस्तियों का स्वयं दौरा करेगी। सबसे पहले वह ईस्ट विनय नगर, वैस्ट विनय नगर और मोती बाग की बस्तियों का भ्रमण करेगी।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण में यह कहा गया है कि यह सर्वेक्षण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है और सदस्य सभी स्थानों पर जायेंगे। क्या यह समिति उप समितियों में बट कर कार्य करेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक होगा, केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग हमें यह सूचना दे रहा है कि प्रत्येक स्थान पर क्या स्थिति है इसलिये सारी समिति ही विभिन्न स्थानों पर जायगी ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह समिति केवल उन लोगों को ही सुविधाएं देने के प्रश्न पर विचार करेगी जो कि पहले से सरकारी बस्तियों में रह रहे हैं अथवा यह समिति उन लोगों का 'आउट आफ टर्न' एलाटमेंट करने व मकान देने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : समिति का क्षेत्र उसके निर्देश पदों से सीमित है। उनके अनुसार वे केवल इसी बात की जांच कर सकते हैं कि वर्तमान वासियों को क्या-क्या कठिनाइयां हैं और उन्हें क्या क्या सुविधायें दी जा सकती हैं ?

अमेरिका से व्यापार

+

†*१४४७. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत से अमेरिका को भेजी जाने वाली वस्तुओं के निर्यात की दशा में कोई सुधार हुआ है ; और

(ख) क्या १९५६–५७ की तुलना में १९५७–५८ में अमेरिका से भारत आने वाली वस्तुओं के आयात म कुछ कमी हुई है ? ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) जी हां। कुछ वस्तुओं के निर्यात में सुधार हुआ है ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या यह सच है कि हमारे देश से अमेरिका को भेजे जाने वाले मैंगनीज़ के निर्यात में कमी हो गयी है तथा यह भी सच है कि यह कमी राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध प्रचार के कारण हुई है ? सरकार ने ऐसे गलत प्रचार के प्रभाव को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : माननीय सदस्य की धारणा सही नहीं है । अमेरिका को भेजे जाने वाले मैंगनीज़ के निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है, कमी नहीं ।

†**श्री दामानी** : क्या सरकार ने अमेरिका में भेजे गये औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल की सिफारिशों का अध्ययन किया है यदि हां तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : यह प्रश्न इस प्रश्न में से नहीं उत्पन्न होता है । यह एक गैर सरकारी प्रतिनिधि मंडल था जो कि भारतीय उद्योग व वाणिज्य चैम्बर की ओर से अमेरिका गया था ! इसलिये वही संस्था इस रिपोर्ट पर विचार कर सकती है वे कोई कार्यवाही कर सकती है । सरकार अपने रूप से यह विचार कर रही है कि इस दिशा में क्या किया जा सकता है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या अमेरिका को भेजी जाने वाली निर्मित वस्तुओं के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : जी नहीं । अमेरिका जाने वाली अधिकतर वस्तुयें या तो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जैसे काजू, काली मिर्च आदि अथवा कच्चे पदार्थ हैं जैसे चमड़ा तथा खालें कच्ची ऊन तथा मेगनीज़ अयस्क आदि ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री को ध्यान है कि कुछ ही दिन पहले खान मंत्री ने यह कहा था क्योंकि अमेरिका जाने वाले मैंगनीज़ का निर्यात काफी कम हो रहा है इसलिये अब मैंगनीज का खनन करने में कोई प्रेरणा नहीं दिखाई पड़ती है ।

†**श्री सतीशचन्द्र** : ऐसा हो सकता है । किन्तु पिछले वर्ष के दौरान में हमन अन्य वर्षों की तुलना में अमेरिका को अधिक मैंगनीज भेजा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों ने प्रश्न के (क) भाग में यह पूछा है कि क्या इस वर्ष कुछ सुधार हुआ है किन्तु माननीय मंत्री पिछले वर्ष के आंकड़े बता रहे हैं, प्रश्न यह है कि "क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में अमेरिका को भेजी जाने वाली भारतीय वस्तुओं के निर्यात में कुछ सुधार हुआ है ?" क्या माननीय मंत्री के पास इस वर्ष के आंकड़े हैं ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : इस वर्ष हमने ६,८०,००,००० रुपये के मैंगनीज़ का निर्यात किया है जबकि पिछले वर्ष मे हमने ४,२८,००,००० रुपय के मैंगनीज़ का निर्यात किया था ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या अमेरिका को जाने वाली हथकरघा उद्योग की वस्तुओं व अन्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये भी कोई यत्न किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : जी हां । प्रयत्न किया जा रहा है । किन्तु उसका फल कुछ दिनों बाद ही दिखाई देगा ।

†**श्री वें० प० नायर** : पिछले वर्ष हमारा अमेरिका से व्यापार सन्तुलन कितना था तथा उस से पहले वर्ष कितना था और इस विपरीत सन्तुलन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सतीशचन्द्र :** १९५५–५६ में हमारा आयात ८९,३०,००,००० रुपये का था और निर्यात ८३,१२,००,००० रुपये था। १९५६–५७ में १०५ करोड़ का आयात हुआ है और ९० करोड़ रुपये का निर्यात ।

खनिज उद्योग सन्था, नागपुर

†*१४४८. **श्री वि० च० शुक्ल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश की खनिज उद्योग सन्था, नागपुर, से इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि वहां की मैंगनीज़ खानों के मालिकों को राज्य के खान अधिकारियों से ऐसी खानों के बारे में कोई प्रमाणपत्र नहीं मिल रहा है जिन के अयस्कों में मैंगनीज़ की ४२ प्रतिशत से कम मात्रा होती है जैसे कि जुलाई १९५७ से जून, १९५८ की अवधि के मैंगनीज़ के निर्यात की नयी कोटा नीति में कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने सन्था द्वारा बताई गयी कठिनाइयों को दूर करने के लिये अपनी नीति में उचित परिवर्तन कर लिया है। इस सम्बन्ध में मैं और भी बता देना चाहता हूं कि हमने मैंगनीज़ पर सभी प्रतिबन्ध कल से हटा दिये हैं ।

प्रादेशिक लघु उद्योग संस्था, कलकत्ता

†*१४४९. **श्री घोषाल :**
श्री सुबिमन घोष :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के छोटे छोटे कारखानों ने प्रादेशिक लघु उद्योग सेवा संस्था, कलकत्ता से कोई प्रविधिक सहायता प्राप्त की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

†*१४५०. **श्री त० ब० विट्ठल राव:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक अभ्रक की खानों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम क्यों नहीं लागू किया गया है ;

(ख) यह वहां पर कब तक लागू हो जायगा ; और

(ग) जनवरी, १९५८ के अन्त तक इन खानों में कितने मजदूर काम कर रहे थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के समा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) तथा (ख). क्योंकि इस समय इस अधिनियम को अभ्रक की खानों में लागू करना उद्योग के हित की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा इसलिये इस विषय को एक साल के लिये उठा रखना बहतर समझा गया है।

(ग) नवीनतम जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। १९५६ में अभ्रक खानों में ३३९७३ मजदूर काम कर रहे थे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अधिनियम को इन खानों में कब तक लागू किया जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हम ने इस विषय को एक साल के लिये उठा रखा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : योजना आयोग ने कहा था कि भविष्य निधि अधिनियम को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल की अवधि में ही सब उद्योगों में लागू कर देना चाहिये। किन्तु अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू हो चुकी है और यह अधिनियम अब तक लागू नहीं किया गया है।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह सच है कि आयोग ने ऐसी सिफारिश की थी किन्तु यह देखते हुए कि अभ्रक एक निर्यात की वस्तु है तथा इस विषय में निर्यात संवर्धन परिषद् ने इस विषय पर विचार कर के यह निश्चय किया है कि अभ्रक की खानों में इस अधिनियम को कुछ और समय तक लागू नहीं किया जाये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्योंकि इन खानों में काफी दुर्घटनायें हो रही हैं इसलिये क्या वहां के खानों के मुख्य निरीक्षकों को हटाने का कोई विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न में कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या आन्ध्र प्रदेश के अभ्रक की खान के मालिक अथवा बिहार की खानों के मालिकों से सरकार को कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : अलग अलग राज्यों के लिये बताने के लिये मुझे पृथक् सूचना चाहिये।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कोयले की खानों का बन्द होना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. श्री पाणिग्रही** : : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ मार्च, १९५८ से झरिया और रानीगंज के कोयला क्षेत्रों में स्थित ३ कोयले की खानों में काम बन्द हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन खानों में अचानक काम बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रकार अचानक काम बन्द हो जाने के कारण कितने मजदूर बेकार हो गये हैं ; और

(घ) इन खानों में कब तक काम दुबारा चालू होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) विभिन्न खानों में भिन्न भिन्न भागों में सुरक्षा के कारणों से काम का बन्द हो जाना कोई असामान्य घटना नहीं है । कदाचित् माननीय सदस्य रानीपुर, जामा दोवा और भुलानबरारी की कोयला खानों में आंशिक रूप से बन्द होने वाले काम के बारे में जानना चाहते हैं ।

(ख) रानीपुर और जामादोवा की कोयले की खानों में रोशनदानों के पर्याप्त न होने तथा जलनशील गैस उइकट्ठी हो जाने के कारण काम बन्द करना पड़ा है और भुलानबरारी कोयले की खान में 'सीम' संख्या ११ व १२ में इसलिये काम बन्द करना पड़ा है क्योंकि वहां पर जलनशील गैस को रोकने के लिये उचित व्यवस्था नहीं थी और, वहां के सेफ्टी लैम्प बड़ी खराब अवस्था में थे और वहां पर खान को तोड़ने की विधि बड़ी खतरनाक थी ।

(ग) और (घ). रानीपुर की कोयले की खान में काम बन्द होने से ५०० व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है किन्तु इन में से अधिकतर लोगों को खान के दूसरे काम पर लगा दिया है । इस खान में १८ मार्च को फिर से सामान्य रूप से काम चालू हो गया है । जामादोवा कोयले की खान में १८०० व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा था । इन में से १३०० व्यक्तियों को २५ मार्च, १९५८ को अपने काम पर लगा दिया गया है । इस खान में शीघ्र ही सामान्य रूप से कार्य शुरू हो जायेगा । भुलानबरारी कोयले की खान में २५० व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है । जैसे ही खतरे के कारण—जिन का कि उल्लेख किया गया है—दूर हो जायेंगे वैसे ही वहां पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा ।

†**श्री पाणिग्रही** : खनन-निरीक्षक अन्तिम बार कब इन खानों को देखने के लिये गये थे और क्या उन्होंने इन खानों की स्थिति के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ?

†**श्री आबिद अली** : प्रतिवेदन प्राप्य नहीं है । यदि माननीय सदस्य पूर्व-सूचना दें तो जानकारी प्राप्त की जायेगी ।

†**श्री पाणिग्रही** : वह खानों को देखने के लिये अन्तिम बार कब गये थे ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : खानों के निरीक्षण के फलस्वरूप कुछ हिदायतें दी गई हैं और उन का पालन किया जा रहा है । यदि खानों के पिछले निरीक्षण के सम्बन्ध में जानकारी चाहिये तो हम जानकारी प्रदान कर सकते हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या जामादोवा कोयला खान के ५०० श्रमिकों को और दूसरी खान के २५० श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन काम बन्दी के समय मिलने वाले लाभों के तदनुरूप कोई लाभ दिये गये हैं ?

†**श्री नन्दा** : जी हां । वे इस मामले में भी लागू हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : जहां तक झरिया तथा रानीगंज क्षेत्रों का सम्बन्ध है क्या निरीक्षक से खानों की स्थिति के सम्बन्ध में कोई और प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था ?

†**श्री आबिद अली** : यदि माननीय सदस्य यह ब्यौरा जानना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में पूर्व-सूचना अपेक्षित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकिम आल्वा** : कल माननीय इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र में कोयला खानों की प्रगति तेज़ी से हो रही है। क्योंकि उस प्रकार की खानें इतने मितव्ययी ढंग से कार्य नहीं कर सकती हैं, इसलिये क्या इन खानों को सरकारी क्षेत्र में शामिल किये जाने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री आबिद अली** : इन खानों को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि इन खानों को सरकारी क्षेत्र में ले भी लिया जाये तो भी वही आकस्मिकतायें बनी रहेंगी।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

श्रमिक संघों के अभ्यावेदन

† १४३३. **श्री वाजपेयी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रमिक संघों से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि बन्द किये जाने वाले कारखानों में आस्तियों पर श्रमिकों के दावों की अपेक्षा अन्य बहुत से दायित्वों को वरीयता दी जाती है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का उचित विधान निर्मित करने का प्रस्ताव है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार का १९५६ के समवाय अधिनियम की धारा ५३० की उपधारा (१) के खंड (ख) में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि उस खंड में प्रयुक्त शब्द 'मजूरी' के क्षेत्र के अन्तर्गत, १९४७ के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय ५-क के उपबन्धों के अधीन किसी भी श्रमिक के सम्बन्ध में किसी भी देय प्रतिकर को सम्मिलित किया जाये।

मनीपुर के लिये भूमि सुधार विधेयक

†*१४३९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि योजना आयोग की सिफ़ारिशों पर मनी पुर के लिये एक विस्तृत भूमि सुधार विधेयक तैयार किया जा रहा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : जी, हां।

पहाड़ी क्षेत्र के गीतों का प्रसारण

†*१४४१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के स्टेशनों में पहाड़ी क्षेत्र के गीतों तथा नाटकों के प्रसारण के लिये कोई समय आवंटित किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो वे स्टेशन कौन से हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां ; यद्यपि माननीय सदस्य के प्रश्न का यथार्थ क्षेत्र स्पष्ट नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गोहाटी, रांची, नागपुर, इन्दौर-भोपाल, कटक, हैदराबाद, शिमला, दिल्ली, लखनऊ-इलाहाबाद, जम्मू, श्रीनगर तथा कभी कभी सभी स्टेशनों से ।

पंजाब में हस्तशिल्प का विकास

†*१४५१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प के विकास के लिये सरकार का पंजाब राज्य को कोई सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितनी रकम आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) तथा (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन पंजाब राज्य में हस्तशिल्प के विकास के लिये २५ लाख रुपये के कुल आवंटन की व्यवस्था है । जिस में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के खर्च की रकम शामिल है ; क्योंकि कुल वित्तीय स्थिति, राज्य द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के स्वरूप, कार्य में हुई प्रगित, आदि पर निर्भर रहते हुये वर्ष-वार आवंटन किये जाते हैं इसलिये इस चरण पर दोनों सरकारों का क्रमशः अंश निर्धारित नहीं किया जा सकता है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न सहायता की मंजूरी दी गई हैं :

	अनुदान	ऋण
	रु०	रु०
१९५६–५७	९५,१७५	५०,०००
१९५७–५८	२,०५,९६८	१,८६,५००

१९५८–५९ के लिये राज्य को केन्द्रीय सहायता के आवंटन की राशि अनुदान रूप में २.७५ लाख रुपये और ऋण रूप में २.०० लाख रुपये हैं ।

भारत-नेपाल व्यापार करार

*१४५२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रधान मंत्री** ५ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संशोधित भारत-नेपाल व्यापार करार के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** वर्तमान स्थिति यह है कि सभी बड़े बड़े सवाल तय कर लिये गये हैं और प्रक्रिया सम्बन्धी (प्रोसीजरल) कुछ मामले नेपाल सरकार के पास विचार के लिये भेज दिये गये हैं । उनके विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है । जब तक मामले को अन्तिम रूप न दे दिया जाय तब तक तबदीलीयों के बारे में बताना ठीक न होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-पाकिस्तान सीमा पर डाकू

† १४५३. { श्री वि० च० शुक्ल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर डाका डाल रहे डाकुओं के कुछ गिरोहों को पाकिस्तान सरकार द्वारा संरक्षण दिये जाने की निरंतर घटनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : राजस्थान सरकार ने प्रतिवेदित किया है कि उस समय जगमल सिंह के नेतृत्व में भारतीय डाकुओं का केवल एक गिरोह है जो पाकिस्तान क्षेत्र में शरण ले रहा है और भारतीय क्षेत्र में अपराध करने के लिये वहां से सरगर्मियां करता है ।

(ख) पाकिस्तान सरकार के पास विरोध प्रकट किये गये हैं ।

आणविक ईंधन निर्माण संयंत्र

†*१४५४. { श्री घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशक्ति आयोग द्वारा भारत में कोई आणविक ईंधन निर्माण संयंत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कहां पर ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) अणुशक्ति संस्थापन, ट्राम्बे ।

खानों के मुख्य निरीक्षक का प्रतिवेदन

†*१४५५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के लिये खानों के मुख्य निरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रकाशन में विलम्ब का कारण क्या है ;

(ख) क्या इसे शीघ्र छापने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इसके कब तक छपने की सम्भावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) खान प्रबन्धकों से सांख्यकी विवरणियां देर से प्राप्त हुई थीं और विलम्ब का यही मुख्य कारण था । केवल अगस्त, १९५७ में ही विवरणियों की अन्तिम किस्त प्राप्त हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) तथा (ग). प्रतिवेदन पहिले ही से छप रहा है और खान सम्बन्धी मुख्य निरीक्षक से इसे शीघ्र छापने की हिदायत की गई है ।

बिजली का सामान

१९६७. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी गवेषणा केन्द्रों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में बिजली के सामान की जांच की कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में निर्माताओं से कोई सुझाव प्राप्त हुये हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(घ) इस प्रणाली के ज़रिये जांच के लिये सरकारी संस्थाओं में क्या व्यवस्था है और यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो वह कब तक कर दी जायेगी ; और

(ङ) इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). जी, हां । कुछ विशिष्ट उद्योगों जैसे बिजली के लैम्प, रेडियो उपकरण, स्विचगियर, बिजली के पंखों तथा मोटरों आदि के सम्बन्ध में परीक्षण की सुविधायें जुटाने के लिये सुझाव आये हैं ।

(घ) सरकारी टैस्टहाउस, अलीपुर (कलकत्ता) ; नेशनल फिजीकल लेबोरेटरी, नयी दिल्ली; सेन्ट्रल इलैक्ट्रो-कैमीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कराइकुडी; सैण्ट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन, धनबाद और इसी तरह की अन्य संस्थाओं में बिजली की वस्तुओं जैसे पंखों, लैम्पों, मीटरों, बैटरियों, स्विचगीयरों आदि के परीक्षण का इन्तज़ाम है । कुछ और दिशाओं में अपनी गतिविधियां बढ़ाने की भी इनकी योजनायें हैं ।

(ङ) सरकारी टैस्ट हाऊस, अलीपुर में परीक्षण की अतिरिक्त सुविधाओं का इन्तज़ाम करने पर १० लाख रु० तक खर्च आने का अनुमान है । सैण्ट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन धनबाद की विस्तार योजनाओं पर २ से ३ लाख रु० तक का पूंजीगत खर्च आने की आशा है जिसमें उपकरण भी शामिल होंगे ।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

१९६८. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने किन-किन उद्योगों के विकास अथवा पुनरुत्थान के लिये अब तक अग्रिम केन्द्र खोले हैं, और

(ख) इन केन्द्रों में क्या कार्य किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें आवश्यक जानकारी दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १११]**

सरकारी कार्यालय में स्थान

१९६९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्यालयों को स्थान किस आधार पर दिया जाता है ;

(ख) (१) मंत्री, (२) उपमंत्री, (३) सचिव, (४) संयुक्त सचिव, (५) अतिरिक्त सचिव, (६) विशेष सचिव, (७) उप-सचिव, (८) अवर सचिव, (९) सेक्शन आफिसर, (१०) असिस्टेंट, (११) अपर डिवीज़न क्लर्क, (१२) लोअर डिवीज़न क्लर्क और दफ्तरी के लिये प्रत्येक कार्यालय में कितना स्थान दिया जाता है ; और

(ग) अन्य सामान रखने के लिये कितना स्थान दिया जाता है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क)तथा (ख). कार्यालय के लिये स्थान की आवश्यकता निम्नलिखित आधारों पर आंकी जाती है :

मन्त्री/उपमन्त्री	आवश्यकतानुसार
सचिव, सह-सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव, उपसचिव ।	प्रत्येक के लिये २६० वर्ग फुट
अवर सचिव	प्रत्येक के लिये १६० वर्ग फुट
अनुभाग अफसर, सहायक, उच्च-श्रेणी क्लर्क निम्न-श्रेणी क्लर्क और दफ्तरी	प्रत्येक के लिये ४० वर्ग फुट

स्थान की कुल आवश्यकता निर्धारित हो जाने के बाद आस्ति विभाग कुल स्थान सम्बन्धित कार्यालय को देता है। अपने विभाग अफसरों और अनुभागों को कितना स्थान दिया जाये, इसका निर्णय कार्यालय स्वयं करता है । इसलिए अफसरों और अनुभागों को दिये गये स्थान में बहुत विभिन्नता आ जाती है ।

(ग) लेखक वर्गीय कर्मचारियो के लिए आवश्यक स्थान के अलावा उसका १० प्रतिशत स्थान चालू रिकार्ड रखने के लिए दिया जाता है ।

राष्ट्रीय इमारत संस्था की पत्रिका

१९७०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इमारत संस्था की त्रैमासिक पत्रिका का हिन्दी संस्करण निकालने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो हिन्दी जानने वाले लोग भी इस संस्था में लाभ उठा सकें इसके लिये क्या किया जा रहा है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). जी, नहीं : पत्रिका को पूर्णतया: हिन्दी में प्रकाशित करना तुरन्त ही सम्भव नहीं है क्योंकि इसके विषय बहुत तकनीकी होते हैं । परन्तु इस संस्था के कुछ प्रकाशनों को हिन्दी में भी छापने की कार्यवाही की जा रही है ।

सरकारी कार्यालयों के लिये स्थान

१९७१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष १९५६–५७ में सरकारी कार्यालयों के लिये ४.७ लाख वर्ग फुट की जगह की जो कमी थी उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। और

(ख) यह कमी कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) इस समय ५.६७ लाख वर्ग फुट की कमी है। इस कमी को पूरी करने की योजना में सरकार ने ५ कई मंज़िलों वाली नई इमारतों को बनाने का कार्य क्रम हाथ में लिया है, और कुछ दफ्तरों को दिल्ली से बाहर भेजने का भी सुझाव है।

(ख) यह ठीक ठीक कह सकना सम्भव नहीं है कि सारी कमी कब तक पूरी हो जायेगी, क्योंकि यह बहुत कुछ मात्रा में समय समय पर उपलब्ध धन तथा आवश्यक निर्माण वस्तुओं जैसे इस्पात, सीमेंट आदि, पर निर्भर है।

ईंटों तथा टायलों के बनाने के बारे में संगोष्ठी

१९७२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईंटों तथा टाइलों के बनाने के बारे में कलकत्ते में फरवरी, १९५७ में हुई संगोष्ठी में कितने निर्माताओं, उपभोक्ताओं और शिल्पिकों ने भाग लिया ;

(ख) क्या संगोष्ठी का विवरण प्रकाशित हो चुका है ; और

(ग) क्या वह हिन्दी में उपलब्ध है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) संगोष्ठी में लगभग १५० प्रतिनिधियों ने जिनमें देश के विभिन्न भागों के इंजीनियर, वैज्ञानिक, सिरामिक विशेषज्ञ, तथा ईंटों और टाइलों के उत्पादक भी शामिल थे, भाग लिया था। इसके अलावा कई स्थानीय ईंटों के भट्टों के मालिकों ने भी वाद-विवाद में भाग लिया था।

(ख) और (ग). संगोष्ठी की कार्यवाही का विवरण अंग्रेजी में, तथा उसका एक सरल हिन्दी रूपान्तर भी, शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा।

कोयला खान-क्षेत्रों में खेल-कूद

१९७३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान क्षेत्रों में खेलों का प्रबन्ध करने के लिये कितनी समितियां बनाई गई हैं ;

(ख) १९५६–५७ में उन समितियों को कितना धन दिया गया और वह किस प्रकार व्यय किया गया ; और

(ग) इन समितियों के कितने श्रमिक सदस्य हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) कोयला क्षेत्र खेल-कूद समितियों की संख्या १२ है । इनके अलावा कई प्रादेशिक खेल-कूद समितियां भी हैं ।

(ख) ३४,०५० रुपये । यह धन अधिकांश रूप से इनाम और खेल-कूद सम्बन्धी दूसरे प्रबन्ध पर खर्च किया गया ।

(ग) कोई श्रमिक केन्द्रीय और प्रादेशिक कोयला क्षेत्र खेल-कूद समितियों का सदस्य नहीं । स्थानीय कोयला खान खेल-कूद समितयों का कोई श्रमिक सदस्य है या नहीं, इस बारे में सूचना प्राप्त नहीं ।

फरीदाबाद का प्रशासक

†**१९७४. श्री वें० प० नायर :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद का वर्तमान प्रशासक फरीदाबाद प्रशासन में सेवा करने से पूर्व चिकित्सा अधिकारी था ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान पद पर नियुक्त होने से पूर्व वह सौराष्ट्र सरकार में किसी पद पर नियुक्त था और यदि हां, तो उसकी सेवायें किस प्रकार खत्म हुई थीं ;

(ग) वर्तमान पद पर उसे कब और किसने नियुक्त किया था ;

(च) उसकी वर्तमान कुल आमदनी कितनी है ; और

(ङ) क्या इस पद के चुनाव के लिये कोई विज्ञापन दिया गया था या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव किया गया था ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** :(क) तथा (ख). फ़रीदाबाद विकास बोर्ड के प्रशासक कर्नल के० राय फ़रीदाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाने से पूर्व भूतपूर्व सौराष्ट्र राज्य में जेलों के महानिरीक्षक तथा चिकित्सा सेवाओं के निदेशक के पद पर नियुक्त थे । राज्य सरकार के अधीन सेवा करते समय उनकी आयु अतिवयस्कता सीमा तक पहुंच गई थी परन्तु कुछ समय के लिये उन्हें पुनः नियोजित किया गया था ।

(ग) जून, १९५३ में कर्नल राय को फ़रीदाबाद प्रशासन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया था । मार्च, १९५४ में इस पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त उन्हें प्रशासक के पद का भार भी सौंपा गया था । जुलाई, १९५७ में उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्यों से हटा कर प्रशासक नियुक्त किया गया था ।

(घ) वेतन १३०० रुपये प्रतिमास
पेन्शन ४७५ रुपये प्रतिमास ।

जोड़ १७७५ रुपये प्रतिमास

(ङ) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अमृतसर (पंजाब) में कपड़े के कारखानों का बन्द किया जाना

†१९७५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर में कपड़े के कितने कारखाने बन्द किये गये हैं ;

(ख) उन्हें बन्द करने का कारण क्या है ; और

(ग) उन्हें बन्द करने से कितने व्यक्ति बेरोज़गार हो गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) एक सूती वस्त्र कारखाना तथा एक ऊनी वस्त्र कारखाना ।

(ख) सूती वस्त्र के कारखाने के मामले में कारखाना घाटे पर चल रहा था और ऊनी वस्त्र के कारखाने के मामले में कुछ आन्तरिक कठिनाइयां थीं ।

(ग) १७६ ।

औद्योगिक विवाद

†१९७६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में उपक्रमों में उत्पन्न विवादों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा समझौते की कुल कितनी कार्यवाहियां की गई थी ;

(ख) इसी अवधि में कुल कितने विवादों का निबटारा किया गया था ; और

(ग) इसी अवधि में कुल कितने विवाद न्याय-निर्णयन के लिये निर्दिष्ट किये गये थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) २२९९ ।

(ख) १३७२ ।

(ग) ५८ ।

बिजली के पंखे और रेडियो सेट

†१९७७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में भारत में कुल कितने बिजली के पंखे और रेडियो सेट निर्मित किये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५७–५८ में (अप्रैल, १९५७ से फरवरी, १९५८ तक) बड़े पैमाने के निर्माणकारी क्षेत्र में इकाइयों द्वारा ५०८,३७१ बिजली के पंखे और १७९,०७५ रेडियो सैट निर्मित किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली का काम दिलाऊ दफ्तर

†१९७८. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर में पूर्वी पाकिस्तान से आये जिन विस्थापित व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीबद्ध करवाये थे उन्हें इन्टरव्यू के लिये बुलाने के सम्बन्ध में कुछ जो प्राथमिकतायें दी जाती थीं वे हाल ही में हटा ली गई हैं ; और

(ख) यदि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है तो क्या उस में परिवर्तन किया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) तथा (ख). पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को पूर्वी ज़ोन से बाहर केन्द्रीय सरकार के विभागों में छः महीने के आधार पर नियोजन के लिये भारत सरकार ने तृतीय प्राथमिकता देती रही है। अन्तिम अवधि ८ फरवरी, १९५८ को समाप्त हो गई थी। अब इन आदेशों को और छः महीनों के लिये ८ अगस्त, १९५८ तक बढ़ा दिया गया है ।

निष्क्राम्य सम्पत्ति

†१९७९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों द्वारा कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति छोड़ी गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : अनुमान है कि कृषि भूमि के अतिरिक्त भारत में अन्य निष्क्राम्य सम्पत्ति का मूल्य १०० करोड़ रुपये से कम है। पंजाब में निष्क्राम्य सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश का खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†१९८०. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में आन्ध्र प्रदेश के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को सरकारी सहायता अथवा ऋण रूप में कुल कितनी रकम दी गई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : पुनर्गठित आन्ध्र प्रदेश के लिये अभी कोई संविहित राज्य बोर्ड गठित नहीं किया गया है। भूतपूर्व हैदराबाद सरकार द्वारा गठित संविहित बोर्ड, पुनर्गठित राज्य के तेलंगाना क्षेत्र के लिये कार्य करता है और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुदान तथा ऋण प्राप्त करता है। १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में (२० मार्च, १९५८ तक) बोर्ड को निम्न रकमें दी गई थीं :—

	१९५६–५७	१९५७–५८
	रु०	रु०
अनुदान	१०,२९,२१३	६,००,९३४
ऋण	१७,२५,५००	२,७२,०००

शेष राज्य के लिये एक मंत्रणा बोर्ड है। इस क्षेत्र में लागू की जाने वाली योजनाओं के लिये अपेक्षित रकमों की मंजूरी राज्य सरकार तथा अन्य अभिकरणों को दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†१९८१. **श्री तंगामणि :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें दिखाया गया हो कि १९५७–५८ में कर्मचारी राज्य-बीमा योजना के अधीन मद्रास राज्य में क्षेत्र-वार श्रमिकों तथा नियोजकों द्वारा पृथक् रूप से कुल कितनी रकम दी गई थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** प्राप्य जानकारी के अनुसार पुराने मद्रास क्षेत्र में, जिस में आन्ध्र, हैदराबाद, त्रावन्कोर-कोचीन, कुर्ग, मद्रास और मैसूर के भूतपूर्व राज्य थे, १-४-५७ से ३०-६-५७ तक श्रमिकों तथा नियोजकों द्वारा क्रमशः १०,४०,१८५ रुपये और ९,११,४१० रुपये दिये गये थे। १-७-५७ से ३१-१२-५७ तक मद्रास राज्य में श्रमिकों तथा नियोजकों द्वारा क्रमशः १७,९७,५१९ रुपये और १४,९०,४११ रुपये दिये गये थे।

दियासलाई कुटीर कारखाना

†१९८२. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में किन स्थानों पर दियासलाई के कुटीर कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का दियासलाई के ४६१ कारखाने स्थापित करने के लिये एक कार्यक्रम है। इन कारखानों का राज्य-वार आवंटन इस प्रकार है :—

१.	आन्ध्र प्रदेश	८२
२.	आसाम	१५
३.	बिहार	३५
४.	बम्बई	८६
५.	केरल	६५
६.	मध्य प्रदेश	२८
७.	मद्रास	२६
८.	मैसूर	३२
९.	उड़ीसा	५
१०.	पंजाब	११
११.	राजस्थान	१२
१२.	उत्तर प्रदेश	६३
१३.	पश्चिमी बंगाल	१
	योग	४६१

लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें इन ४६१ कारखानों में से पहिले से स्थापित किये जा चुके ७२ कारखानों के स्थान दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११२]**। आशा है कि शेष कुछ कारखाने १९५८–५९ में स्थापित किये जायेंगे। तथापि यह बताना सम्भव नहीं है कि जिन कारखानों को अभी स्थापित किया जाना है उन कारखानों की यथार्थ संख्या

†मूल अंग्रेज़ी में

कितनी होगी और वे कहां पर स्थित होंगे । इसका कारण यह है कि जगहों का चुनाव, इमारतों का निर्माण, कारखानों को चलाने के लिये लाइसेंसों की प्राप्ति तथा रसायनों और कच्चे माल को खरीदने जैसी बहुत सी प्रारम्भिक बातों को सर्व प्रथम पूरा करना होगा ।

अलौह धातुयें

श्री नौशीर भरूचा :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैनेडा ने कोलम्बो योजना के अधीन १९५८ में भारत को १०,००० टन अल्यूमिनियम और २,५०० टन तांबा देना अब अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) इन बातों के सम्बन्ध में निबन्धन क्या है :—

(१) मूल्य ; (२) नकद भुगतान या उधार ; (३) माल के भुगतान की अवधियां ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) कैनेडा सरकार के साथ अब यह तय पाया है कि कैनेडा से १०,००० टन अल्यूमिनियम, ७,५०० टन तांबा तथा ५०० टन निकल के आयात का वित्त प्रबन्ध कोलम्बो योजना के द्वारा किया जायेगा ।

(ख) (१) धातुओं की ऊपर बताई गई मात्राओं के लिये निधियों का आवंटन इन धातुओं के वर्तमान मूल्यों के आधार पर किया गया है । यदि दामों में वृद्धि हुई तो हो सकता है ५.७५ करोड़ रुपये के कुल आवंटन से अधिक खर्च न किये जाने के लिये, दी जाने वाली धातुओं की मात्राओं में कुछ फेर बदल करनी पड़े । इन धातुओं के जिन वास्तविक उपयोक्ताओं को इन धातुओं के आयात की इजाजत दी जायेगी उन्हें यह वरणाधिकार दिया गया है कि या तो वे जहाज से माल भेजे जाने के महीने के लिये औसत लन्दन **मैटल** एक्सचेंज मूल्य के आधार पर मूल्यों का संकेत करें या जहाज से माल भेजे जाने की तिथि पर प्रर्तमान लन्दन मैटल एक्सचेंज मूल्यों को चुनें । तथापि सम्भरण के लिये आर्डर अनुमोदित करने से पूर्व कैनेडा सरकार इस संबंध में अपनी संतुष्टि करेगी कि सामग्री के लिये कैनेडा के माल देने वालों का मूल्य उचित है और बाजार के भावों से अधिक नहीं है ।

(२) जो वास्तविक उपयोक्ता इन धातुओं का आयात करेंगे उन्हें नई दिल्ली के भारत के राज्य बैंक में खोले जाने वाले कैनेडा सरकार के लेखे में, कैनेडा के माल देने वालों को ओटावा के कोलम्बो योजना प्रशासन द्वारा दिये गये सामान के एफ. ए. एस. दाम के बराबर रुपया जमा कराना होगा । आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बम्बई के भारत रक्षित बैंक से माल भेजने की तिथि पर कैनेडा के डालर की विक्रय-दर अभिनिश्चत की जायेगी और वही विनिमय-दर होगी ।

(३) यथासम्भव शीघ्र ही इन धातुओं के आयात का कार्य पूरा किया जायेगा ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्राइवेट लिमिटेड

†१९८४. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्राइवेट लिमिटेड के अधीन कार्य कर रही इकाइयों की संख्या कितनी है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इन इकाइयों पर प्रति वर्ष कितनी रकम खर्च की जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) अप्रैल, १९५७ से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के अधीन प्रत्येक पर एक एक अर्थात कुल चार सहायक निगम कृत्यकारी हैं ।

(ख) सहायक निगमों के लेखों की लेखा परीक्षा की जा रही है और इस प्रक्रम पर इन निगमों पर किये गये खर्च के आंकड़े प्राप्य नहीं हैं ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति

†१९८५. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या **पुनर्वास और अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उन में से कितने व्यक्ति पुनर्वासित किये जा चुके हैं ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जायेगा ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** :(क) दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की कुल प्राक्कलित संख्या ५·०१ लाख है। पुरानी दिल्ली तथा नई दिल्ली के लिय पृथक रूप से आंकड़े नहीं रखे गये हैं ।

(ख) तथा (ग). मंत्रालय के विचार में वे सभी व्यक्ति पुनर्वासित किये जा चुके हैं जिन्हें पुनर्वास के लिये सहायता की आवश्यकता थी। दिल्ली में बहुत से विस्थापित दावेदारों को प्रतिकर भी दिया जा चुका है और शेष व्यक्तियों को प्रतिकर की अदायगी से यदि कोई समस्या शेष है तो उस का भी समाधान हो जायेगा ।

श्रमिक विवाद

†१९८६. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९५८ को विभिन्न न्यायाधिकरणों के समक्ष लम्बित श्रमिक विवाद मामलों की संख्या कितनी थी;

(ख) वे किन तिथियों से लम्बित हैं; और

(ग) विलम्ब के लिये कारण क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). अधिकांश न्यायाधिकरण राज्यों के क्षेत्र में हैं और जानकारी प्राप्य नहीं है । जानकारी एकत्रित करने में जितना समय तथा मेहनत लगेगी वह प्राप्त होने वाले परिणामों की तुलना में कहीं अधिक होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यायाधिकरणों के पंचाट

†१९८७. **{श्री स० म० बनर्जी : / श्री प्रभात कार :}**

†क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५१ से ३१ मार्च, १९५७ तक के समय में विभिन्न श्रमिक समस्याओं के संबंध में भिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा कुल कितने पंचाट दिये गये थे; और

(ख) कितने पंचाट कार्यान्वित किये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तथा (ख). जानकारी प्राप्य नहीं है और इसे एकत्रित करने में जितना समय और मेहनत लगेगी वह प्राप्य होने वाले परिणामों की तुलना में कहीं अधिक होगी ।

सिंचाई योजनायें

†**१९८८. श्री इलयापेरुमाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये कोई नयी सिंचाई योजनायें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनायें कौन सी हैं;

(ग) योजनाओं पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). योजनायें और उन की अनुमानित लागत इस प्रकार है: —

योजनायें	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अनुमानित लागत लाख रुपये
१. कन्याकुमारी जिले में माध्यमिक सिंचाई योजनायें	१६.०४०
२. विशेष छोटी सिंचाई योजनायें	३५.०००
३. पम्पिग सेटों का क्रयावक्रय	१५.०००
४. तेल इंजनों का भाड़े पर संभरण*	०.३७५
५. छोटी जलनिस्सारण योजनायें *	०.०१०
कुल	६६.४२५

(घ) उपरोक्त सब योजनायें स्वीकार कर ली गयीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*लक्षित धनराशि १९५७–५८ में आवंटित की गयी थी और १९५८–५९ के लिये कोई धन नहीं मांगा गया है ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में सड़कें

†१९८९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कितने मील लम्बी सड़कें बनायी गयीं ; और

(ख) उन पर कितना धन खर्च हुआ ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) ९१ मील लगभग ।

(ख) ७·३८ लाख रुपये लगभग ।

आकाशवाणी का गीत तथा नाटक विभाग

†१९९०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ के लिये आकाशवाणी के गीत तथा नाटक विभाग के लिये क्या बजट उपबन्ध किया गया है;

(ख) १९५७–५८ में विभाग ने वास्तव में कितना धन खर्च किया; और

(ग) मदवार, व्यय का क्या ब्यौरा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** :

उपशीर्ष	वर्ष १९५७–५८ के लिये बजट उपबन्ध	१९५७–५८ में (जनवरी, १९५८ तक) वास्तव में खर्च किया गया धन
	रुपये	रुपय
पदाधिकारियों का वेतन	२३,०००	२०,४७८
कर्मचारीवर्ग का वेतन	११,०००	१६,५४५
भत्ता और मानदेय इत्यादि	२१,०००	१७,८४०
कलाकारों को भत्ते	२५,०००	१५,७८४
अन्य खर्चे	४,७०,०००	२,१९,०४७
योग . .	५,५०,०००	२,८९,६९४

हिमाचल प्रदेश में मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र

१९९१. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में मिट्टी के बर्तन बनाने के कितने प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र हैं,

(ख) इन केन्द्रों में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं;

(ग) इन केन्द्रों में क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं;

(घ) इन केन्द्रों की आय तथा व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष १९५७-५८ में कितने केन्द्र चालू किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) एक केन्द्र ।

(ख) आठ व्यक्ति ।

(ग) फूलदान, खिलौने, टी-सैट, गोलाकार कोन जोड़, तथा लो टैन्सन इन्सुलेटर ।

(घ) इस केन्द्र की आय तथा व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	आय	व्यय
१. १९५५–५६	४,२६५ रु०	४२,९४६ रु०
२. १९५६-५७	३,५१७—५ आ०	२३,१३१—६ आ०
३. १९५७–५८ (फरवरी १९५८ के मध्य तक)	१,३५४·२५ रु०	१६,१४५·१६ रु०

(ङ) कोई भी नहीं ।

हिमाचल प्रदेश में धातु प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र

१९९२. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने धातु प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों में कितने प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) इन केन्द्रों की आय और व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष १९५७–५८ में कितने केन्द्र खोले गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) एक केन्द्र ।

(ख) ६ प्रशिक्षार्थी ।

(ग) अप्रैल से दिसम्बर १९५७ तक के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

आय	४,८९१ रु०
व्यय	१३,६६१ रु०

(घ) कोई भी नहीं ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†**१९९३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उत्पादन योजनाओं के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों को अब तक कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) गैर-सरकारी छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता के लिये आज तक कितनी धनराशि मंजूर की गयी;

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम समेत सरकारी लघु संगठनों को चलाने के लिये १९५७–५८ के लिये खर्चे के लिये आयव्ययक में कितने धन की व्यवस्था की गयी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में अनुमानित उत्पादन वृद्धि के अनुकूल खर्च और विनियोजन (सरकारी या गैर-सरकारी) करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). १९५४–५५ से अब तक राज्य सरकारों को उत्पादन योजनाओं के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये २६१.७३ लाख रुपये (अनुदान २७·२७ लाख रुपये, ऋण २३४·४६ लाख रुपये) की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली उत्पादन योजनाओं के लिये भी ४५,४६,७१५ रुपये का खर्च मंजूर किया गया है ।

(ख) साधारणतः केन्द्रीय सरकार पक्षों को सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है। ऐसी सहायता उद्योगों को राज्य-सहायता अधिनियम या उस समय लागू अन्य विनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। १९५४–५५ से आज तक राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिये ६०४·२४ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है ।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ११३]**

(घ) सरकार द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप इस प्रक्रम पर छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि बताना सम्भव नहीं है । तथापि यह आशा की जाती है कि छोटे पैमाने के उद्योगों में विकास की गति संतोषजनक है और सामान्यतः योजनाओं में विनियोजित धन और उन पर किये गये खर्च के अनुरूप है । इस से भी अधिक यह कहा जा सकता है कि इस ने समूचे देश में छोटे पैमाने के उद्योगों के सर्वांगीण विकास में सहयोग दिया है ।

उपक्षार[1] का आयात

†१९९४. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कब से उपक्षार का भारत में आयात किया जा रहा है;

(ख) भारत के राज्य-व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा इसका आयात करने से पहले भारत में इसका क्या खुदरा मूल्य था; और

(ग) राज्य-व्यापार निगम द्वारा इस का आयात करने के बाद इस का क्या खुदरा मूल्य था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) पर्याप्त समय से (१५ वर्ष से भी ऊपर से) ।

(ख) ३४५ रुपये ।

(ग) आसाम को छोड़ कर सब राज्यों में ३४५ रुपये जहां कि यह ३३५ रुपये प्रति टन की दर से बेचा जाता है ।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†१९९५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये रखे २०० करोड़ रुपयों में से पंजाब को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Chilean Nitrate.

(ख) इस कार्य के लिये पंजाब में कितना धन पहले ही खर्च किया जा चुका है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) समूचे देश के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ६१ करोड़ रुपयों में से ४·५३ करोड़ रुपये (छोटे पैमाने के उद्योगों की योजनाओं के लिये : ३७५·०० लाख रुपये; औद्योगिक बस्तियों के लिये : ७८·०० लाख रुपये) ।

(ख) १९५६–५७ और १९५७–५८ के दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का अनुमान १२४·०७ लाख रुपये है ।

साइकल के टायर और ट्यूब

१९९६. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से आज तक वर्षवार भारत में विभिन्न कम्पनियों द्वारा कितने साइकल के टायर और ट्यूब तैयार किये गये ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में साइकल के टायर और ट्यूब के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) वर्तमान उत्पादन के आधार पर कितने टायर और ट्यूब की आवश्यकता होगी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में साइकिलों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) सूचना निम्न प्रकार है :—

	टायर	ट्यूब
१९५१	३९४१२३८	४८९७२१०
१९५२	४१८९५६०	४१६६५८१
१९५३	४६४५०२५	४६००६९८
१९५४	५२२६००५	५५७६९९१
१९५५	५७४८१००	५५९३७७७
१९५६	६३१८९१०	६३७३२१६
१९५७	७१५२१९५	७०२७८२५

(ख) साइकिल के २ करोड़ टायर और इतने ही ट्यूब ।

(ग) इस समय देश में साइकिल के टायरों और ट्यूबों में से प्रत्येक की मांग का अनुमान ९० लाख वार्षिक है । १९६०–६१ तक प्रत्येक की मांग बढ़ कर १·६० करोड़ तक हो जाने की आशा है ।

साइकल के टायर और ट्यूब

१९९७. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दामानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१ से १९५८ तक अब तक प्रतिवर्ष साइकिल के टायर और ट्यूब का विक्रय मूल्य क्या रहा है;

(ख) ये चीजें बाजार में उपभोक्ताओं को किस भाव पर मिलती हैं; और

(ग) सरकार द्वारा निश्चित दर पर उपभोक्ताओं को टायर और ट्यूब उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) मूल्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

देश में बने टायरों (डनलप बेट्स और फायरस्टोन रोडमास्टर) तथा ट्यूबों के "सूची मूल्य" १९५१ से १९५७ तक निम्नानुसार थे :—

वर्ष	टायर		ट्यूब	
	रु०	आ०	रु०	आ०
१९५१	६	४	३	४
१९५२	५	१२	२	८
१९५३	५	४	२	८
१९५४	५	२	२	७
१९५५	४	१०	२	३
१९५६	५	७	२	३
१९५७	४	६२ न० पै०	२	१९ न० पै०

चालू मूल्य वही हैं जो १९५७ में थे ।

(ख) और (ग). निर्माता तो यही आशा करते हैं कि विक्रेता साइकिल के टायर और ट्यूबों को सूची में दिय गये भावों पर बेचेगें । लेकिन चूंकि माल काफी नहीं होता है, इसलिये सरकार साइकिल के टायरों और ट्यूबों (तथा रोजमर्रा के काम आने वाली दूसरी महत्वपूर्ण चीजों) के भावों के रुख पर निगाह रखती आ रही है और स्थितियों के अनुसार जो संभव होता है, रोकथाम करने के कदम उठाती है । चूंकि सूची में दिये गये भाव से अधिक दाम पर साइकिल के टायर बिकने के कुछ मामलों का पता सरकार को चला है, सलिये उसने निर्माताओं को यह पक्का कर लेने की सलाह दी है कि विक्रेता सूची में दिये गये भावों से अधिक दाम न ले सकें । इसके साथ ही पुराने आयातकों का कोटा बढ़ा दिया गया है जिससे अधिक माल मिल सके । देश में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से वर्तमान कारखानों को अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की मंजूरी दे दी गयी है । इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

राजस्थान में विस्थापित किसान

†**१९९८. श्री शोभा राम** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के 'मत्स्य विभाग' में विस्थापित किसानों से किराये के रूप मे जो धन लिया जाता है वह राज्य सरकार द्वारा गैर-निष्क्रान्त कृषि भूमि पर स्थानीय किसानों से लिये जाने वाले भू-राजस्व से अधिक है; और

(ख) क्या सरकार किराये को भू-राजस्व के बराबर लेने के लिये अवेक्षा कर रही है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और कुछ समय बाद सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

बन्दरों का निर्यात

†**१९९९. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्दरों का निर्यात करने के लिये जिन चार साथों को लाइसेंस दिये हैं, उनमें से तीन विदेशी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इन सार्थों के भारत में रहने वाले विदेशियों के प्राक्चरित के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) भारतीय सार्थों की अपेक्षा इन सार्थों को लाइसेंस दिय जाने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं। केवल एक सार्थ के एक निदेशक विदेशी हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उन सब सार्थों को जो अनुमोदित आयातक होने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरा करती हैं, बन्दरों के निर्यात करने के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं ।

दुभाषिये

२०००. श्री क० भे० मालवीय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावासों आदि में काम करने वाले सभी दुभाषिये भारतीय हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उनमें कितने गैर-भारतीय हैं;

(ग) सभी दुभाषियें भारतीय हों, इसके लिये क्या सरकार कोई कदम उठाना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो कब और उनका स्वरूप क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ७३ ।

(ग) यह न तो व्यावहारिक है और न जरूरी कि सभी भारतीय मिशनों में भारतीय दुभाषिये ही हों। बहरहाल, हमने जिन सात देशों में भारतीय दुभाषिये नियुक्त किये हैं, वे हैं : अफगानिस्तान, कम्बोडिया, चीन, ईरान, लाओस, तिब्बत और मैक्सिको। इन स्थानों में काम की मात्रा और उस के स्वरूप या किफायत के लिहाज से भारतीय राष्ट्रिकों (नेशनल्स) का रखना उचित है ।

(घ) यह सवाल नहीं उठता ।

श्रमिकों के लिये औषधालय[1]

†**२००१. पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र में सब कोयला खान मालिक अपने श्रमिकों के लाभ के लिये औषधालय रखते हैं;

(ख) क्या इन औषधालयों का एक वर्ष में एक बार भी निरीक्षण नहीं होता है;

(ग) १९५६–५७ और १९५७–५८ मे ऐसे कितने औषधालयों का निरीक्षण किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dispensaries

(घ) कितने औषधालयों को स्तर पर नहीं पाया गया; और

(ङ) उनका स्तर ऊंचा उठाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) संवैधानिक रूप से कोयला खान मालिकों को अपने श्रमिकों के लाभ के लिये औषधालय रखने के लिये नहीं कहा जा सकता है । अतः यह बताना संभव नहीं है कि वे सब औषधालय रखते हैं या नहीं ।

(ख) कोयला खान कल्याण निधि संगठन के चिकित्सा पदाधिकारी केवल उन ही कोयला खान औषधालयों का निरीक्षण करते जो निधि से सहायक अनुदान का आवेदन करते हैं । झरिया और हजारीबाग खान स्वास्थ्य बोर्ड के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी और आसनसोल खान स्वास्थ्य बोर्ड के मुख्य सफाई पदाधिकारी भी अपने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोयला खान औषधालयों का उनकी उपविधि में निर्धारित स्तर के अनुसार होने के लिये निरीक्षण करते हैं ।

(ग) सहायक अनुदान के लिये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में कोयला खान श्रम कल्याण निधि संगठन के चिकित्सा पदाधिकारियों ने १९५६–५७ में तीस और १९५७–५८ में तीस औषधालयों का निरीक्षण किया ।

(घ) १९५६–५७ २

१९५७–५८ जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) निर्धारित स्तर पर औषधालय सेवा वाली कोयला खानों को सहायक अनुदान दिया जाता है । वर्तमान औषधालयों को कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियमों में निर्धारित स्तर पर लाने के लिये कोयला खान मालिकों को बिना ब्याज के ऋण दिये जाने की भी मंजूरी दी गयी है ।

भारत सेवक समाज द्वारा प्रचार कार्य

२००२. **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री ह० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रचार के लिये कोई सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ;

(ग) योजनाकाल के लिये अब तक प्रतिवर्ष कितनी सहायता दी गयी;

(घ) क्या सरकार ने भारत सेवक समाज को कानपुर में हुए उसके गत वार्षिक अधिवेशन के लिये कोई सहायता दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) नकद सहायता और योजना सम्बन्धी मुफ्त प्रचार सामग्री ।

---

†मूल अंगेजी में

(ग) १९५६–५७ में २·८४ लाख रुपये और १९५७–५८ में ३·७० लाख रुपये।

(घ) कानपुर अधिवेशन के लिये इस मन्त्रालय की ओर से कोई मदद नहीं दी गई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में चाय बागान

†२००३. **श्री दशरथ देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कुल कितने चाय बागान हैं और बागान के अन्तर्गत कितनी भूमि है ;

(ख) इनमें प्रत्येक चाय बागान कहां पर स्थित हैं और उन बागानों के अन्तर्गत कितनी भमि है;

(ग) प्रत्येक चाय बागान में वर्ष भर तक कितने श्रमिक नियोजित रहते हैं और "सीजन" में कितने श्रमिक नियोजित रहते हैं;

(घ) प्रत्येक का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन है ;

(ङ) क्या इन बागानों में श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी दर और सुविधायें दी जाती हैं; और

(च) यदि नहीं. तो क्या कठिनाइयां हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (च). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, पनुबन्ध संख्या ११४].**

त्रिपुरा में बीड़ी कारखाने

†२००४. **श्री दशरथ देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में बीड़ी कारखानों की कितनी संख्या है; और

(ख) उनमें कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १४।

(ख) २६७।

मुख्य श्रम आयुक्त के कल्याण सलाहकार

†२००५. **श्री साधूराम** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य श्रम आयुक्त के कल्याण सलाहकार के क्या कृत्य हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५७–५८ में कल्याण सलाहकार और ऐसे ही अन्य पदाधिकारियों को यात्रा भत्ते के रूप में कितना भुगतान किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि मुख्य श्रम आयुक्त के कल्याण सलाहकार को संघ लोक सेवा आयोग ने प्रादेशिक श्रम आयुक्त के पद के लिये अस्वीकार कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो किन विशेष अर्हताओं पर उनको कल्याण सलाहकार नियुक्त किया गया जब कि यह एक टेक्निकल पद है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) उनका काम मुख्य श्रम आयुक्त को श्रम कल्याण विषयों में सलाह देना और केन्द्रीय उपक्रमों में कल्याण उपायों के पर्यवेक्षण में सहायता करना है।

(ख) ९५९ रुपये ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान कल्याण सलाहकार पदधारी वरिष्ठतम संराधन[1] पदाधिकारी है। अन्यों के साथ संराधन-पदाधिकारी इस पद पर पदोन्नति के लिये विचार किये जाने के पात्र हैं। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चुनाव किये जाने तक इनको अस्थायी रूप से इस पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

नमक

†२००६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कांगड़ा जिले में प्रतिवर्ष कितने नमक का उत्पादन होता है और वहां से कितने नमक का निर्यात किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: पंजाब के कांगड़ा जिले में कुछ भी नमक का उत्पादन नहीं होता है। पिछले ३ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में मन्डी के स्थान से नमक खानों में उत्पादन किये गये और वहां से निर्गमित नमक की मात्रा निम्न प्रकार थी:—

वर्ष	उत्पादन	निर्गम
	(हजार मनों में)	(हजार मनों में)
१९५५	१४४	१४६
१९५६	९६	९१
१९५७	११८	१०७
१९५८ (फरवरी तक)	२८	१४

साधारणतः उत्पादन का दो-तिहाई भाग का हिमाचल प्रदेश में ही उपभोग हो जाता है और बाकी का पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर को संभरण कर दिया जाता है

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Conciliation.

हिमाचल प्रदेश में छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योग

†२००७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में १९५८–५९ के लिये छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कोई योजना मंजूर की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है और इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश के संघ–राज्य क्षेत्र में १९५८–५९ में खादी के समस्त छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये ८.६५ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। मन्डी में केन्द्रीय प्रदर्शनी रेशम फार्म और 'ग्रेनेज' की स्थापना करने की योजना को छोड़कर जिस पर अनुमानतः ६१,००० रुपये लागत आयेगी और जिसकी पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, इस रकम में से जिन योजनाओं को धन दिया जायेगा उन पर अभी विचार हो रहा है। ग्राम उद्योगों के लिये अभी कोई आवंटन नहीं किया गया है, अपितु प्रशासन से प्राप्त कुछ योजनाओं पर विचार हो रहा है।

मैसूर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†२००८. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 'मुख्य भाग' में मैसूर राज्य की कौन कौन सी मुख्य परियोजनायें सम्मिलित हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य में स्थापित होने वाली निम्नलिखित परियोजनायें योजना के 'मुख्य भाग' में आती हैं:—

परियोजना	लागत (लाख रुपयों में)
(१) मैसूर लोहा तथा इस्पात विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत १३० फेशे–सिलिकोन संयंत्र	१३०
(२) लक्कावल्ली (भद्रा) परियोजना	२४०
(३) तुंगभद्रा जलविद्युत (योजना बायें किनारे के बिजली घर)[1]	४२२.४८

†मूल अंग्रेजी में

[1]Left Bank Power House.

प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†२००९. **श्री झुनझुनवाला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों में उत्पादक विनियोजन के रूप में किये गये योजनाबद्ध खर्चे की क्या प्रतिशतता है;

(ख) अबतक उत्पादक विनियोजन से प्रतिवर्ष कितना शुद्ध लाभ हुआ;

(ग) इन उत्पादक विनियोजनों के सम्बन्ध में ऋण के रूप में अब तक कुल कितना धन इकट्ठा किया गया; और

(घ) इन ऋणों को किस प्रकार वापस दिये जाने की प्रस्थापना है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) प्रथम योजना काल में सरकारी क्षेत्र में स्थिर पूंजी आस्तियों के रूप में व्यय किये गये उत्पादक विनियोजन का अनुपात योजना की कुल लागत का ७५ प्रतिशत के लगभग आंका गया है। प्रथम योजना पर किये गये १९६० करोड़ रुपये खर्च में से १५०० करोड़ रुपये पूंजीगत आस्तियों पर खर्च किये गये आंके जाते है। अनुमान है कि द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में केन्द्रीय सरकार में और इसके द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण ५११ करोड़ रुपये हुआ है और १९५७–५८ में ७२२ करोड़ रुपये। राज्यों द्वारा अपने पास से शुद्ध पूंजी निर्माण में लगाये गये धन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) इसकी गणना करना सम्भव नहीं है। परन्तु बांध, बिजली घरों, कारखानों, रेलवे इत्यादि में विनियोजन से देश की क्षमता में वृद्धि हुई है और इसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

(ग) सरकार के उधार लेने के प्रवर्त्तन को उत्पादक विनिजन सें नहीं अपितु प्राप्ति के से पक्ष किये गये कुल सार्वजनिक व्यय से सम्बद्ध करना है। प्रथम योजना के पांच वर्षों में कुल २०४ करोड़ रु० का ऋण लिया गया और लघु बचत २३८ करोड़ रुपये की हुई। उपयुक्त विदेशी ऋण १०२ करोड़ रुपये का हुआ। द्वितीय योजना के पहले ही दो वर्षों में उधार लिये गये और लघु बचत की राशि क्रमशः २१३ करोड़ रुपये और १२९ करोड़ रुपये हुई। जैसा कि आयव्यय में दिखाया गया है, विदेशी ऋण ८९ करोड़ रुपये का हुआ।

(घ) किये गये विनियोजनों से होने वाले उत्पादन में वृद्धि में से इन ऋणों का वापस भुगतान किया जावेगा।

प्रेस सूचना विभाग

†२०१०. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रेस सूचना विभाग में कुल कितने टेक्निकल कर्मचारी अर्थात् उप मुख्य सूचना पदाधिकारी, सूचना पदाधिकारी, सहायक सूचना पदाधिकारी, सूचना सहायक और सहायक पत्रकार हैं और इनमें से कितनों को स्थायी बनाया गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : प्रेस सूचना विभाग में माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के टेक्निकल कर्मचारियों की कुल संख्या १७१

स्थायी बनाये गये व्यक्तियों की संख्या ३

यहां पर सेवा संविदा के आधार पर है। सूचना पदाली की एक योजना पहले ही स्वीकार कर ली गयी है और उस को क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अनुसार बहुत से पद स्थायी बना जायेंगे।

मैसूर और बम्बई में छोटे पैमाने के उद्योग

†२०११. **श्री द० अ० कट्टी :**
श्री सुगंधि :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर बम्बई राज्य के जिन छोटे पैमाने के उद्योगों को संघ सरकार ने वित्तीय सहायता दी है, उनके नाम क्या है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को गैर सरकारी छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिये सहायता दी है। ये ऋण राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं और जिन उद्योगों को यह सहायता मिली है, केन्द्रीय सरकार को उनके नाम मालूम नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित छोटे उद्योगों की विशिष्ट योजनाओं को भी वित्तीय सहायता दी है। १९५६–५७ और १९५७–५८ में मैसूर और बम्बई में जिन छोटें उद्योगों के विकास के लिये यह वित्तीय सहायता दी गयी है, उनके नाम नीचे दिये गये हैं:—

मैसूर:—चीनी मिट्टी के बर्तन, चमड़ा, होलों, केक्रीट ब्लौर, लुहारी, ऊनी स्वेटर, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, बढ़ईगीरी और लोहशाला।

बम्बई:—माचिस, रेडियो ट्रांसफार्मर, रंगाई, चमड़ा, क्रोम अपर्स एंड पिकिग बैंड्स, कांच और कांच की चूड़ियां, बैटरी के बल्ब, मिट्टी के बर्तन, कांच के वेज्ञानिक उपकरण बनाना, पीसने की मशीन, छतरी, वुड डिस्टिलेशन, चकस, ताले, बढ़ईगरी, लोहारगीरी, फल परिरक्षण, कांच के मनके, यान्त्रिक शिल्प, कागज में लगाने के क्लिप और पिन और लेखन सामग्री।

अभ्रक खान कल्याण निधि

†२०१२. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में जहां अभ्रक खान विद्यमान हैं, अभ्रक खान कल्याण निधि में कितना धन इकट्ठा किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) क्या इन सब राज्यों में अभ्रक खान कल्यान बोर्ड स्थापित कर दिये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें विभिन्न अभ्रक उत्पादन राज्यों में इस निधि की आय और व्यय दिखाये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११५].**

(ग) बिहार और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि मंत्रणा समिति विद्यमान है । राजस्थान राज्य के लिये समिति के पुनर्गठन की कार्यवाही चालू है ।

हिमाचल प्रदेश में हथकरघे

†२०१३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय चालू हथकरघों की कितनी संख्या है ;

(ख) इन करघों को सहकारी क्षेत्र में लाने के लिये क्या प्रगति की गयी है और हिमाचल प्रदेश मे कितने इस क्षेत्र के अन्तर्गत हैं; और

(ग) १९५७–५८ में हिमाचल प्रदेश में इस उद्योग को कितनी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गयी और १९५८–५९ में कितना धन दिये जाने की प्रस्थापना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) राज्य में ९०० करघे हैं जिनमें से ३१–३–५७ को सहकारी क्षेत्र में ६३ करघे थे । इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उस तारीख के बाद कितने करघे सहकार क्षेत्र में आये ।

(ग) १९५७–५८ में ७,३३८ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी । १९५८–५९ के लिये प्रस्तावित आवंटन १७,००० रुपये है ।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

रबड़ नियम में संशोधन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** श्रीमान् मैं रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ मार्च, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६४०/५८]**

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(१) जी० एस० आर० संख्या ७०/और० अमेंडमेंट १९ दिनांक १ मार्च, १९५८।

(२) जी० एस० आर० संख्या १३४/आर० अमेंडमेंट २०, दिनांक १५ मार्च, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६४१/५८]

कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २२ मार्च, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६४२/५८]

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ के उत्तर की शुद्धि के बारे में वक्तव्य

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : श्री राधा रमण के १४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९ के उत्तर में मैंने कहा था कि राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला अमृतसर में रावी नदी के प्रवाह के बदल जाने के कारण वर्ष १९५७ के अन्त तक भारतीय क्षेत्र की १५,५८६ एकड़ भूमि प्रभावित हुई है। अब हमारे पास पंजाब सरकार की दूसरी सूचना आई है कि पहले आंकड़े ठीक नहीं थे। बाद के प्रमाणित आंकड़ों से पता चला है कि १५ अगस्त १९४७ से दिसम्बर ३१, १९५७ तक रावी नदी के प्रवाह के बदल जाने से भारतीय क्षेत्र में १०,२७६ एकड़ भूमि की कमी हो गई है। इसमें ११ गांवों का सारा क्षेत्र (३६११ एकड़) तथा अन्य ३३ गांवों का आंशिक क्षेत्र (६६६५) एकड़ आ जाता है।

सभा का कार्य

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : चालू सप्ताह में लिये जाने वाले कार्य का क्रय बताते हुए २८ मार्च को मैंने कहा था कि दान कर विधेयक तथा सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक इसी सप्ताह में प्रवर समिति को सौंपने के लिये लाये जायेंगे किन्तु अब ऐसा विचार है कि इन्हें वित्त विधेयक के बाद लाया जाये।

अनुदानों की मांगों का कार्यक्रम वही रहेगा जो बताया जा चुका है; केवल इतना परिवर्तन कर दिया गया है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगें के बाद ली जायेंगी।

इस प्रकार ७ अप्रैल से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नक्रम के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा:—

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय;

श्रम तथा रोजगार;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

वैदेशिक कार्य ।

अणुशक्ति विभाग ;

पुनर्वास; और गृह–कार्य

†**श्री वे० च० नायर** (क्विलोन): हमें अणुशक्ति विभाग का प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है। चूंकि इसमें बहुत से प्रविधिक विषयों का उल्लेख होगा, इसलिये हमें इसे पढ़ने के लिये कुछ समय मिलना चाहिये, वरना हमें विभाग की मांगों पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय**: संसद कार्य मंत्री चले गये हैं ; खैर मैं कार्यालय से कहूंगा कि यह बात संसद्–कार्य मंत्री के पास पहुंचा दें ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय**: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने सिफारिश की है कि निम्न सदस्यों को प्रतिवेदन में लिखी अवधि तक के लिये सभा से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :

१. रानी केसर कुमारी देवी

२. श्री लक्ष्मण सिंह

३. श्री नल्लाकोया

४. श्री सत्यनारायण

५. श्री रामकृष्णन्

६. श्री नरसिंहन्

७. श्री जेधे

८. श्री मि० सू० मूर्त्ति

९. श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव

१०. श्री प्र० चं० बरुआ

११. श्री नाथ पाई

१२. श्री चोखामून गोहेन

१३. श्री लाश्कर

१४. पंडित हीरा लाल शास्त्री

१५. श्री बाबूनाथ सिंह

१६. श्री अवधेश कुमार सिंह

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य समिति की सिफारिशों से सहमत हैं।

†**माननीय सदस्य** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को तदनुसार सूचना दे दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें—जारी

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर अग्रेतर चर्चा करेगी। इस चर्चा के लिये अब २ घंटे १० मिनट शेष रह गये हैं। मैं माननीय मंत्री को १.१५ बजे वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये कहूंगा।

†**श्री ब० स० मूर्ति** (काकिनाडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : क्या इस मंत्रालय की मांगों के लिये समय नहीं बढ़ाया जा सकता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानते हैं कि हम नियत समय से चार घंटे और ज्यादा ले चुके हैं। यदि हम अब और समय बढ़ा दें तो बड़ी कठिनाई होगी। और हमें देर तक बैठना होगा। वास्तव में सदस्यों को पांच बजते ही थकावट सी होने लगती है और वे जाने की फिक्र करने लगते हैं। हमें संसद् के काम में अधिक रुचि दिखानी चाहिये। माननीय सदस्य इतनी दूर दूर से यहां आयें हैं और आठ लाख जनता का जहां प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें चाहिये कि यहां ज्यादा समय दें और थोड़ी देर अधिक बैठने में आपत्ति न करें। खैर वे सोच लें कि वे एक या दो घंटे रोज देर तक बैठने के लिये तैयार हैं या नहीं; फिर वे मुझे कल बता दें कि उनका क्या विचार है।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा): दूसरी योजना में १५५ लाख टन अनाज पैदा करने का लक्ष्य है किन्तु खाद्यान्न जांच समिति ने....

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य सहमत हैं तो हम आज ६ बजे तक बैठ सकते हैं; माननीय मंत्री को १.१५ बजे बुलाया जायेगा। आधे घण्टे की चर्चा किसी और दिन के लिये स्थगित की जा सकती है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिमी दीनाजपुर): श्रीमान् जिन राज्यों में खाद्य की स्थिति नाजुक है वहां के सदस्यों को ज्यादा समय दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : सब बातों पर ध्यान रखा जायेगा।

†**श्री तिरुमल राव** : योजना आयोग नथा खाद्यान्न समिति के अनुमानों में भी अन्तर है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम इस समिति के निष्कर्षों को झूठा सिद्ध कर देंगे। यदि राज्यों तथा केन्द्र में हमारी व्यवस्था यही रही तो इस प्रकार तो हम कभी भी धेय की प्राप्ति नहीं कर सकते।

इस समय चावल की पैदावार २६.८५ मिलियन टन का है। सबसे ज्यादा चावल पश्चिमी बंगाल में पैदा होता है। उसके बाद आंध्र तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। पश्चिमी बंगाल को यदि कलकत्ता को चावल का संभरण न करना पड़े तो वहां भी चावल बचे। बाहर से हम ७ लाख टन चावल का आयात करते हैं। हम चावल की कमी को यहां भी पूरा कर सकते हैं यदि छोटी सिंचाई योजनाओं को सफल बनायें। किन्तु शोर हम ज्यादा करते है काम कम।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तिरुमल राव]

आप इस दशा में आंध्र को ही देखें। यहां चावल पैदा होता है किन्तु हमारे जिले में कोरिगां परियोजना २० वर्ष से वैसे ही पड़ी है। इस पर केवल २० लाख रुपये व्यय किये गये हैं और इतने से ही २०,००० एकड़ भूमि में पैदावार होने लगी है। इसी प्रकार येलूस की योजना भी है। यदि इन सब योजनाओं को ठीक ढंग से शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाय तो कोई कारण नहीं कि यह सारी समस्या हल न हो जाये।

यही स्थिति मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की भी है। वहां भी यदि छोटी सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित किया जाये तो चावल की पैदावार बढ़ेगी।

केरल वाले भी अब अधिक चावल की मांग करने लगे हैं पहले दो लाख टन चावल खपते थे और इनकी मांग तीन गुनी हो गई है। इसे भी कम किया जा सकता है। मद्रास के डेल्टा क्षेत्र में भी पैदावार बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिये। मैसूर में यदि तालाबों की मरम्मत कर दी जाये तो पैदावार अधिक होकर सारी कमी पूरी हो सकती है।

चावल की वास्तविक समस्या तो बिहार और बंगाल में है। यदि बंगाल पर कलकत्ता की जिम्मेदारी न हो तो वहां आत्मनिर्भरता हो सकती है।

गेहूँ का वार्षिक उत्पादन ९० लाख टन है। गत वर्ष हमने २८ लाख टन का आयात किया है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी गेहूँ की पैदावार उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये जब तक केन्द्र तथा राज्य सरकार विशेष प्रयास नहीं करती तब तक बिहार की समस्या तो समाप्त नहीं हो सकती।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग की हालत भी यही है समय समय पर यहां भी अनाज का अभाव बना ही रहता है। इधर भी सिंचाई की व्यवस्था ठीक ढंग से की जाये।

जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था की भी गई है वहां किसान उसका उपयोग नहीं कर सके क्योंकि पानी की दरें ज्यादा होती हैं।

जहां तक बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का सम्बन्ध है, उनके बारे में जैसा कि श्री पाटिल ने कहा है, समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता है। जहां जहां लोगों को सिंचाई करने का पता ही नहीं वहां दूसरे किसानों को भेजकर उन्हें वह तरीका सिखाया जाये। रायलसीमा के लोग बारानी खेती करते है हम उन्हें उचित रीति का प्रशिक्षण दे सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करता हूं कि वे आंध्र में चावल के मूल्यों की ओर ध्यान देकर लोगों के हित के लिये कुछ करें। पहले १६ करोड़ तक की सहायता मिलती है रही है। आप कीमत ऐसी रखिये कि जिससे सब सहमत हों। इस प्रयोजन के लिये आप सबसे बातचीत कर सकते हैं। खादी का उदाहरण आपके समक्ष है। इसी प्रकार आंध्र के चावल को ऐसी जगह भेजें जहां लोग उसकी कीमत ज्यादा दे सकते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसके अतिरिक्त आप पंजाब उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में भी चावल की पैदावार बढ़ा सकते है। उत्तर प्रदेश ने १९५०-५२ में चावल की २४ या ३० रुपये प्रति मन पर ही बेचा था इससे कम दामों पर नहीं

गेहूं के बारे में भी मुझे—जब मैं हालात देखता हूं तो यही प्रतीत होता है कि खाद्यान्न जांच समिति का अनुमान तथ्य के अधिक निकट है।

मैं एक दो शब्द चीनी के उत्पादन के बारे में भी कहूंगा। २२ लाख टन चीनी पैदा करने का लक्ष्य था किन्तु मैं समझता हूँ कि हम सस्ती चीनी पैदा करने वाले देशों से किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं कर सकते किन्तु हमारे ही देश में चीनी की खपत बढ़ जायेगी यह तो आशा है। इसी विचार से सरकार ने नये कारखाने खोलने की अनुज्ञप्तियां दी है।

आंध्र प्रदेश ने चीनी के उत्पादन में पर्याप्त उन्नति की हैं जबकि उत्तर प्रदेश तथा बिहार की स्थिति ज्यों की त्यों है अतः यह आवश्यक है कि जिन कारखानों को अनुज्ञप्तियां दी हैं उन्हें मशीनें आयात करने की आवश्यक सुविधायें दी जायें।

इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना भी की जाये क्योंकि यहां कृषि ही लोगों का मुख्य व्यवसाय है।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा): यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कृषि प्रधान देश में अनाज का अभाव रहे। यदि हम ४० प्रतिशत अनाज की वृद्धि न कर सके तो हमारी योजना स्वत: खतरे में पड़ जायेगी।

यद्यपि हमारी सरकार ने करोड़ों रुपया सिंचाई की बड़ी और छोटी योजनाओं पर व्यय किया है किन्तु अभी तक सरकार का ध्यान उस पानी को किसानों की भूमि तक पहुंचाने की ओर तो गया नहीं है। मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय मंत्री इस बात पर विशेष ध्यान दें।

नित्य आने वाली बाढ़ें और सूखे की स्थिति हमारी समस्या को और भी जटिल बना देती है। अतः हमें चाहिये कि बाढ़ की रोकथाम के कामों और सहायता कार्यों को किसी समन्वित तरीके से करें।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मंत्री महोदय तथा योजना आयोग दोनों ने ही छोटी सिंचाई योजनाओं पर बड़ा जोर दिया है। किन्तु कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं हो रही। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसी प्रकार की छोटी—छोटी पांच ६ योजनाओं जिन पर दो लाख के करीब खर्च आता यहां भेजी थीं किन्तु इनकी मंजूरी नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि मंत्री महोदय की यह इच्छा न थी परन्तु यह बातें तब भी होती हैं। यह प्रशासनिक व्यवस्थां की खराबी है जब तक हम इस व्यवस्था को ठीक न करेंगे तब तक किसी कार्य में भी सफल नहीं हो सकते।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: वह योजनायें थोड़े विलम्ब से पहुंची अब भी हम उन पर विचार करेंगे।

†**श्रीमती रेणुका राय**: जब हमारे देश की खाद्य स्थिति इतनी खराब है तो क्या हम यह नहीं कर सकते कि किसी प्रकार की कीमतों को देखें। पश्चिमी बंगाल की खाद्यान्न स्थिति बहुत ही खराब है। मैं यह नहीं कहती कि हमें केवल उपभोक्ताओं का ही विचार करना चाहिये बल्कि हमें कृषकों का ध्यान भी पूरी तरह से रखना चाहिये। सब को यह तो पता है कि पश्चिमी बंगाल में १२ लाख टन की कमी है। यदि वहां की स्थिति

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

ठीक करनी है तो संभव है किसी प्रकार के नियंत्रण करने पड़ें । आज भी पश्चिमी बंगाल की स्थिति बड़ी खराब है ।

एक साम्यवादी सदस्य ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल में अत्यावश्यक पण्य अधिनियम लागू नहीं हुआ है—वास्तव में १९५७ में वहां भी सरकार को खाद्यान्न प्रेषण नियंत्रण लागू करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी किन्तु उस का प्रभाव क्या हुआ । यह नियंत्रण सारे जिलों में हुआ और कमी वाले जिलों का इस पर बुरा प्रभाव पड़ा ।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक पुस्तिका जारी की है जिसमें लिखा है कि जब तक सारे खाद्यान्नों पर नियंत्रण न हो तब तक प्रभावपूर्ण समाहार नहीं हो सकता । खैर इससे जो कुछ प्रकट होता है वह स्पष्ट है । इस वर्ष ६ फरवरी के केन्द्रीय सरकार ने वहां की सरकार को मूल्य निर्धारित करने को कहा और उन्होंने सात आठ जिलों में चावल मिल मालिकों पर २५ प्रतिशत उपकर लगा दिया । इससे पूर्व वे उनसे सहमति का प्रयास कर रहे थे। किन्तु अब यह कहा जा रहा है कि बंगाल की सरकार अत्यावश्यक प्रण्य अधिनियम लागू करने में असफल रही है । एक आदेश जारी पारित करना आसान है किन्तु उसे लागू करना बड़ा कठिन है । लोगों ने इससे बचने का रास्ता निकाल लिया । वहां की सरकार एक मास में उसके विरुद्ध क्या कर सकती थी ।

जो लोग स्वयं कांच के घर में रहते हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिये । क्या केरल में सरकार ने चावल का मोल एक रुपया ज्यादा नहीं दिया जबकि भारत सरकार उससे कम में देती थी । आप लोग सब लोगों को हमेशा ही मूर्ख नहीं बना सकते । सरकार ने कम से कम दुर्भिक्ष तो नहीं पड़ने दिया । इसलिये हमें इस मामले में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिये । हमें अनाज के मामले को राजनीति से अलग अलग रखना चाहिये । हम को सब कठिनाइयों को ठीक तरीके से समझना चाहिये तभी जाकर हमारे देश की अनाज की कमी की समस्या समाप्त होगी ।

†**श्री हाल्दर** (डायमंड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता की राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की आशायें निराशा में परिणित हो रही हैं और कृषि उत्पादन के संकट से भारत की औद्योगिक प्रगति रूकी पड़ी है । और इस संबंध में सभी दलों का यह मत है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि सुधार की बड़ी आवश्कता है । जमींदारी समाप्त होने से हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की बड़ी पुरानी परिपाटी समाप्त हुई है । परन्तु जो भी सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं वे समुचित ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं । ग्रामीण अर्थ व्यवस्था खराब हो रही है । विभिन्न राज्यों द्वारा जो भूमि सुधार लागू किये गये हैं उनसे बड़े बड़े भूपतियों की स्थिति और प्रभाव को कम नहीं किया गया । ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण, तथा कृषि श्रम जांच से यही पता चलता है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में अभी पुरानी बुराइयां चल रही हैं । जो भी भूमि सुधार अब तक लागू हुये हैं उनसे कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है । भूमि पर पहले की तरह ही एकाधिकार चल रहा है । पहले अनुमान के अनुसार १० प्रतिशत और दूसरे के अनुसार ५ प्रतिशत जन संख्या के हाथों से ही एक-तिहाई कृषि भूमि है । आवश्कता इस बात की है कि भूमि पर से जमींदारों का एकाधिकार समाप्त करके भूमि भूमिहीन किसानों में बांट दी जाये । जो लोग भूमि पर स्वयं खेती नहीं करते उनसे भूमि छीन ली जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले दिनों जमींदारों के हाथ से काफी भूमि निकाली गयी परन्तु एक-आध मामले को छोड़ कर कहीं भी फालतू भूमि भूमिहीन किसानों को नहीं दी गयी । कई छोटे छोटे किसानों की भूमि कर्जों के कारण उनके हाथों से जा रही है । किसानों को उनकी भूमि पर से किसी भी अवस्था में बेदखल नहीं किया जाना चाहिए । छोटे छोटे किसानों तथा भूमि पर खेती करने वाले खेतिहारों को भूमि का स्वामित्व दिया जाना चाहिए । यही बात द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण करते समय आयोग ने भी कही थी । आयोग ने यह भी कहा था कि देहाती ढांचे का आधार इस बात पर होना चाहिए कि किसान भूमि का मालिक हो । इससे हमारी खाद्य और कच्चे माल की आवश्यकतायें पूरी होंगी । परन्तु भूमि का उपयोग सहकारी ढंग से तथा कुछ अधिक अच्छे ढंग व सावधानी से किया जाना चाहिए । सामुदायिक परियोजनाओं के चतुर्थ मूल्यांकन प्रतिवेदन में इस बात को स्वीकार किया गया है कि देहाती अर्थ-व्यवस्था के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । जब तक किसानों का लाभ व्यापारी लोग लूटते रहेंगे और जब तक ग्रामीण ऋण का नियंत्रण पेशेवर साहूकारों के हाथ में रहेगा और जब तक सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं का नियंत्रण नौकरशाही ढंग के लोगों के हाथों में रहेगा, तब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५६५ करोड़ रुपया कृषि तथा सामुदायिक विकास के लिए रखा गया है । यदि इसका प्रयोग ठीक ढंग से किया जाय तो बहुत कुछ हो सकता है और उत्पादक शक्तियों का पुनर्निर्माण हो सकता है । इस समय सारे देश में खाद्य संकट है और इस वर्ष ३७ लाख टन अनाज के आयात की आवश्यकता है । खाद्यान्न जांच समिति का कहना है कि २०, ३० लाख टन तो सारे द्वितीय योजना काल में बाहर से आयात करने की आवश्यकता रहेगी ही । यह हमारी खाद्य स्थिति का बुरा चित्र है । सरकार को चाहिए कि छोटी सिंचाई परियोजनाओं का प्रयोग कर खाद्य समस्या हल करने का प्रयत्न करे । नदी, नहरों और नलकूपों के प्रयोग के लिए खाद्यान्न जांच समिति ने भी जोर दिया है । पानी के दर ऊंचे होने के कारण किसान सिंचाई के साधनों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते ।

पश्चिमी बंगाल में खाद्य संकट की स्थिति गंभीर हो रही है । इस संबंध में पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व न्याय मंत्री श्री सिद्धार्थ रे ने कहा कि यदि प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों में धन नष्ट न करके इसे छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर लगाया जाता तो स्थिति का काफी सुधार हो जाता । परन्तु सरकार तो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन करती ही रहती है । सरकार से प्रार्थना है कि उसे इन छोटी सिंचाई योजनाओं और भूमि के कृष्यकरण की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था के एक हजार कर्मचारी गत एक दो सप्ताह से हड़ताल पर हैं । सरकार का कहना है कि उसने ३६ लाख एकड़ भूमि का कृष्यकरण कर लिया है । पर यह बात समझ में नहीं आती कि इन कर्मचारियों की सुविधा सम्बन्धी कुछ मांगों को क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है ?

कृषि कर्जों अथवा बीजों के वितरण इत्यादि के रूप में सरकार को चाहिए कि वह किसानों की सहायता करे । परन्तु हमारी पश्चिमी बंगाल सरकार ने काफी चावल और काफी धन नष्ट किया । काकद्वीप सम्मेलन में इतना खाना नष्ट किया गया जो कि एक हजार लोगों के लिए काफी होता । हमसे कहा जाता है कि खाद्य समस्या की आड़ में राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि

[श्री हाल्दर]

नहीं करनी चाहिए । पर हम भी उनसे कहेंगे कि खाद्य समस्या की आड़ में वे भी राजनीति का जुआ न खेलें ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मुझे यह सोच कर आश्चर्य सा होता है कि लोग आज खाद्य संकट की बातें कर रहे हैं । चार पांच वर्ष पहले कहा गया था कि खाद्यान्न के मामले में विशेषतया चावल के मामले में हमारा उत्पादन आवश्यकता से अधिक होगा । इसीलिए तो हमने बंगाल और आंध्र सरकारों को चावल निर्यात करने की अनुमति दे दी थी । परन्तु यह खाद्य संकट कैसे पैदा हो गया ? खाद्यान्न जांच समिति ने कहा है कि २० से ३० लाख टन अनाज का आयात करना होगा । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सब को इस पर विचार करना चाहिए ।

इस समस्या का एक कारण यह भी है कि हमने देश के खाद्य उत्पादकों के साथ न्याय नहीं किया । अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर करने तथा किसानों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य प्राप्त कराने के लिए सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए । परन्तु सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है । यह सुझाव तो सरकार के समक्ष गत १२ वर्षों से है और समय समय पर कई समितियों ने सरकार के सामने यही या इसी प्रकार का सुझाव रखा है । ऐसा लगता है कि सरकार अभी इस दिशा में कोई भी समुचित कदम उठाने को तैयार नहीं है । पर ध्यान रहे कि यह बात सरकार की बुद्धिमता का प्रतीक नहीं है ।

किसान को निरुत्साहित करने के लिए कई और बातें भी हो रही हैं । भारत की ३६ करोड़ जनसंख्या में २० करोड़ छोटे छोटे किसान हैं उनसे कहा जा रहा है कि उन की भूमि उनसे लेकर एक सहकारी व्यवस्था के अन्तर्गत कर दी जायेगी । एक आन्दोलन यह भी है कि किसानों पर जोर डाला जाय कि सारी भूमि ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दी जाय । ध्यान रहे कि यह पंचायत एक नये जमींदार के रूप में हो जायेगी और सब उसके आदेश से कार्य करेंगे । सच तो यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने विभिन्न राज्यों में जमींदारी का उन्मूलन कर दिया है पर इतना ही काफी नहीं है । हमें और भी कुछ करना चाहिए । इससे कोई भी सन्तुष्ट नहीं है । सभी दलों और योजना आयोग की यह राय है कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए । यह सीमा क्या होगी इस बारे में योजना आयोग तथा सरकार किसानों को कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकी । इन हालात में हमारे देश के लाखों किसानों में खाद्य उत्पादन के लिए उत्साह किस प्रकार पैदा हो सकता है ?

गत वर्ष जब पश्चिमी बंगाल में मूल्य बढ़ने लगे तो वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा कि व्यापारियों, पूंजीपतियों आदि को वे ऋण बिल्कुल न दें । श्रीमती रेगुका रे ठीक ही कह रही थीं कि यदि वित्त मंत्री ऐसा न भी करते तो उनके बिना भी संकट का मुकाबला कर ही लिया जाता । अभी हाल में ही प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम खाद्य के मामले में शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जायेंगे । मुझे भी यही आशा है कि हम शीघ्र ही चार वर्ष पूर्व वाली स्थिति पुनः प्राप्त कर लेंगे । शर्त यह है कि मौसम तथा सरकार की नीति दोनों हमारे पक्ष में रहें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अशोक मेहता समिति के अनुसार हमें २०–३० लाख टन खाद्य का आयात करना होगा । मेरे विचार में इस सम्बन्ध में आंकड़े फिर से इकट्ठे किये जाने चाहिएं कि उत्पादन और खपत का हिसाब क्या है। यदि हम देखते हैं कि वास्तव में स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कि हम समझते हैं तो हमें छोटी सिंचाई योजनाओं, नलकूप, तथा अन्य साधनों द्वारा उसका मुकाबला करना चाहिए । एक साधन यह भी है कि हम प्रतिष्ठा के प्रश्न को छोड़ कर २० करोड़ छोटे-छोटे किसानों को भूस्वामित्व का अधिकार दे दें, यह काम रियायत की दृष्टि से नहीं, एक प्रगतिशील नीति की दृष्टि से किया जाना चाहिए । सरकार को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि इस प्रकार दिया गया भूस्वामित्व का अधिकार समाजवादी समाज के विकास में रुकावट नहीं डालेगा ।

सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी दो क्षेत्रों को मान्यता दी है । एक स्वनियोजित जन परिवार क्षेत्र को भी मान्यता देनी चाहिए । यह क्षेत्र उपरोक्त दोनों क्षेत्रों से अधिक उपयोगी रहेगा । इसे कृषिकों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि काफी सीमा तक इसका विकास करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए । इसमें बहुसंख्या किसानों की होगी और इन २० करोड़ लोगों को यह सुविधा देने का आश्वासन अवश्य दिया जाना चाहिए । अभी तक सरकार ने यह आश्वासन नहीं दिया है । सहायता और सहयोग देने की बातें तो बहुत की जाती हैं परन्तु आज संकट की स्थिति में सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है ।

आज, आंध्र में लाखों टन चावल किसानों के पास है । कोई खरीद नहीं रहा है । चावल मिल वालों के पास उस खरीदने के लिए पया नहीं । बैंकों को आदेश हैं कि वे चावल मिल वालों को अग्रिम न दें । यदि ये लोग अपने साधनों से भी चावल खरीदें तो फिर उनसे खरीदने वाला कोई नहीं । और सभी ओर शोर है कि अनाज की कमी है । बंगाल में भी संकट है । न जाने क्या गोलमाल है ?

बंगाल में भी काफी चावल है सरकार उसे खरीद ले तो ठीक है। सरकार को अपनी मूल्य नीति में परिवर्तन करना चाहिए । माननीय मंत्री ने एक बार ठीक ही कहा था कि जब तक हम उत्पादकों को ठीक मूल्य नहीं देंगे उनमें उत्पादन के लिए उत्साह पैदा नहीं हो सकता । परन्तु आज वह अपनी बात को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं । मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री को आंध्र के सभी पक्षों का सम्मेलन बुला कर वहां के किसानों को उनके चावल की समुचित कीमत दिलवानी चाहिए । आज उन्हें चावल की जो कीमत दी जा रही है इससे तो उत्पादन का खर्चा भी पूरा नहीं होता । हमें आपातकाल में मूल्य की दर में संशोधन करने के लिए अपनी वर्तमान नीति का पुनरीक्षण करना चाहिए ।

मुझे विश्वास है कि यदि सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाये तो आगामी तीन चार वर्षों में हम आत्म-निर्भर हो सकते हैं। आगामी आम चुनाव में हम कह सकेंगे कि देश में अनाज काफी है और हमने किसान की अर्थ व्यवस्था को स्थिर कर दिया है और किसान काफी प्रसन्न है ।

श्री विश्व नाथ राय (सलेमपुर) : माननीय उपायध्क्ष जी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य ५.४ रखा गया था और यह खुशी की बात थी कि १९५६–५७ में इससे भी बढ़ कर अर्थात ६ फीसदी वृद्धि हुई । लेकिन उस के ठीक साल

[श्री विश्व नाथ राय]

भर बाद, पिछले साल, जो हालत देश की अन्न के बारे में हुई, वह सब लोग जानते हैं । वह हालत क्यों और कैसे हुई, इस के बहुत से कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जैसे हमारे किसान के पास पैसा और साधन कम हैं, वैसे ही हमारी सरकार ने प्रकृति और बारिश पर भरोसा रख कर किसानों को ऐसी हालत में छोड़ दिया, जिससे वे पूरे साल के लिए बरबाद हो गए । यह कह सकते हैं कि सिंचाई और बिजली का विभाग अलग है और उस का खाद्य और कृषि से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन उस के साथ ही यह सत्य है कि सरकार की जो यह जिम्मेदारी है कि आपत्तिकाल में, संकट में, विशेष परिस्थिति में लोगों को इस लायक बनाया जाय कि वह स्थिति का सामना कर सके, वह उस जिम्मेदारी को पिछले दस साल में पूरा नहीं कर सकी । बहुत से ऐसे साधन हैं जो छोटे मोटे हैं, जिन के बारे में करोड़ों रुपये की आवश्यकता नहीं है, लाखों और हजारों रुपये से ही काम चल सकता है, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है । वे विस्तृत हों, चारों तरफ फैली हुई हों, हर जिले और हर क्षेत्र में हों, तो मैं आश्वासन दे सकता हूं कि सूखे की स्थिति तथा दूसरी तरह के जो संकट पैदा होते रहते हैं उनका अन्त हो सकता है और हमारी जो समस्या है वह हल हो सकती है । अब तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस बात को माना है कि पिछले साल जो सूखा पड़ा वह साधारण नहीं था । वह ऐसी परिस्थिति का द्योतक था जैसी परिस्थिति डेजर्ट होने पर, रेगिस्तान होने के पहले या होने के साथ उत्पन्न होती है । अब तक जो कुछ हुआ सो तो हुआ लेकिन अब हमारी सरकार के प्रधान मंत्री के मुंह से जब ऐसी बात निकली है तब हमारी सरकार को और खास तौर पर इस विभाग को उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए फिर चाहे वे कृषि से सम्बन्ध रखती हो, चाहे सिंचाई से सम्बन्ध रखती हो या उनसे अलग हो । लेकिन यह बात अवश्य है कि अगर हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे जैसा कि अब तक हमने किया है और अगर हम उसी तरह से उदासीन रहे जैसा कि अब तक हम रहे हैं, तो हमारा काम चलने वाला नहीं है ।

उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सिंचाई के बारे में जहां सोचते हैं कि प्रकृति अनायास ही पानी देती है वहां की भी हालत ऐसी हो रही है जैसा कि रेगिस्तान की हालत होती है या हो सकती है । यह बात हमारी सरकार को भी माननी पड़ती है । ऐसी हालत में चाहे हमारे छोटे मोटे कुएं हों या छोटे मोटे रिवुलैट्स हों जो कि हमें हिमालय से मिलते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान न देकर हमने किसानों को एक दम ऐसे ही छोड़ दिया तो इससे लोगों को तथा सरकार को बड़े कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ेगा ।

आप कह सकते हैं कि कोआर्डिनेशन नहीं है और इस बात को इस सदन में भी उठाया गया है । उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर यह बात देखने में आई है कि कृषि किसी के पास है, सिंचाई किसी दूसरे विभाग के पास है, गन्ने की खेती का काम किसी तीसरे विभाग के पास है और चीनी का काम किसी चौथे के पास है । इस तरह से चार पांच मंत्रालयों में हमारे उत्तर प्रदेश में यह जो खाद्यान्न का काम है, बटा हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से सरकार का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और इस तरह से जो बिखरे हुए विभाग हैं जिन का सम्बन्ध आपस में घनिष्ट ही होना चाहिए लेकिन सब एक दूसरे से अलग हैं और जिन से अधिक अन्न उपजाओ योजना में कठिनाई पड़ती है, उनको संयुक्त प्रयास करना चाहिए । वे संयुक्त प्रयास के लिए जो भी कदम

उठायें, उसमें एकता आनी चाहिए । इस बात को मुझे सब से अधिक जोर दे कर उत्तर प्रदेश के बारे में कहना है । वहां पर एक ही बात कृषि तथा अन्न से सम्बन्ध रखने वाले जो मंत्रालय हैं उनकी संख्या पांच है । मैं चाहता हूं कि उस ओर सरकार ध्यान दे ।

अब मुझे खास तौर पर शूगर केन, चीनी, गन्ना और गन्ना उत्पादकों के बारे में निवेदन करना है । मैं देश के एक ऐसे भाग से आता हूं जहां पर चीनी की फैक्ट्रियां तो बहुत हैं लेकिन जो लोग वहां निवास करते हैं, वे बहुत गरीब हैं । वहां के गरीब लोग गन्ने की खेती इसलिए करते हैं कि वे लगान या मालगुजारी सरकार को दे सकें तथा अपने कपड़ों के लिए भी कुछ बचा सकें । अपने अन्न मे कमी करके भी वे लोग हमारे देश के एक ऐसे उद्योग को बढ़ावा देते हैं जो कि हमारे देश का दूसरे नम्बर का उद्योग है । पहले नम्बर पर कपड़े का उद्योग आता है और दूसरे नम्बर पर चीनी का जो रोजगार है, वह आता है । करोड़ों रुपये का गन्ना गरीब किसान देते हैं । लेकिन जिस समय उनको सूखे का या बाढ़ का या किसी और दैवी विपत्ति का सामना करना पड़ता है उस वक्त भी उनका करोड़ों रुपया मिल मालिकों के पास बाकी रह जाता है । हाल ही में मैंने एक प्रश्न किया था जिसके उत्तर में गवर्नमेंट ने बतलाया था कि १ नवम्बर, १९५७ को करीब १ करोड़ एक लाख रुपया किसानों का मिल मालिकों के पास था । पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा गया था कि यह केवल एक प्रतिशत था । यह एक प्रतिशत हो या उससे भी कम हो । लेकिन वह एक करोड़ से भी अधिक था । यह रकम एक दो हफ्तों से नहीं पता नहीं कि कब से पड़ी हुई थी । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि उत्तर भारत में मई के बाद सारी फैक्ट्रियां बंद होती हैं । जो यह हालत थी यह पहली नवम्बर को थी । एक करोड़ रुपया आप न बतौर कर्जे के देते हैं और न सहायता के तौर पर । उनको २५ परसैंट सालाना सूद पर गांवों में रुपया लेना पड़ता है । बैंकों से उनको मदद नहीं मिलती है और अगर मिलती भी है तो केवल सरकारी यूनियन को जो कोआपरेटिव बैंक होते हैं उनके जरिये से और उस पर भी उनको पांच, सात या नौ फीसदी के हिसाब से सूद अदा करना पड़ता है । उनको खुद विवश होकर मिल मालिकों के यहां रुपया छोड़ना पड़ता है, उस पर उनको सूद नहीं मिलता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है ? एक आध साल की बात होती तो छोड़ देते । यह बात एक दो साल से नहीं लगातार पांच सात बरसों से हो रही है और ऐसी ही हालत चली आ रही है । पिछले वर्षों में भी भले ही एक करोड़ की बात न हो लेकिन ६० लाख या ७० लाख रुपया और कभी कभी एक करोड़ से भी अधिक रुपया हो जाता है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे । ये लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, जो पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं और जिनकी हालत अच्छी नहीं है । यह इलाका घनी आबादी का इलाका है और यहां पर प्राकृतिक आपदायें प्रायः आती रहती हैं । वहां पर इतना अधिक रुपया बाकी पड़े रहना हमारी सरकार के लिए शोभा नहीं देता है ।

कहां तक उनको उचित दाम मिलता है और कहां तक नहीं मिलता है उसको भी आप देखें । जो आर्थिक अवस्था हमारे देश में है या कृषि से सम्बन्ध रखने वाला जो आर्थिक ढांचा हमारे देश में है, उसमें उनको जो मिलता है वह उचित है या अनुचित, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए । चीनी के भाव चाहे बढ़ जायें, इससे उसका कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया गया है । तीन चार साल पहले इस बात को उठाने पर सरकार ने इस बात को माना था कि हम उनको भी हिस्सा देंगे । स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई साहब ने भी कहा था कि उनको इसका हिस्सा दिया जाएगा । लेकिन मुझे अफसोस के

[श्री विश्व नाथ राय]

साथ कहना पड़ता है कि इसमें भी अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली है । सब से बढ़ कर तो मौलिक बात वह यह है कि जो गन्ने की खेती करते हैं, उनके गन्ने की जो दर होती है वह दर न तो चीनी के भाव को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती है और न खाने का जो दूसरा अन्न है, उसके मूल्य के हिसाब से तय की जाती है । अगर केवल यह मान लिया जाता कि उसकी खेती में कितना पैसा लगा है तो भी यह संतोष की बात होती । सरकार के पास दो तीन नहीं अनेकों फार्म हैं । रूस के फार्म को छोड़ कर सरकार के पास एशिया का सब से बड़ा फार्म उत्तर प्रदेश की तराई में है । वहां पर जो कास्ट आफ कल्टीवेशन होती है उसको ध्यान में रख कर अगर भाव तय कर देते तो यह एक तथ्य की बात होती, वास्तविकता की बात होती । आपके हर सूबे और हर जिले में कृषि के स्कूल हैं और कहीं कहीं पर छोटे मोटे सरकारी फार्म भी हैं । वहां पर जो व्यय होता है, गन्ने की खेती में उसको लेकर अगर हिसाब लगाया जाता तब भी यह होता कि चलो आप किसानों की बात सोचते हैं । लेकिन यहां पर बैठकर भाव तय कर दिया जाता है । सलाह देने के लिए आपके पास विशेषज्ञ हैं जो गन्ने के बारे में ही नहीं बल्कि अन्न के बारे में हर तरह से सुझाव आपको देते हैं । लेकिन यह नहीं देखा जाता है कि कितना धन लगता है, कितना श्रम लगता है, कितनी पूंजी लगती है । इन चीजों को देखते ही नहीं और यहां पर बैठ कर भाव तय कर देते हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्यों गवर्नमेंट इस बात को टालती रही है ? जब आपके पास विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में सरकारी फार्म हैं तो आप उनके हिसाब को लेकर क्यों नहीं देख लेते ? क्यों आप इसको टालते हैं ? दो तीन वर्षों से वर्तमान मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उसके बारे में विचार हो रहा है लेकिन अभी तक वह बात तय नहीं हुई है । दो चार लाख किसानों की बात होती तो दूसरी बात थी लेकिन यह तो सारे हिन्दुस्तान के दो करोड़ किसानों की बात है जो गन्ने की खेती करते हैं उनकी हालत भी अच्छी नहीं है उनकी तरफ ध्यान देना और जल्दी करना आवश्यक है । यदि आपने ऐसा न किया तो उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में जहां पर गन्ने की खेती करने वाले लोग हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी । इसलिए जो उनके हित की बात है वही आपको करनी चाहिये ।

यह बात केवल गन्ने की ही नहीं है । मैं एक दूसरी बात की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । और वह तिलहन की बात है । दुनिया में जो तिलहन की पैदावार है उसका पांचवां हिस्सा हिन्दुस्तान में पैदा होता है । जहां तक मूंगफली की बात है सब से अधिक मूंगफली हिन्दुस्तान में पैदा होती है । इन तिलहनों में तेल, सरसों, रेंडी, मूंगफली महत्व की वस्तुयें हैं । जो लोग इन चीजों को पैदा करते हैं, उनकी भी बहुत बुरी हालत है । इन लोगों को वे लोग जिनका काम किसानों को पैसा कर्ज देकर काबू में कर लेना होता है, एक्सप्लायट करते हैं या जो सट्टेबाज होते हैं, वे इनको एक्सप्लायट करते हैं । हापुड़ यू० पी० की सब से बड़ी मंडी है । वहां पर दो तीन महीने तक पहले सरसों का भाव ३० रुपया मन था उस को गिरवा कर २१ रुपया पर ले आया गया यानी ३५ परसेंट के करीब करीब भाव गिरा । इसके बाद जब किसानों ने अपना माल बेच दिया तो अब तिलहन के भाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं । यह एक साल की बात नहीं है कई सालों से ऐसा होता आ रहा है । पहली पार्लियामेंट के समय में सरकार ने यह ऐलान किया था कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि किसी अन्न के भाव बहुत गिर जाये तो सरकार उसकी खरीद शरू करेगी । यही पालिसी सरकार तिलहन के बारे में क्यों नहीं

अपना रही है ? सारी दुनिया के तिलहन का पांचवां हिस्सा हिन्दुस्तान में पैदा होता है और उसके भाव अगर इस तरह से गिरा दिये जायें तो अवश्य ही सरकार का ध्यान उस ओर जाना चाहिये। इस तरह से जो कीमत नीचे ऊपर जाती आती है उसको रोकने के लिए हमारे वर्तमान मंत्री महोदय ने भी प्रयास किया और उसमें वह कुछ आगे भी बढ़े हैं। बड़े २ गोदाम कायम किये गये हैं लेकिन उस दिशा में जितना काम होना चाहिए उससे कम हुआ है । सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । किसान हमारे भारतीय समाज की बैकबोन है और इस नाते यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इस देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों की आर्थिक अवस्था में सुधार किया जाय, उनकी हालत बेहतर बनाई जाय और उनको सिंचाई, बीज, और पैसे आदि का प्रोत्साहन देकर इस देश का खाद्य उत्पादन बढ़ाया जाय क्योंकि खाद्य उत्पादन पर ही इस देश की समृद्धि निर्भर करती है । ग्रो मोर फुड, अधिक अन्न उपजाओ के नारे लगाने, पैम्फलैट बांटने और सभाएं करने से यह काम पूरा होने वाला नहीं है । देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें सक्रिय कदम उठाने होंगे और किसानों को सिंचाई, खाद, बीज आदि की सुविधायें प्रदान करनी होंगी। जब तक किसानों को यह सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक किसान आगे नहीं बढ़ सकते हैं । खेती के अलावा उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है । यह स्पष्ट है कि अगर उसको उसके लिए तमाम जरूरी सुविधायें नहीं मिलती हैं तो वह विवश हो जाता है और उसके पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं रहता है कि वह गांव को छोड़कर मजदूरी की तलाश में शहर चला जाय। हम देखते हैं कि हमारे किसान गांव छोड़ कर दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े २ शहरों को आते हैं । गांवों में चूंकि उन्हें सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं इसलिए वे शहरों में आ रहे हैं और इससे शहरों की आबादी बढ़ रही है । अगर सचमुच ही आप अपने समाज की और अपनी आर्थिक व्यवस्था की उन्नति करना चाहते हैं तो केवल स्टील और एटमिक एनर्जी से यह उन्नति होने वाली नहीं है बल्कि हमें अपने देश में कच्चे माल का उत्पादन भी बढ़ाना होगा । आज आवश्यकता इस बात की है कि इस ओर सरकार ध्यान दे और कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाये जांये । अगर हम अब भी न चेते और हमने अपने देश में खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के उत्पादन को न बढ़ाया तो हम जहां आज हैं वहीं पड़े रहेंगे । पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अब तक हमने विदेशों से ११ अरब रुपये का गल्ला मंगाया है । अगर हम देश को वाकई खुशहाल और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो इस बात की जरूरत है कि हम विदेशों से अन्न मंगाना बंद करें और स्वयं इस दिशा में आत्मनिर्भर बनें ।

†श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना) : खाद्य और कृषि मंत्रालय की मांगों का विभिन्न मंत्रालय की विकास योजनाओं की मांगों से तुलना करने पर मुझे निराशा हुई है । मैं अनुभव करता हूं कि देश की कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था पर आवश्यक जोर नहीं दिया जा रहा है और उसके बिना देश में किसी भी क्षेत्र में विकास की नींव पक्की नहीं हो सकती । देश का मुख्य आधार कृषि है, ८१ प्रतिशत देश की जनता देहातों में रहती है । परन्तु हमारे गरीब किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है । किसान चाहता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अजित सिंह सरहदी]

है कि "अधिक अन्न उपजाओ" के लिए उसे प्रेरणा और सुविधायें प्राप्त हों । क्या उसे कोई प्रेरणा दी जा रही है ? अभी तक सरकार ने किसानों की उपज की कम से कम कीमत भी निर्धारित नहीं की । पंजाब के आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन से पता चलता है कि बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में ५० व्यक्तियों के किसान परिवार की वार्षिक आय ६१.३७ रु० प्रति एकड़ तक आती है और सिंचाई वाले क्षेत्रों में यह आय १९०.१७ रुपये प्रति एकड़ आती है । इससे आप एक किसान की आय और औद्योगिक कर्मचारी की आय की तुलना कर सकते हैं । यह अन्तर प्रथम योजना काल में भी था और द्वितीय योजना काल में भी जारी है । इसको कैसे ठीक किया जाय और किसान की हालत कैसे सुधारी जाय इस सम्बन्ध में अभी कुछ भी किया नहीं गया है । जहां मैं देश के औद्योगिक विकास के पक्ष में हूं वहां मैं कृषि के विकास की भी उपेक्षा नहीं कर सकता । वही तो हमारे राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था का आधार स्तम्भ है । मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सब से प्रथम बात यह है कि कृषि उत्पादन की कीमतों को समुचित स्तर पर लाया जाये ताकि किसान को कुछ सन्तोष हो । दूसरी बात यह है कि उसे यह विश्वास दिलाया जाये कि कम से कम निर्धारित मूल्य तो उसे प्राप्त हो ही जायेगा । इस सम्बन्ध में खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों का ध्यान रखा जाना चाहिए । यह भी सुझाव है कि खाद्यान्न व्यापार का नियंत्रण सरकार को अपने हाथों में ले लेना चहिए । ऐसा न करके यदि इस काम को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया जाये, तब भी किसान को सन्तोष हो सकता है । जब हमारे पास यह सब करने की व्यवस्था है तो उसका उपयोग क्यों न किया जाय । किसान को 'अधिक अन्न उपजाओ' के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिल रही अतः उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

अब मैं दूसरे अंग पर आता हूं । किसान अधिक उत्पादन के लिए सुविधायें चाहता है। पंजाब में ४८ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जहां सिंचाई सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है । सिंचाई योजनायें कार्यान्वित करने के लिए पंजाब सरकार को ७½ करोड़ रु० की आवश्यकता है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए केवल ७७ लाख रु० दिया है। इसलिए निवेदन है कि पंजाब सरकार को सिंचाई योजनायें कार्यान्वित करने के लिए रुपया दिया जाना चाहिए । इन योजनाओं से ४८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और उत्पादन बढ़ेगा । पंजाब के मुख्य मंत्री का कहना है कि खाद्य उत्पादन में हम ९८ करोड़ की हानि उठा रहे हैं । इसका कारण पानी का अभाव है । ९८ करोड़ के लाभ के लिए ७½ करोड़ व्यय न करना कहां की बुद्धिमानी है ? ठीक ढंग से सोचने पर हमें इस बात का पता चलेगा कि हमें कृषि की समृद्धि की ओर ध्यान देना ही होगा। ६९० लाख एकड़ भूमि बंजर है और ६०० लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर यदि सिंचाई व्यवस्था हो जाये तो कृषि हो सकती है । हमें सिंचाई का व्यापक कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी भूमि सिंचाई के अयोग्य न रहे।

किसान को सहायता से हम देश का उत्पादन और उसकी उत्पादन क्षमता दोनों की वृद्धि कर सकते हैं । कृषि की समृद्धि ही देश के विविध प्रकार के विकास का आधार है । एक और बात लीजिये, कुछ दिन हुये सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने कहा था कि लोग सिंचाई सुविधाओं का समुचित रूप में उपयोग नहीं करते । इसमें भी किसान का दोष नहीं है ।

बड़ी बड़ी योजनाओं को छोड़िये छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाओं को सामुदायिक विकास खंडों पर क्यों नहीं छोड़ा जाता? ये विकास खंड किसान की हालत का सुधार करने के लिये सब से अच्छे साधन हैं। विकास आयुक्तों के छटे सम्मेलन में जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने का निश्चय हुआ है, यदि उनको सामुदायिक विकास खंडों के सुपुर्द किया जाये तो भारत खाद्यान्नों के सम्बन्ध में न केवल आत्म-निर्भर होगा प्रत्युत काफी बचत भी कर सकेगा। हमारे खाद्य मंत्री तो बहुत कुछ कर रहे हैं परन्तु वित्त मंत्री उन्हें समुचित धन नहीं देते। सामुदायिक विकास के लिए भी जो धन स्वीकृत है उसमें भी कृषि योजनाओं के लिए बहुत कम व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि किसानों को अधिक उत्पादन के लिए साधन उपलब्ध होने चाहिएं। उन्हें किसी प्रकार की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। केवल कल ही मंत्री महोदय ने कहा है कि ग्रामीण ऋणों के लिए काफी धन की व्यवस्था की गयी है। यह ऋण व्यवस्था सामुदायिक विकास खंडों के द्वारा होनी चाहिए। इस व्यवस्था के लिए राज्य सेवाओं के अथवा आई० ए० एस० लोगों को न लेकर उन लोगों को लेना चाहिए जो साधारण जनता की भावनाओं को जानते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी यह काम सौंपा जा सकता है क्योंकि वे लोग प्रायः जनता के सम्पर्क में आते हैं। उर्वरकों का मामला भी सामुदायिक विकास खंडों को दिया जा सकता है।

पंजाब में काफी भूमि व्यर्थ पड़ी है। पेप्सू की भूमि का कृषिकरण हो रहा है, इस सम्बन्ध में सभी साधन पंजाब सरकार के सुपुर्द करने चाहिए। भूमिहीन लोगों और हरिजनों को बेकार पड़ी भूमि दी जानी चाहिए। अन्त में मेरा कहना है कि देश की कृषि सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और मंत्री महोदय को इस दिशा में प्रत्येक प्रयत्न कर किसान की हालत में सुधार करना चाहिए।

श्री यादव (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि हमारा भारतवर्ष देश एक कृषि प्रधान देश है परन्तु दुःख इस बात का है कि हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में अकाल की सी स्थिति रहा करती है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका एक ही कारण है और वह है ज़रूरत से कम अन्न का पैदा होना। इसका सिलसिला या इसका रिश्ता दो चीज़ों से है अर्थात् बाढ़ और पानी न बरसना। सूखे से इसका सीधा सम्बन्ध है। १०, ११ वर्ष की आज़ादी के बाद भी और प्रधान मंत्री महोदय के बारबार बाढ़ और सूखे से लड़ने के लिए अभियान करने के बावजूद भी आज देश सूखे और बाढ़ दोनों का शिकार बन रहा है।

अगर सभी लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार भोजन देने की बात की जाय तो इस देश के खाद्य उत्पादन में ४० प्रतिशत वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रधान मंत्री महोदय ने अपने एक बयान में कहा कि हिन्दुस्तान के लोग यदि दूसरे देशों से उनका मुक़ाबला किया जाय तो वे अन्न अधिक खर्च करते हैं। परन्तु उन्होंने तसवीर का जो दूसरा पहलू है उसको छिपा लिया। अन्य देशों में लोग अन्न की जगह फल, तरकारी, दूध, गोश्त और अंडों आदि चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह उनके द्वारा अन्न का कम इस्तेमाल होता है परन्तु इन चीज़ों का हमारे देश में बहुत अभाव है। यूरोप में अमरीका और रूस में प्रति बच्चा आध सेर दूध का औसत पड़ता है जब कि हमारे देश में प्रति बच्चा आधी दर्जन बूंद का औसत पड़ता है। यदि प्रधान मंत्री की बात को मान लिया जाय तो हमें नौन सीरिएल्स चीज़ों का उत्पादन इस देश में ४०० प्रतिशत बढ़ाना होगा। केवल ४०० फ़ीसदी उत्पादन बढ़ाने से ही काम नहीं चलने वाला है बल्कि उसके साथ साथ यहां के जनसमूह की क्रय शक्ति को बढ़ाना लाज़िम होगा। आज जिस तरह की स्थिति में हम रह रहे हैं उसमें हम अगर अपनी अन्न की समस्या को देखें तो हमें उसके लिए तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन की व्यवस्था को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो पौष्टिक भोजन, जो

[श्री यादव]

कि शरीर को अच्छी तरह से रख सके और मनुष्य का विकास हो सके । दूसरा काम चलाऊ भोजन जिसको कि खाकर काम चल सके और तीसरा क्षुधार्थ भोजन ताकि आदमी मरे नहीं जीता रहे । आज भारतवर्ष के प्रति व्यक्ति को १५०० कैलोरीज़ ही मिलती है जब कि पौष्टिक भोजन के लिए २४०० कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है । इसके विपरीत यूरोपीय देशों में अमरीका आदि देशों में प्रति व्यक्ति ३२०० कैलोरीज़ का औसत है । आज हम विदेशों की नक़ल करने में लगे हुए हैं और अपने देश में पश्चिमी देशों की नक़ल करके खाद्य का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं । मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान वर्ल्ड बैंक मिशन की सर्वे रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उसने कहा है कि हिन्दुस्तान खेती की पैदावार को देशी साधनों के जरिये ४०० परसेंट बढ़ा सकता है । गोकि औसत पैदावार हमारे देश की दुनिया के अन्य देशों के मुक़ाबले कम है परन्तु क्रौप कम्पिटीशन ने साबित कर दिया है कि हमारे किसान दुनिया के सब से ज्यादा उत्पादन करने वाले देश का मुक़ाबला कर सकते हैं और क्रोप कम्पिटीशन में हिन्दुस्तान को जो इनाम मिले हैं उनके द्वारा पता चलता है कि यदि उचित और उपयुक्त सुविधायें यहां के किसानों को प्रदान की जायं तो वे दुनिया के उन सभी देशों की अपेक्षा अधिक खाद्य उत्पादन कर सकते हैं और कृषि उत्पादन में उनका बड़ी खूबी से मुक़ाबला कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में एक चीज़ और देखने की है और वह यह है कि जिन लोगों को इस सिलसिले में इनाम मिले हैं उन्होंने अपने ही देशी साधनों का इस्तेमाल किया है ।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है और उसके द्वारा किसानों को सिंचाई आदि की सुविधाएं देने का प्रश्न है, उसके हिसाब से हमारे मुल्क में अन्य देशों की अपेक्षा सबसे कम सहूलियतें प्राप्त होती हैं । आज इसकी तरफ़ ध्यान देने की ज़रूरत है ।

आज हम पश्चिमी देशों की नक़ल इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे हिन्दुस्तान में, पूंजीवादी देशों में और साम्यवादी देशों में बड़ा अन्तर है और अन्तर यह है कि उन देशों में भूमि अधिक, आबादी कम और पूंजी ज्यादा है जब कि हमारे देश में ठीक इसके विपरीत है । भूमि कम है, आबादी ज्यादा है और पूंजी भी कम है । इसलिए अगर हम उन देशों की नक़ल करते हैं और मिकैनाइज्ड फ़ार्मिंग की ओर इस देश को ले जाते हैं तो इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है ।

अब सिंचाई के सवाल को ले लीजिये । इस देश में २७ करोड़ एकड़ ज़मीन पर खेती होती है लेकिन अब तक केवल ५ करोड़ एकड़ ज़मीन की सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है । २२ करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी है जिसके कि सींचने का कोई माकूल प्रबन्ध नहीं है और यहां की खेती प्रकृति पर अर्थात् आसमान की कृपा पर निर्भर करती है अर्थात् पानी अगर बरस गया तो खेती हो गयी लेकिन अगर पानी नहीं बरसा तो सूखा पड़ गया । आज आज़ादी प्राप्त हुए दस साल हो गये । इन दस सालों में ६० लाख एकड़ ज़मीन के सींचने की व्यवस्था की गई है । अगर इस हिसाब से देखा जाय या इसको ड्योढ़ा कर दिया जाय तो बाक़ी ज़मीन की सिंचाई का इन्तज़ाम शायद २०० वर्ष में हो पायेगा और इन २०० सालों में तब तक क्या से क्या हो जायगा और आज जैसी स्थिति चल रही है उसकी कल्पना करके मन में बड़ी चिन्ता उत्पन्न होती है ।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में पूरी सावधानी बर्ते कि उसके द्वारा जो छोटी छोटी सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही हैं और कम्युनिटी प्राजेक्ट्स के ज़रिए जो जगह जगह नलकूपों के लगाने की व्यवस्था हो रही है वह तमाम काम ठीक से चलें क्योंकि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों और बाहर के लोगों की यह राय है कि कम्युनिटी प्राजेक्ट्स में केवल एक समारोह की दृष्टि से काम किये जाते हैं और बेकार के समारोहों पर काफ़ी धन व्यय होता है । वहां पर असली

काम न होकर जीपगाड़ियों, पेट्रोल और भत्तों आदि पर काफ़ी रुपये खर्च किये जाते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सक्रिय क़दम उठाना चाहिए ताकि व्यर्थ के समारोहों पर रुपया खर्च न होकर उपयोगी योजनाओं पर खर्च किया जाय।

आज हमारे देश का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां कि अन्न का संकट न हो। राष्ट्र संघ में २२ देश हैं जिनमें मेरा खयाल है कि मिस्र को छोड़ कर हिन्दुस्तान अन्न के मामले में सबसे पीछे है। अब प्रश्न यह है कि अधिक अन्न कैसे उपजाया जाय ? इसके लिए दो ही परेशानियां हैं, प्रकृति और सरमायेदारी। अब प्रकृति के ऊपर भरोसा करके हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना यह आज के आधुनिक युग में कुछ उचित नहीं जान पड़ता और हमें उसके लिए कोई माकूल व्यवस्था करनी चाहिए ।

दूसरी चीज़ हिन्दुस्तान में सरमायेदारी का प्रश्न है। सरमायेदारी को जब तक मिटाया नहीं जाता है तब तक हिन्दुस्तान के अन्दर बसने वाले किसानों में और मजदूरों में जिम्मेदारी का भाव नहीं पैदा हो सकता है। जब तक किसानों में यह भावना नहीं जागृत होती कि वे लोग जो मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, उस से अच्छा नतीजा निकलेगा, अच्छा फल निकलेगा और उस फल का उपभोग वे करेंगे, दूसरा कोई उन का शोषण नहीं करेगा, तब तक यहां पर ज्यादा अन्न की उपज नहीं हो सकती है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

आज क्या हो रहा है ? एक तरफ तो हमारे कांग्रेस के नेतागण और मंत्री महोदय आदि आये दिन यह भाषण देते हैं कि लोगों को खर्च कम करना चाहिये। कभी कभी तो यहां तक कहा गया कि खाद्यान्न को कोई राजनीतिक प्रश्न न बनाया जाय। लेकिन आज होता क्या है ? इस तरह की अपीलें बहुत होती हैं लेकिन दूसरी तरफ खर्चा बहुत होता है। अगर हिसाब लगाया जाय तो प्रधान मंत्री के ऊपर सरकार का २०, ३० हजार रु० रोज खर्च होता है, गवर्नरों पर ४ लाख रु० सालाना खर्च होता है, केन्द्रीय मंत्रियों पर १ लाख रु० सालाना खर्च होता है, राज्यों के मंत्रियों पर ७० हजार रु० सालाना खर्च होता है। ऐसी दशा में हम किस तरह किसानों और दूसरे लोगों से अपीलें कर सकते हैं कि हम त्याग और तपस्या करें क्योंकि उन के सामने तो इस तरह की मिसालें होती हैं ?

आज तो सरकारी नौकरों और बड़े अधिकारियों का हाल यह है कि जो अन्न उपजाता है उस से तो कहा जाता है कि और उपजाओ, खाद्य समस्या को लेकर लड़ाई की तरह काम करने को कहा जाता है, लेकिन यहां क्या होता है ? सरदार बढ़ते जाते हैं, जेनरल्स बढ़ते जाते हैं, डाइरेक्टर्स नियुक्त होते जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ५०० रु० पाने वाला सरकारी नौकर १ हजार रु० मासिक का भत्ता और ५०० रु० मासिक का भत्ता बनाता है। इसलिये यदि इस सिलसिले में कुछ ध्यान दिया जाय तभी शायद कुछ हो सकता है।

अब आखिर यह समस्या हल कैसे होगी ? हम भी चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि समस्या हल हो। लेकिन अगर विदेशों से ही अन्न मंगा कर हिन्दुस्तान की आवश्यकता को पूरा किया गया तो मुझे पता नहीं है कि सरकार कहां तक इस मामले में सफलता प्राप्त कर सकेगी क्योंकि सरकार ने तो चारवाक के दर्शन पर ही चल कर काम करना शुरू किया है। चारवाक का दर्शन क्या था ?

"यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्,
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः"

कर्ज कर के भी मस्ती से रहो, घी भी खाओ। यही हमारी सरकार कर रही है। लेकिन अगर सरकार यह चाहती है कि अन्न संकट को सदा के लिये हल किया जाय तो सरकार को चाहिये कि

[श्री यादव]

वह सब से प्रथम जमीन का बटवारा करे । यह प्रश्न हर जगह उठता है । कई माननीय सदस्यों ने भी कहा और सरकार भी जगह जगह कहती रहती है कि जमीन का बंटवारा होना चाहिये पर जमीन इतनी हो तो बट सके । इतनी जमीन काफी नहीं है । इसलिये मैं यही नहीं कहूंगा कि जमीन का बटवारा हो, मैं एक और बात माननीय मंत्री के सामने रखना चाहूंगा । आज हिन्दुस्तान में १४ करोड़ एकड़ के करीब जमीन परती पड़ी है जो कि खेती के लायक है । बेकार पड़ी हुई है । इस के अतिरिक्त १० करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिस का अब तक कोई वर्गीकरण नहीं किया गया । जिस १० करोड़ एकड़ जमीन का वर्गीकरण नहीं किया गया, अगर उस को निकाल दें तो आज देश में २७ करोड़ एकड़ जमीन पर खेती होती है और १४ करोड़ एकड़ परती पड़ी हुई है । इस तरह से ४१ करोड़ एकड़ जमीन देश में है । लगभग ५ करोड़ परिवार खेती के सहारे हैं । भूमिहीन मजदूर परिवारों और ६३ लाख भूमिहीन किसानों के लिये १० करोड़, ७१ लाख एकड़ जमीन चाहिये । ६ एकड़ से कम जोत वाले करीब २ करोड़ परिवारों के लिये ८ करोड़ एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी । इसी प्रकार ७ एकड़ की निम्नतम जोत के लिये १८ करोड़, ६१ लाख एकड़ जमीन चाहिये । १४ करोड़ एकड़ के करीब जमीन परती पड़ी हुई है जो खेती में इस्तेमाल की जा सकती है । लगभग ६ करोड़ एकड़ मिल सकती है अगर हम ३० एकड़ की सीलिंग को कम कर के २० करें । इस तरह से लगभग २० करोड़ एकड़ जमीन बच जाती है । उस जमीन पर अगर बेकार लोगों को बसा दें तो दस साल के अन्दर हमारे यहां वह चमत्कार पैदा हो सकता है कि हिन्दुस्तान का सारा संकट दूर हो जाय और यहां की बेकारी भी दूर हो जाय । मैं चाहता हूं कि इस तरफ तवज्जह दी जाय ।

इसी तरह से ४ करोड़ के करीब खेतिहर मजदूर हिन्दुस्तान में हैं । उन की मजदूरी के सवाल की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । हमारे यहां अलाभकर जोतें हैं । केन्द्रीय सरकार ने और कई राज्य सरकारों ने भी माना है कि ६ एकड़ के नीचे वाली सभी जोतें अलाभकर हैं और उन की लगान माफ होनी चाहिये । इस सिलसिले में मैं सरकार का ध्यान सन् १९३० में जो कराची कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें उन्होंने जो प्रस्ताव पास किया था कि अलाभकर जोतों की लगान माफ होनी चाहिये, उस की तरफ दिलाना चाहता हूं । उस को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

आज देश में दामों की लूट चल रही है । जब फसल कटती है तो अनाज के भाव गिर जाते हैं और जैसे ही किसानों के घर से निकल कर, छोटे दूकानदारों के घर से निकल कर, अनाज आढ़तियों और पूंजीपतियों के यहां पहुंच जाता है, उस दिन से ही वह मंहगा होना शुरू हो जाता है। फी सेर २ और ३ आना तक दाम बढ़ जाता है । आज इस तरह की लूट देश में होती है इन आढ़तियों और पूंजीपतियों के जरिये से । सरकार को चाहिये कि वह इस ओर भी ध्यान दे । फसल कटने के बाद अगर उस का दाम २ पैसा सेर तक बढ़ जाय तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसका दाम इस तरह से २ आ० और ३ आ० फी सेर तक बढ़ जाय तो यह अन्धेर की बात है । आज जितनी उपयोग की वस्तुयें हैं उन का मूल्य काफ़ी बढ़ा हुआ है । जब भी इस तरह की कोई बात की जाती है तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि दूसरे देशों में भी सब चीजों के दाम बढ़े हुए हैं । लेकिन मैं आप का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि दूसरे देशों में, चाहे योरोप हो या अमरीका हो, अगर दूध और आलू के दामों को देखा जाय तो वह कोई ज्यादा नहीं बढ़े हैं । जो दाम हमारे देश में हैं प्राय: वैसे ही दाम वहां हैं । वहां सिर्फ जो लग्जरी की चीजें हैं, उन के दाम बढ़े हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो एक आनरेबल मेम्बर श्री रामजी वर्मा रह जायेंगे; इसलिये आप को चाहिये कि आप एक मिनट में खत्म करें ।

श्री यादव : मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं ।

तो श्रीमन्, यहां आज क्या हो रहा है । सन् १९५१ में प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था कि अन्न संकट को हम जल्दी हल कर सकेंगे । उस के बाद सन् १९५३ आया, १९५५-५६ आया जब कि वर्षा के कारण फसल अच्छी हुई और काफी अन्न पैदा हो गया । उस समय फसल अच्छी तो हुई वर्षा से लेकिन सारे का सारा श्रेय सरकार लेने को तैयार हो गई कि हम ने अन्न संकट पूरी तरह से खत्म कर लिया है, हम इस मसले पर हावी हो गये हैं, फूड सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ गई है । लेकिन पिछले वर्ष कहीं पर पानी ज्यादा बरसने से और कहीं कम बरसने से फसल खराब हुई तो हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि यह कुदरत की बदतमीजी है । जब पानी बरसने से अन्न अच्छा हो जाय तब यह होता है कि कांग्रेस सरकार के काम की वजह से हुआ, लेकिन अब की जब फसल खराब हुई प्राकृतिक कोप के कारण, चूंकि कुदरत ने साथ नहीं दिया, तो श्री नेहरू कहते हैं कि यह कुदरत की बदतमीजी है । अगर अच्छा पानी बरसने से सरकार फसल होने का सारा श्रेय लेने को तैयार रहती है तो उस के कम होने पर भी उस को जिम्मेदारी को बर्दाश्त करने के लिये भी उसे तैयार रहना चाहिये ।

मंत्री महोदय या इस मंत्रालय की ओर से जो कागजात मिले हैं उन में रेलवे डिपार्टमेंट की बड़ी शिकायत की गई कि ट्रान्स्पोर्ट फेसिलिटीज नहीं हैं । सदन में यह कहा जाता है कि जगह जगह पर कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, वहां सामान ले जाना होता है, लेकिन रेलों की सुविधा नहीं मिलती है । अजीब तरह से यहां चर्चा चल रही है । कृषि मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय क्या कोई अलग अलग चीजें हैं, फाइनेन्स मिनिस्ट्री अलग चीज है ? जैसे सरकार में संयुक्त जिम्मेदारी कोई चीज ही नहीं है । आज कैबिनेट की हालत क्या है ? अगर इस को संयुक्त जिम्मेदारी, ज्वायेंट रिस्पांसिबिलिटी की दृष्टि से देखा जाय, जिस तरह से मंत्रिगण बात करते हैं या माननीय सदस्य बात करते हैं, उस से देखा जाय तो पता चलता है मानो केरल राज्य की कम्यूनिस्ट सरकार सेन्ट्रल सरकार के खिलाफ कोई कार्य कर रही है । आज यहां इस तरह का दृष्टिकोण नजर आता है । यह जो हालत है, वह बड़ी ही खतरनाक है ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि वे खाद्यान्न की समस्या को हल करना चाहते हैं तो मैंने जिन चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है उन पर विचार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि बहुत कम समय रह गया है, इसलिये क्या श्री रामजी वर्मा पांच मिनट में खत्म कर सकेंगे ?

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : मैं पांच मिनट में नहीं खत्म कर सकूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मेरे सहयोगी, डा० पं० शा० देशमुख ने बहुत से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देकर, जो कि कल सभा में उठाये गये थे, मेरा काफी भार हलका कर दिया है । शायद मैं, माननीय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

सदस्यों द्वारा कही गयी सारी बातों का उत्तर देने में समर्थ न हो सकूं परन्तु, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि मुझ से कोई बात छूट जाये तो वे यह न समझें कि मैं उसकी बात की उपेक्षा करना चाहता हूं। समय के अभाव के कारण शायद कुछ बातें छूट जायें, परन्तु प्रस्तुत सुझावों पर समुचित ध्यान अवश्य दिया जायेगा।

मैं खाद्य समस्या के तीन प्रमुख अंगों पर कुछ कहना चाहता हूं; एक, वर्तमान खाद्य समस्या; दूसरी अल्पकालीन योजना; और तीसरी दीर्घकालीन योजना। वर्तमान खाद्य समस्या के सम्बन्ध में मैं उन कार्यवाहियों का उल्लेख करूंगा जो हम १९५८-५९ के चालू वर्ष में कर रहे हैं। 'अल्पकालीन' योजना से तात्पर्य उन कार्यवाहियों से है जिन्हें हम योजना की शेष अवधि में करेंगे। 'दीर्घकालीन' योजना सम्बन्धी कार्यवाही आगामी लम्बी अवधि को ध्यान में रखकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए की जायेगी।

मैं केरल के चावलों के मामले, और श्री सिद्धार्थ रे द्वारा पश्चिमी बंगाल की खाद्य नीति की आलोचना सम्बन्धी प्रश्नों को भी उठाना चाहता हूं। और अन्त में, मैं उस आलोचना के सम्बध में कुछ कहूंगा जो कि खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित न करने के सम्बन्ध में की गयी है। इस बात पर मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने बहुत जोर दिया है। समय मिला तो कुछ अन्य बातों को भी लेने की कोशिश करूंगा।

श्री अशोक मेहता ने अपने भाषण में कहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में खाद्य के मामले में स्वावलम्बी होने की बात कहना भ्रामक है वस्तुतः खाद्य की आवश्यकता विकास की गति पर निर्भर है। मैं उनके कथन का समर्थन करता हूं। मैं भी यह बात कहूंगा कि विकासशील अर्थव्यवस्था में स्वावलम्बी होना एक अलभ्य आदर्श है विकास की गति बढ़ने के साथ साथ उत्पादन और मांग के बीच गहरा अन्तर पैदा हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मार्शल का केंची के फलकों वाला सिद्धान्त बिल्कुल सही उतरता है अर्थात् विकास की गति की तीव्रता के साथ मांग और पूर्ति में अन्तर बढ़ता जायेगा। स्थिर अर्थव्यवस्था में जो संभरण देश को स्वावलम्बी बना सकता है वही विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये अपर्याप्त रहता है। यह बात हमारे देश, तथा अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी हुआ, उससे स्पष्ट हो जाती है।

मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि पिछले वर्षों में हमारा कृषि उत्पादन जिसमें अन्न दालें तथा तिलहन, रुई, पटसन और गन्ने इत्यादि की व्यापारिक फसलें शामिल हैं, में वृद्धि हुई। यदि हम १९४९-५० को आधार वर्ष मानें तो १९५२-५३ में उत्पादन के आंकड़े १०२, १९५३-५४ में ११४.३, १९५४-५५ में ११६.४ तथा १९५६-५७ में १२३ हैं। पिछले सात वर्षों में कृषि उत्पादन में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

खाद्यान्नों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। लेकिन यह वृद्धि अनियमित रही है। खाद्यान्नों के उत्पादन में भी यदि हम १९४९-५० को आधार वर्ष मानें तो १९५१-५२ में हमारा उत्पादन ९१.१ था। १९५५-५६ में ११३.५ और १९५६-५७ में उत्पादन ११९.६ था। यदि हम पिछले कई वर्षों के आंकड़ लें तो हमें ज्ञात होगा कि उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। १९५६-५७ में अधिकतम उत्पादन होने पर भी, जो लगभग ६८७ लाख टन था हमें काफी परेशानी हुई और संभरण तथा मूल्य दोनों के सम्बन्ध में काफी कठिनाई उठानी पड़ी। हमें विदेशों से ३० लाख टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। इससे मेरे इस कथन का औचित्य सिद्ध हो जायेगा कि विकासशील अर्थव्यवस्था में घाटे की अर्थव्यवस्था, ऋण सम्बन्धी नीति इत्यादि, बजट से सम्बन्धित

नीतियों के कारण, मांग बढ़ती जाती है । उक्त आर्थिक और राजकोषीय नीतियों का प्रभाव खाद्य अवस्था पर पड़ता है ।

कीमतों के सम्बन्ध में यदि हम १९५२-५३ वर्ष को आधार वर्ष मानें तो जनवरी १९५७ में कीमतें ९७ थीं फरवरी १९५७ में १०० हो गई । अगस्त में कीमतें बढ़कर १०६ हो गईं तत्पश्चात् मूल्यों का गिरना प्रारम्भ हुआ और जनवरी १९५७ में कीमतें फिर ९७ रह गईं । २२ मार्च को समाप्त होने वाले सप्ताह में कीमतें ९५ रह गईं । इस प्रकार १९५७ में वर्ष के पिछले भाग में और १९५८ के प्रारम्भ में कीमतें गिर रही हैं । तथापि उक्त आंकड़े सभी अन्नों पर लागू नहीं होते थे । उदाहरणार्थ चावल का मूल्य जो जनवरी १९५७ में ९३ था वह बढ़ कर २३ मार्च १९५८ को समाप्त होने वाले सप्ताह में १०० हो गया । किन्तु ज्वार, बाजरा, जौ, मकई इत्यादि की कीमतों में कमी हुई । लेकिन चावल के मूल्यों में उल्लिखित कमी नहीं हुई ।

वर्ष १९५७-५८ के लिय राज्य सरकारों के अनुमान के अनुसार उनके उत्पादन में ६० लाख टन की कमी होगी यह कमी मुख्यत: चावल की होगी । लेकिन हाल में जो फसल काटी गई है उसके आधार पर पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार कुल कमी ३५ लाख टन की होगी । यह कमी बहुत अधिक है और अल्पकाल में इसकी पूर्ति केवल आयात के द्वारा ही की जा सकती है ।

चावल के आयात का मुख्य स्रोत बर्मा है । १९५६ के समझौते के अनुसार बर्मा १९५८ में हमें ५ लाख टन चावल का आयात करेगा । लेकिन बर्मा में सूखा पड़ने के कारण अब बर्मा जो पहिले १५ लाख से २० लाख टन चावल प्रति वर्ष निर्यात करता था अब के केवल ७.५ लाख टन का निर्यात करेगा । इसलिय बर्मा की सरकार ने हमें यह सूचना भेजी है कि वे केवल २.५ लाख टन चावल दे सकेंगे । इस प्रकार जो राशि अवशेष बचेगी उसका उपयोग अन्य देशों से चावल खरीदने में किया जायेगा । आशा है कि यह कमी अन्य देशों से चावल खरीद कर पूरी कर ली जायेगी लेकिन हमें उसके लिये अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी ।

यद्यपि इस वर्ष बर्मा से अपेक्षाकृत कम चावल आयेगा तथापि इस कमी के प्रभाव का निराकरण इस प्रकार हो जायेगा कि इस वर्ष के प्रारम्भ में हमारे पास २,४०,००० टन चावल थे जबकि पिछले वर्ष केवल ८५,००० टन चावल थे ।

गेहूं के आयात के सम्बन्ध में हमारे पास महत्वाकांक्षी योजना है अत: इस सम्बन्ध में अधिक कठिनाई नहीं है । इस वर्ष के पहिले आठ या ९ महीनों में हम १७ लाख टन गेहूं का आयात करेंगे । अब हम गेहूं के आयात के सम्बन्ध में पी० एल० ४८० के अधीन एक नया समझौता कर रहे हैं और यह गेहूं सितम्बर अक्टूबर से आना प्रारम्भ हो जायेगा । उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समय ५०,००० और २ लाख टन गेहूं है । हमें आशा है कि इस मात्रा से वे आगामी अभावकाल का सामना करने में सफल होंगे । यदि वे गेहूं की मांग करेंगे तो भी हम उन्हें उदारतापूर्वक देने में समर्थ हैं ।

अब मैं विभिन्न राज्यों को गेहूं दिये जाने के प्रश्न को लेता हूं । मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से आई जानकारी के अनुसार वे अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं । वस्तुत: वे भारत सरकार को कुछ अतिरिक्त चावल देने में भी समर्थ हैं । आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में घेराबन्दी करने के पश्चात् से बम्बई के संभरण का पुराना स्रोत समाप्त हो गया है और उस राज्य की कठिनाई बढ़ गई है । मैंने बम्बई के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री से बातचीत की है और उनकी आवश्यकता का अनुमान लगाया है और आशा है हम काफी अंशों तक उस राज्य की मांग पूरी करने में समर्थ होंगे ।

[श्री अ० प्र० जैन]

बिहार की चावल की फसल ४० प्रतिशत खराब हो गई है। हम इस हानि की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिये यह निश्चय किया गया है कि हम बिहार सरकार को गेहूं देंगे जिसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। तथापि आदिवासी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिये उन्हें कुछ चावल भी मिलेगा। बंगाल में ७ लाख टन की कमी का अनुमान है जिसे गेहूं से पूरा किया जायेगा। हम उन्हें ५ से ६ लाख टन तक गेहूं देंगे।

बंगाल को १६५६ में हम ने ३.७ लाख टन और १६५७ में ५.७ टन गेहूं भेजा है १६५८ में भी इतना ही गेहूं भेजना होगा। हम पश्चिम बंगाल को १.५ लाख टन चावल भेजने की आशा करते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार से १.५ लाख टन चावल प्राप्त कर तथा अन्तर्देशीय पैदावार से प्राप्ति के द्वारा पश्चिमी बंगाल की सरकार स्थिति का सामना करने में समर्थ हो सकेगी।

आसाम, बिहार और कश्मीर की मांग भी यथाशक्ति चावल भेज कर पूरी की जायेगी।

हमारी नीति यह है कि हम आंध्र का समस्त अतिरिक्त चावल खरीद लेंगे। हमने खरीद करने के लिये पर्याप्त अच्छी व्यवस्था कर ली है। तथापि हम आंध्र की चावल के मिलमालिकों को चावल अन्य राज्यों में निर्यात करने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि इससे मुनाफाखोरी बढ़ेगी। चावल के सम्बन्ध में प्रथम पूर्ववर्तिता दक्षिणी क्षेत्र को दी जायेगी जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है वह करीब करीब स्वावलम्बी राज्य है तथा भविष्य में हम मद्रास को केवल गेहूं देंगे।

कुछ दिन पूर्व श्री सिंहासन सिंह ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या खाद्यान्नों का आयात घटा कर उस राशि का उपयोग उर्वरकों का आयात करने में नहीं किया जा सकता है? इसके उत्तर के दौरान मैंने कहा था कि यह जटिल प्रश्न है लेकिन मैं चर्चा के दौरान इसका स्पष्टीकरण करूंगा। यह कहा जाता है कि मेरा मंत्रालय विदेशी मुद्रा व्यय करने के लिये उत्तरदायी है। वर्ष १६५८-५६ के लिये हम ने ११८ करोड़ की मांग की है। जिसमें से ७ करोड़ देश के अन्दर खरीद करने से आयेगा अवशेष १११ करोड़ में से भी हम ने केवल ३६ करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में लिये हैं।

श्वेत पत्र के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष ४८ करोड़ रुपये के खाद्यान्न आयात करने का उपबन्ध किया गया है। पहिले तीन वर्षों में हम ने १२७ करोड़ रुपये लिये हैं अर्थात् योजना में निर्धारित राशि से भी १७ करोड़ कम लिये हैं। १६५६-५७ में खाद्यान्न पर जो विदेशी मुद्रा व्यय की गई थी वह कुल विदेशी मुद्रा का ५ प्रतिशत से भी कम था। आगामी वर्षों में यह प्रतिशत और भी कम होगा।

बर्मा के चावल का मूल्य हमें पोंड में चुकाना होता है। भारत पहिले से ही बर्मा से चावल खरीदता है जिसके द्वारा बर्मा भारत से तैयार की हुई वस्तुएं मंगाता है इसलिये सभी दृष्टियों से यह हमारे हित में है कि हम इस व्यापार को जारी रखें।

खाद्यान्न जांच समिति ने यह सुझाव दिया है कि बर्मा के साथ दीर्घकालीन अवधि के लिये तथा अधिक राशि के लिये व्यापार किया जाय। इस वर्ष बर्मा में सूखे की स्थिति से यद्यपि दीर्घकालीन समझौता करना अच्छा नहीं होगा तथापि व्यापार में कमी करना भी वांछनीय नहीं होगा।

गेहूं के आयात के लिये पी० एल० ४८० के अधीन हमें गेहूं का मूल्य रुपयों में चुकाना पड़ेगा। तथापि उसमें एक शर्त यह है कि हमें अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति पहिले खुले बाजार से करनी चाहिये। सामान्य आवश्यकता ५५०,००० टन के लगभग थी जिसका एक अंश

सहायक कार्यक्रम के अधीन अमेरिका से प्राप्त होगा जिसका मूल्य हमें विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी। अर्थात् पी० एल० ४८० के अधीन खाद्यान्न का निर्यात करने के लिये हमें सामान्य आवश्यकता की पूर्ति के लिये पोंड या डालर व्यय करने होंगे।

१९५८-५९ के बजट प्राक्कलनों में पी० एल० ४८० के अधीन ७५ करोड़ के खाद्यान्नों के आयात की भी व्यवस्था है। माननीय सदस्यों को पता है कि आगामी वर्षों में हम खाद्यान्नों के आयात में कमी नहीं कर सकते हैं अतः खाद्यान्नों के स्थान पर उर्वरक खरीदने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। तथापि हम यह प्रयत्न करेंगे कि अधिकाधिक उर्वरक खरीदें। वस्तुतः विदेशी मुद्रा बचाने तथा उर्वरकों के आयात और खाद्यान्न के आयात में कोई सम्बन्ध नहीं है।

अब मैं अल्पकालीन समस्या को लेता हूं। जनसंख्या की वृद्धि, नगरों की आबादी बढ़ने, तथा अधिक आय के फलस्वरूप मांग बढ़ने के कारण उत्पन्न कुल मांग पर विचार करने के पश्चात् खाद्यान्न जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आगामी कुछ वर्षों तक भारत को विदेशों से २० से ३० लाख टन प्रतिवर्ष अनाज मंगाना पड़ेगा। इसके लिये उन्होंने पहिला सुझाव यह दिया है कि बर्मा से चावल के आयात के लिये एक दीर्घकालीन समझौता किया जाये और दूसरे पी० एल० ४८० के अधीन गेहूं और चावल का बड़ी मात्रा में अमेरिका से आयात किया जाये।

हाल में जो सूखा पड़ा है उसके कारण बर्मा से दीर्घकालीन समझौता होने की संभावना नहीं है। अमेरिका के पास अतिरिक्त चावल बहुत कम है। पी० एल० ४८० के अधीन इस वर्ष के लिये समझौता हो चुका है। आशा है हम दीर्घकालीन समझौता करने में भी सफल हो जायेंगे तथापि यह बात अमेरिका की इच्छा पर अधिक निर्भर करती है। खाद्यान्न जांच समिति का एक सुझाव यह है कि हम खाद्यान्न का रक्षित भंडार रखें। हमारे रक्षित भंडार की स्थिति बहुत अच्छी है। १-१-५७ को हमारे पास २ लाख टन से अधिक गेहूं तथा चावल था। लेकिन पिछली मार्च को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के भंडार में १,४७१,००० लाख टन खाद्यान्न था। हम भंडार में खाद्यान्नों की राशि बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे तथापि देश में फसल खराब होने तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी चावल उपलब्ध न होने के कारण में चावल की राशि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

माननीय सदस्यों को क्षेत्रीय व्यवस्था के सम्बन्ध में पता है। वह व्यवस्था लागू करने में भी हम ने खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों पर अमल किया है।

हम ने खाद्यान्नों के लाने और ले जाने में भी प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। यह भी खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार हुआ है। सस्ते अनाज की दुकानों की संख्या बढ़ाने, तथा पहिचान पत्र इत्यादि देने में भी खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है। हमने खाद्यान्न की बर्बादी रोकने तथा चावल खाने वाले क्षेत्रों में गेहूं का प्रचार करने का भी प्रयत्न किया है।

मैं खाद्यान्न की वसूली के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। क्योंकि इस सम्बन्ध में समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिश की है। भारत सरकार आंध्र और पंजाब में चावल की वसूली का प्रयत्न कर रही है। आसाम, केरल, मैसूर, और उड़ीसा की राज्य सरकारें अपने उपयोग के लिये खाद्यान्न वसूली करने का प्रयत्न कर रही हैं। खाद्यान्न वसूली की अवस्था इस प्रकार है। १९५७ में आंध्र, उड़ीसा और पंजाब में १५८.६ लाख टन चावल की वसूली की गई इस वर्ष २२ मार्च तक हम १,४७,००० टन चावल वसूल कर चुके हैं अर्थात् कुल मिला कर

[श्री अ० प्र० जैन]

३,०६,००० टन चावल की वसूली हो चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने १२०,००० टन चावल वसूल किया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के द्वारा कुल ४,२५,००० टन चावल की पिछले ६ महीनों में वसूली की गई। मेरे विचार से यह कार्य सन्तोषजनक ही हुआ है।

इस के अतिरिक्त केन्द्र और राज्य सरकारों ने ९६.५ टन मोटा चावल वसूल किया है और इस प्रकार गत ६ मास या कुछ अधिक समय में कुल वसूली ५.२० लाख अनाज हुई है जो कि काफी मात्रा है। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि चावल ही नहीं वरन् अन्य प्रकार के अनाज की वसूली भी होती रहेगी।

जो साधन हम ने अपनाये हैं उन से अल्पकालीन समस्याओं को हल किया जा सकेगा। वास्तविक हल तो उत्पादन बढ़ाना है। कुछ दिन हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमें विश्वास है कि खाद्यान्न जांच समिति ने जो अनुमान लगाया है उस की अपेक्षा हम अधिक उत्पादन कर सकेंगे। मैं भी उन के वक्तव्य का समर्थन करते हुए कहता हूं कि निश्चय ही हम अधिक अच्छा काम कर सकेंगे।

उत्पादन बढ़ाने के लिये हम ने जो काम किये हैं वे तीन श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं पहले तो प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित और सुव्यवस्थित बनाना, दूसरे समय पर ऋण का प्रबन्ध करना और संभरण करना, और तीसरे गलतियों को सुधारना तथा चालू योजनाओं को तेज करना।

जहां तक व्यवस्था को संगठित और सुदृढ़ बनाने का सम्बन्ध है जनवरी के मध्य में राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक बैठक की गई थी और कृषि उत्पादन के विषय पर ब्यौरेवार चर्चा की गई थी। राज्यों के मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री उस में उपस्थित थे। हम ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये व्यावहारिक योजना बना ली है। योजना आयोग और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने अपने प्रतिनिधियों का सामूहिक दल भेजा था। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि श्री शिवरामन कई राज्यों में गये थे। उन्होंने कृषि कार्यक्रमों की असफलता और कमियों की जांच की है। त्रुटियों को दूर करने के लिये उन्होंने राज्य सरकारों के परामर्श से एक योजना बनाई है। सामुदायिक विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को परिपत्र भेजे हैं कि वे कृषि उत्पादन को सब से अधिक अधिमान दें।

†**श्री दो० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : क्या परिपत्रों से भी खाद्यान्न का उत्पादन हो सकता है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : परिपत्रों से उत्पादन तो नहीं होता किन्तु प्रोत्साहन और प्रेरणा जरूर मिलती है। अब इस मंत्रालय और सामुदायिक विकास मंत्रालय के कार्यों में समन्वय हेतु एक सम्पर्क समिति बनाई गई जिस की एक बैठक भी हुई है। हम समय समय पर बैठक कर के सभी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। मैं अब यह कह सकता हूं कि हमारे कार्यों में पहले की अपेक्षा अधिक समन्वय है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने एक विस्तार विभाग भी स्थापित किया है जो राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क रखता है खोज के परिणामों और उच्च प्रविधिक साधनों को किसानों तक पहुंचाता है उचित समय पर संभरण का प्रबन्ध करता है और मंजूरी तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

आवंटन में देरी कम करने का प्रयत्न करता है । मैंने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में एक मंत्रणाकार नियुक्ति किया है जो काफी देर राज्यों में रह कर स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करेगा और कृषि सम्बन्धी विषयों पर उन्हें परामर्श देगा । उसे वहीं स्थान पर निर्णय करने के वे सब अधिकार होंगे जो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को हैं। कुछ विषयों पर उसे योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त करनी होगी । उन विषयों पर निर्णय यहां होगा ।

मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि कृषि विभागों में कर्मचारियों की कमी है । ब्रिटिश शासन के दिनों में कृषि विभाग बहुत छोटा था। लार्ड लिनलिथगो ने इस विभाग को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया था किन्तु फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से वह छोटा ही रहा ।

हम कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान में अधिकाधिक स्नातकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। किन्तु प्रशिक्षण प्रदान करने में १५–२० वर्ष का लम्बा समय लग जाता है । मैं समझता हूं कि जब तक कृषि विभाग के लिये उच्च प्रविधिज्ञ अधिकारी नहीं मिल जाते इसमें नेतृत्व की कमी रहेगी ।

जहा तक समय पर कृषि सम्बन्धी ऋण देने का सम्बन्ध है इस में अच्छी प्रगति की गई है। १९५१–५२ में ऋण सहकारी समितियों ने जितना ऋण दिया था वह २५ करोड़ रुपये से कम था । इस वर्ष १०० करोड़ रुपया ऋण दिया जा रहा है और अगले वर्ष १४० करोड़ रुपया दिया जायेगा ।

†श्री रंगा : किसानों की कुल आवश्यकता कितनी है ?

†श्री अ० प्र० जैन : ७५० करोड़ रुपया। मुझे विश्वास है कि योजना के अन्त १९६०–६१ में हम अल्प-कालीन, मध्य-कालीन और दीर्घ कालीन ऋण के रूप में २२५ करोड़ रुपया दे सकेंगे ।

गोदामों की योजना आरम्भ हो गई है और इस का विस्तार होगा । द्वितीय योजना में हम ने पहली बार बीज बढ़ाने के फार्मों की योजना बनाई गई है । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सामुदायिक खंड में एक २५ एकड़ का बीज का फार्म होगा और इस फार्म के साथ ही एक भंडार भी होगा । फार्म में बीज तैयार होंगे और उन्हें पंजीबद्ध उत्पादकों को दिया जायेगा जो उन बीजों को और बढ़ायेंगे और इस तरह हमें आशा है कि सारे सामुदायिक विकासक्षेत्र को बढ़िया बीज दिया जा सकेगा । प्रथम वर्ष, १९५६–५७ में प्रगति में कुछ अवरोध आ गया था। समाहार आदि के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई थीं। केवल ७० प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुआ था। गत वर्ष १९५७–५८ में १,००० से अधिक फार्मों के लिये मंजूरी दी गई थी और हमें पता लगा है कि इस वर्ष अच्छी प्रगति हुई है । लगभग ४ मास पहले ५० प्रतिशत से अधिक फार्म स्थापित हो चुके हैं और इस के बाद और फार्म स्थापित होंगे । मुझे आशा है कि इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रगति होगी ।

यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिये कि फार्मों से बीज प्राप्त करने में तीन वर्ष लग जाते हैं। क्योंकि पहले वर्ष तो मूलभूत बीज तैयार होता है दूसरे वर्ष उस बीज को बढ़ाया जाता है और तीसरे वर्ष उसे अधिक क्षेत्र में फैलाया जा सकता है और कृषक उस से लाभ उठा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

कृषि विकास की योजनाओं में मैं सिंचाई योजनाओं को सब से अधिक अधिमान देता हूं। यह बहुत चिंता का विषय है कि बड़ी तथा छोटी सिंचाई योजनाओं से प्राप्त जल को उपयोग में नहीं लाया जा सका। १९५६–५७ में इतना जल प्रयोग में नहीं लाया गया जिससे ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी। योजना आयोग और खाद्य कृषि मंत्रालय के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के चार राज्यों में बड़ी सिंचाई योजनाओं की जांच के लिये एक सोध निरीक्षक दल भेजा था।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : अभी हाल में उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा है कि विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण दोरीघाट नहर की परियोजना रुकी पड़ी है। क्या माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे।

†**श्री अ० प्र० जैन** : विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण कुछ योजनाओं को हानि पहुंच रही है। कुछ को उच्च अधिमानता दी गई है किन्तु कुछको अधिमानता नहीं दी जा सकी। मैं निश्चय से नहीं कह सकता कि जिस परियोजना का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं उसे उच्च अधिमान दिया गया है अथवा नहीं। यह सब प्रगति और उस के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की राशि पर निर्भर करता है। मैं अभी उन के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता किन्तु यदि वे लिखें तो में आवश्यक जानकारी भेज सकता हूं।

तो मैं उन पदाधिकारियों के दल की बात कर रहा था। मुझे आशा है कि उन की जांच से त्रुटियां दूर हो सकेंगी। प्राप्त जल के न प्रयोग होने का मुख्य कारण यह था कि कभी तो मुख्य नाले नहीं बनाये गये थे और कभी छोटे तथा खेतों के नाले तैयार नहीं थे। बड़े नाले बनाना तो बांध बनाने वाले सिंचाई विभाग का उत्तरदायित्व था। इन विषयों पर सिंचाई के इंजीनियरों से बातचीत की गई है और कुछ मामलों में उन्होंने कार्यवाही भी की है— उदाहरणत: सम्बलपुर के मामले में उन्होंने कुछ मुख्य नाले बना दिये हैं और उनसे १,१५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। खेतों के नालों का काम सामुदायिक विकास विभाग के हाथ में है। बड़े नालों और खेतों के नालों के निर्माण से, मुझे आशा है कि प्राप्त जल में से बहुत अधिक जल को प्रयोग में लाया जा सकेगा और उत्पादन में वृद्धि होगी।

कृषि उत्पादन के कार्यक्रम में छोटी सिंचाई योजनाओं का बहुत महत्व है। श्रीमती रेणुका राय ने पश्चिमी बंगाल की कतिपय योजनाओं के बारे में कुछ प्रश्न उठाये थे। दुर्भाग्यवश वे योजनायें हमारे पास समय पर नहीं पहुंची और यह गलती हमारी नहीं थी। राज्य सरकार ने उन्हें वार्षिक योजना में भी शामिल नहीं किया। तो भी मैं उन योजनाओं पर विचार करने के लिये तैयार हूं। हमें पश्चिमी बंगाल सरकार से प्रार्थना मिली है और हम इन योजनाओं के प्रवर्तन के लिये पर्याप्त राशि आवंटित कर रहे हैं।

इन छोटी सिंचाई योजनाओं से प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत लाभ हुआ था। योजना में छोटी सिंचाई योजना के अधीन ११२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने का लक्ष्य था उस में से ९५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगी है जिसका अभिप्राय है कि ८५ प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हो गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा ९० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने का लक्ष्य है और उस में से प्रथम दो वर्षों में ३६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगी है अर्थात् ४० प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हो गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिन क्षेत्रों में पानी आसानी से उपलब्ध हो सकता है वहां छोटी सिंचाई योजना के काम सस्ते पड़ते हैं क्योंकि पानी जमा करने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं करना पड़ता। बड़ी सिंचाई परियोजना पर तो लगभग ३०० से ३४० रुपये प्रति एकड़ व्यय करना पड़ता है जब कि छोटे सिंचाई कार्य पर बहुत कम व्यय करना पड़ता है। मेसनरी-कूप द्वारा एक एकड़ की सिंचाई पर २५० रुपये व्यय होते हैं, नालों आदि का रास्ता बदलने से १०० रुपये व्यय होते हैं और पम्पों आदि से १०० रुपये से कुछ अधिक व्यय होता है। उससे प्राप्त किये गये जल को प्रयोग में लाने का प्रश्न भी पैदा नहीं होता। मैं मनानीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि यदि कोई सरकार हमें, वस्तुतः अच्छी योजनायें तथा और छोटी सिंचाई की योजनायें भेजेगी तो मुझे आशा है कि उनके लिये धन का प्रबन्ध कर दूंगा।

अब मैं केरल में चावल के मामले पर कुछ कहूंगा। माननीय सदस्य श्री पुन्नूस ने शिकायत की है कि हमने केरल सरकार के पक्ष में कोई वक्तव्य नहीं दिया। वस्तुतः केरल सरकार ने हमें कोई ब्यौरा नहीं दिया। जो कुछ हमें पता लगा है वह या तो समाचार पत्रों से पता लगा है अथवा केरल सरकार के आलोचकों ने जो अभ्यावेदन या शिकायतें भेजी हैं उनसे पता लगा है। ये अभ्यावेदन मिलने पर मैंने विचार किया कि यदि मैंने केरल सरकार को लिखा तो वे कुछ गलत धारणायें बना लेंगे और वे यह समझेंगे कि उन्होंने जो खरीद की है उसका हमारे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने स्वयं खरीद की है और मेरा ऐसा प्रयत्न केवल हस्तक्षेप होता। माननीय सदस्यों को विदित ही है कि केरल सरकार ने इस विषय की जांच के लिये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इसलिये इस सम्बन्ध में अपना निर्णय अभी नहीं देना चाहता और मैं सभा के सभी विभागों से सिफारिश करूंगा कि वे अभी कोई निर्णय न दें और न्यायाधीश के निर्णय की प्रतीक्षा करें।

जहां तक उन बातों का सम्बन्ध है जो श्री सिद्धैय रे ने उठाई हैं और जिन के बारे में सभा में भी बातें होती रही हैं केन्द्रीय सरकार की स्थिति इस प्रकार है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने दो अधिसूचनायें जारी की थी जिनके अधीन दो जिलों के बीच धान और चावल नहीं लाये ले जाये जा सकते। एक दो मामलों में जिलों के वर्ग बना दिये गये हैं। ये अधिसूचनायें १९५७ में जारी की गई थीं और उन का निर्देश हमें नहीं किया गया। खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नीति यह रही है कि क्योंकि अत्यावश्यक पण्य अधिनियम केन्द्रीय सरकार का अधिनियम है अतः उसके प्रवर्तन का उत्तरदायित्व हमारा है। कभी उस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिये हम राज्य सरकारों को अधिकार प्रत्यायोजित करते रहे हैं और कभी कभी हम स्वयं अधिसूचनायें जारी करते रहे हैं। जहां राज्य सरकारों ने हमारे द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अधीन कोई कार्यवाही की है और उस कार्यवाही का समीपस्थ राज्यों पर अथवा केन्द्रीय सरकार की नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हमने साधारणतः उस कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। किन्तु राज्य सरकार की जिस कार्यवाही का प्रभाव निकटवर्ती राज्य पर पड़ा है अथवा केन्द्र की मुख्य नीति पर पड़ा है तो हम अपने विचारानुसार कार्यवाही करने से नहीं झिझके भले ही राज्य सरकार को वह स्वीकार्य हो अथवा नहीं। मैं इसी नीति को अपनाना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार की कार्यवाही का प्रभाव केवल उनके राज्य पर पड़ता हो तो उसमें हस्तक्षेप न किया जाये, अन्यथा हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा।

जनवरी के महीने में हमने अनुभव किया कि पश्चिमी बंगाल सरकार की उक्त दो अधिसूचनाओं का कोई लाभ नहीं हुआ अर्थात् न तो राज्य सरकार समाहार कर सकी है और

[श्री अ० प्र० जैन]

न ही मूल्य कम कर सकी है । हमने देखा कि अतिरिक्त राशि के क्षेत्रों में भी मूल्य अधिक रहा और अभाव वाले क्षेत्रों में और भी बढ़ गया। सचिव ने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री को लिखा--मैं उन दिनों गौहाटी में था--कि जिलों के बीच चावल के यातायात पर प्रतिबन्ध लगाने से कोई लाभ नहीं हुआ अतः सरकार को प्रतिबन्ध हटाने पर विचार करना चाहिये। गौहाटी से लौटते हुए मैं पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से मिला और उसे बताया कि मैं उन प्रतिबन्धों को अच्छा नहीं समझता। वह कुछ कुछ मुझ से सहमत हो गया। फिर हमने उसके विकल्प में समाहार की नीति पर बातचीत की और हम दोनों ने अनुभव किया कि यदि २५ प्रतिशत शुल्क मिलों द्वारा उत्पादित चावल पर लगा दिया जाये अर्थात् यदि मिलों द्वारा समाहार किये गये चावल में से २५ प्रतिशत सरकार उचित मूल्य पर ले ले तो उसका यह अभिप्राय होगा कि हमें उस क्षेत्र के लिये नियंत्रित मूल्य घोषित करना होगा। पश्चिमी बंगाल सरकार कुल १,५०,००० और १,७५,००० टन चावल का समाहार करेगी यह उनका लक्ष्य था ।

तब प्रश्न यह पैदा हुआ कि यह शुल्क आदेश और नियंत्रण आदेश सारे पश्चिमी बंगाल राज्य पर लागू किया जाये अथवा केवल कतिपय राज्यों पर लागू किया जाये। हमने अनुभव किया कि सारे राज्य पर उन्हें लागू करने की आवश्यकता नहीं है । इस निर्णय के आंशिक उत्तरदायित्व को मैं स्वीकार करता हूं। मैं यह साहस से कह सकता हूं कि यदि ऐसी ही परिस्थितियों में मुझसे कहा जाये कि मैं उसका आंशिक उत्तरदायित्व संभालूं अथवा राज्य सरकार को परामर्श दूं तो मैं उन्हें यही परामर्श दूंगा जो मैंने पश्चिमी बंगाल को दिया है। उस समय पश्चिमी बंगाल का खाद्य मंत्री राजगीर में स्वास्थ्य सुधार के लिये गया हुआ था। डा० राय ने मुझे कहा कि वह इस योजना के बारे में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व अपने खाद्य मंत्री से परामर्श करेगा ।

इस प्रकार एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि में आंशिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करता हूं किन्तु यह निर्णय पश्चिमी बंगाल सरकार का अपना था क्योंकि जब मैं बंगाल में था हमने केवल सामान्य बातचीत की थी और कोई एक सप्ताह पश्चात् डा० राय ने मुझे टेलीफोन पर अन्तिम निर्णय के बारे में बताया था । उसके पश्चात् डा० सिद्धार्थ रे दिल्ली आये। फरवरी के प्रथम सप्ताह में डा० रे अधिसूचना का प्रारूप लाये और श्री अ० कु० सेन विधि मंत्री तथा वे मुझे उस प्रारूप सहित मिले। हम सब इस बात पर सहमत हुए कि अन्तर-जिला प्रतिबन्धों से हानि हुई है। हम इस पर भी सहमत हुए कि २५ प्रतिशत शुल्क लगाया जाये और जहां कहीं यह शुल्क लगाया जाये वहां मूल्य नियंत्रित किये जायें। हम ने इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ निश्चय नहीं किया कि शुल्क और नियंत्रण सारे राज्य पर लागू हो अथवा कुछ क्षेत्रों पर किन्तु हम इस बात पर सहमत हो गये कि इन्हें सारे राज्य पर लगाने की आवश्यकता नहीं। श्री सिद्धार्थ रे और श्री अ० कु० सेन से मेरी इतनी ही बात हुई और मैं ने सचिव को योजना का ब्यौरा तैयार करने के लिये टेलीफोन पर कह दिया। उसी दिन अथवा उससे अगले दिन मेरे मंत्रालय के सचिव और कुछ अन्य पदाधिकारी श्री सिद्धार्थ रे और श्री अ० कु० सेन से मिले और उन्होंनें योजना का ब्यौरा तैयार किया। टेलीफोन पर डा० राय और श्री प्रफुल सेन से भी कुछ बातचीत हुई और यह अन्तिम निश्चय किया गया कि अन्तर-जिला प्रतिबन्ध हटा देने चाहिये और पश्चिमी बंगाल से चावल और धान का निर्यात बन्द कर देना चाहिये। मिलों के उत्पादन पर २५ प्रतिशत शुल्क लगाया जाये तथा शुल्क सम्बन्धी आदेश तथा नियंत्रण आदेश सात या आठ जिलों पर लागू किये जायें।

श्री सिद्धार्थ रे ने दो प्रश्न पूछे हैं एक तो यह कि शुल्क केवल २५ प्रतिशत क्यों लगाया गया यह बढ़ाया क्यों नहीं गया। उसका उत्तर यह है कि हम खुले बाजार को ठप्प नहीं करना चाहते जिसका यह अभिप्राय है कि लोगों को खुले बाजार से चावल आदि खरीदना होगा। हम यह चाहते थे कि अभाव काल में संभरण के लिये चावल खरीद लें। यदि हम बहुत अधिक चावल का समाहार करलें तब चावल की कमी हो जायेगी और मूल्य बढ़ जायेंगे। अतः २५ प्रतिशत शुल्क रखा गया। दूसरा प्रश्न यह था कि इसे सारे बंगाल पर क्यों लागू नहीं किया गया और केवल सात या आठ जिलों में ही क्यों लागू किया गया। मूल्य नियंत्रण और शुल्क सम्बन्धी आदेश एक साथ लागू होने थे। ये सात या आठ जिले ऐसे हैं जिनमें पश्चिमी बंगाल की ८० प्रतिशत चावल की मिलें हैं और शेष आठ या नौ जिलों में चावल की मिलिंग की केवल १० या १५ प्रतिशत क्षमता है। चावल की अधिकतर मिलें उन क्षेत्रों में हैं जहां अधिक चावल पैदा होता है। अतः यदि हम अभाव के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण आदेश और शुल्क आदेश लागू करते तथा चावल का समाहार करते तो मूल्य बहुत बढ़ जाते और वहां के लोगों को हानि पहुंचती। अतः हमने यह कार्यवाही केवल उन क्षेत्रों में की जहां अतिरिक्त खाद्यान्न था और जहां शुल्क के कारण मूल्य नहीं बढ़ने थे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : परिणाम यह होता कि हुगली में समाहृत चावल को हावड़ा लाया जा सकता था.....

†**श्री अ० प्र० जैन** : और वहां के मूल्य कम किये जा सकते थे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : किन्तु हावडा में तो मूल्य बहुत अधिक है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : तो भी उसका प्रभाव मूल्य घटाने के लिये अच्छा पड़ा है। यह नीति हमने अपनाई है तथा ऐसी परिस्थितियों में किसी भी राज्य को यह परामर्श दे कर मैं उसका उत्तरदायित्व लेने के लिये तैयार हूं।

एक और बात यह है कि इस समस्या के सारे पहलुओं पर चर्चा के समय श्री सिद्धार्थ रे यहां उपस्थित थे। उन्होंने भी चर्चा में भाग लिया था और मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य और खेद हुआ कि जिसने इस निश्चय करने में भाग लिया तथा नीति निर्माण में सहयोग दिया वही कहता है कि यह नीति शैतान की कृति है। यदि यह ऐसी कृति है तो वह इसके लिये उतना ही उत्तरदायी है जितना कि मैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि वे मूल्य अधिक होने के कारण नहीं खरीद सके क्योंकि मूल्य नियन्त्रण नहीं था। उनका कहना है कि सारे बंगाल में मूल्य नियंत्रण नहीं था।

†**श्री अ० प्र० जैन** : ऐसे अपरिपक्क व्यक्ति को राज्य का मंत्री नहीं बनाना चाहिये था।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : एक औचित्य प्रश्न है। क्या हम श्री सिद्धार्थ के नाम की चर्चा यहां कर सकते हैं जब कि वे अपने पक्ष की रक्षा करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यहां श्री सिद्धार्थ रे के नाम पर चर्चा नहीं हो रही है; उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे और यह बताया जा रहा है कि दूसरों को भी लपेट लिया है। इस लिये यहां उस नीति के लिए वे भी उत्तरदायी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन्कुट्टि मेनन** (मुकंदपुरम) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । कल अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यहां कोई सदस्य ऐसी बात नहीं कह सकता जिससे किसी के चरित्र पर आक्षेप आए । अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि श्री सिद्धार्थ रे के जैसे अपरिपक्क व्यक्ति को मंत्री का पद नहीं मिलना चाहिये था । यह उन के चरित्र पर आक्षेप है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सिद्धार्थ रे ने मंत्री होते हुए जो कुछ कहा था, उसकी आलोचना यहां नहीं हो रही है, वरन् मंत्री पद से त्याग पत्र देने के पश्चात् उन्होंने जो कहा है उसकी आलोचना की जा रही है । जहां तक इस बात के कहने का सम्बन्ध है कि श्री सिद्धार्थ रे मंत्री पद के योग्य नहीं थे तो इस में कोई बात नहीं क्योंकि कोई भी यह कह सकता है कि अमुक व्यक्ति मुख्य मंत्री बनने के योग्य है लेकिन उसके विपरीत कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि वह इस पद के बिल्कुल योग्य नहीं है । यह कोई आपत्ति जनक नहीं है । हमारे पास समय की वैसे ही कमी है, इसलिये हमें धैर्य से माननीय मंत्री की बात को सुनना चाहिये ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : अब इन आदेशों को लागू करने के प्रश्न को लीजिये । इस सम्बन्ध में मुझे ब्योरा ज्ञात नहीं कि किन लोगों को अनुज्ञापत्र दिये गये थे आदि । वह सब राज्य सरकार का उत्तर-दायित्व है । उस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न रखे गये थे जिनका उत्तर डा० राय ने दिया था । डा० राय ने और जांच के पश्चात् जानकारी देनी थी । इस के लिए उन्होंने कुछ ऐसे नये प्रकार के अधिकार मांगे हैं जिनसे मैं सहमत नहीं किन्तु वे अधिकार राज्य सरकार को प्रत्यायोजित किये जा रहे हैं ताकि इस वाद विवाद में जो संदेह पैदा हो गये हैं वे दूर हो सकें ।

अब मैं खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों को लागू करने की अंतिम बात को लेता हूं । श्री अशोक मेहता ने कहा था कि खाद्यान्न के मामले को राजनीति से अलग रखना चाहिये । मैं उनके इस विचार से सहमत हूं कि केन्द्रीय सरकार को खाद्यान्न के मामले में सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिये और इसमें राजनैतिक दृष्टिकोण को नहीं लाना चाहिये । केरल के साथ मुझे वैसा ही व्यवसार करना चाहिये जैसा हम कांग्रेसी मंत्रिमंडल वाले राज्यों के प्रति करते हैं । यदि उनका यह अभिप्राय है तो मैं इस बात से भी सहमत हूं कि खाद्यान्न द्वारा राजनैतिक दलों के हितों की सहायता नहीं करनी चाहिये । किन्तु यदि वे समझते हैं कि खाद्यान्न सम्बन्धी नीति को सरकार की राष्ट्रीय और राजनैतिक नीतियों से अलग रखना चाहिये तो संभवतः मैं उनसे सहमत न हूंगा । खाद्यान्न जांच समिति ने चार सिफारिशें की हैं अर्थात मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड का निर्माण, खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन, मंत्रणा समिति और गुप्त वार्ता विभाग का निर्माण करना अतिरिक्त पण्य और बाज़ार की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं । हम इन मामलों के लिए एक संगठन बनाने का विचार कर रहे हैं । किन्तु उसकी सिफारिशों में मुख्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना करना है । सिद्धांत रूप में हम इस बात से सहमत हैं कि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए उचित मूल्यों का प्रबन्ध होना चाहिये । खाद्यान्न, और व्यापारिक फसलों के मूल्यों में तथा कृषि उत्पाद और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में समानता होनी चाहिये किन्तु इस नीति को लागू करने वाले संगठन के सम्बन्ध में ब्योरा तैयार करने में बहुत कठिनाइयां पैदा हो रही हैं । खाद्यान्न जांच समिति ने मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना की सिफारिश करते हुए कहा है कि ऐसा कार्य क्रम निश्चित किया जाये जिसे कभी कभी लागू किया जाए । इस समिति में पदाधिकारियों और रक्षित बैंक के एक प्रतिनिधि होंगे । प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि वह बोर्ड उपभोक्ता तथा उत्पादक वस्तुओं के मूल्यों की भी जांच करेगा । इस प्रकार बोर्ड की रचना और कृत्यों का उल्लेख करने के पश्चात् यह भी बताया गया है कि समिति इन कार्यों को किस प्रकार

†मूल अंग्रेजी में

करेगी। पृष्ठ ९१ पर लिखा है कि समय समय पर विभिन्न कारणों के आधार पर अर्थात् मूल्य, आय और मूल्यों की समानता के आधार पर खाद्यान्न के मूल्य निश्चित किये जाऐंगे । ऐसा करते हुए खाद्यान्न के उत्पादन की लागत कृषक के जीवन निर्वाह की लागत और खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों के मूल्यों के उतार चढ़ाव आदि का भी ध्यान रखा जाएगा। इस समय उत्पादन की लागत अथवा किसान की आय आदि के बारे में ब्योरा उपलब्ध नहीं है और ये आंकड़े प्राप्त करने में कुछ समय लग जाएगा। श्री अशोक मेहता ने जापान की ओर निर्देश करते हुए कहा था कि उत्पादन की लागत पता लगाने के लिए वे अत्यधिक परिश्रम कर रहे हैं। किन्तु वे सफल नहीं हुए। आजकल हम दिल्ली में कृषि वस्तुओं के मूल्यों और खेती की आय के स्थिरीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी कर रहे हैं और मैंने जापान के प्रतिनिधि मंडल के नेता और कुछ प्रतिनिधियों से बात चीत की थी। उन्होंने मुझे बताया कि प्रयोग से उन्हें पता लगा है कि न केवल भूमि और जलवायु की स्थिति के कारण वरन् विभिन्न क्षेत्रों और खेत के आकार के अनुसार भी उत्पादन की लागत भिन्न भिन्न है। छोटे खेतों में जितनी आय होती है बड़े खेतों में उससे ३०० प्रतिशत अधिक आय होती है। वस्तुतः उन्हें उत्पादन का मूल्य निकालने में बहुत कठिनाई हो रही है जिसके आधार पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण होना चाहिये। उन विशेषज्ञों में से एक ने तो यहां तक कहा कि मूल्यों को तदर्थ आधार पर निर्धारित करना अच्छा है ।

खाद्यान्न जांच समिति ने जिस प्रकार की समिति की सिफारिश की है उसके पदाधिकारियों को विशेष आंकड़ों के आधार पर काम करना होगा किन्तु वे आंकड़े उपलब्ध नहीं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह है कि यदि ये आंकड़े उपलब्ध भी हो जाएं तो हमें बोर्ड स्थापित करना चाहिये अथवा नहीं। यहां मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खाद्यान्न जांच समिति के सुझावों की ओर दिलाना चाहता हूं। समिति के पृष्ठ ७९ पर कहा है कि वित्त तथा मुद्रा सम्बन्धी नीतियों का प्रभाव पड़ता है अर्थात् घाटे के आयव्ययक लोगों से ऋण प्राप्त करने, घाटे की व्यवस्था तथा विदेशी सहायता आदि का प्रभाव बहुत प्रमुख रूप में होता है।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि इस प्रकार की सब बातों का प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है तो समितियों के पदाधिकारी किस प्रकार काम करेंगे। निस्संदेह वे वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर काम करेंगे किन्तु दोनों में परस्पर विरोध हो सकता है। यदि इस समिति को मूल्य निर्धारित करने का अन्तिम अधिकार है तो अप्रत्यक्ष रूप से यह समिति सब आर्थिक और राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करेगी। कोई भी लोकतन्त्रात्मक सरकार ये सब अधिकार एक सरकारी समिति को नहीं दे सकती ।

मैं इस बात से तो पूर्णतः सहमत हूं कि विभिन्न खाद्यानों का मूल्य स्थिर होना चाहिये और खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों तथा कृषि उत्पादों और उपभोक्ता वस्तुओं के बीच मूल्य स्थिर होने चाहिये किन्तु यह प्रश्न कि यह व्यवस्था कैसी हो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। स्थिति यह है कि हम मुख्य सिद्धांत से तो सहमत हैं किन्तु इस उद्देश्य के लिए किस प्रकार का संगठन बनाया जाए इसकी भली प्रकार जांच करने की आवश्यकता है। हम जांच कर रहे हैं और ज्यों ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे मैं उन निष्कर्षों को सभा-पटल पर रख दूंगा।

माननीय सदस्यों ने और बहुत सी बाते कहीं हैं किन्तु संभवतः मैं पहले ही नियत समय से अधिक ले चुका हूं ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला): मेरा एक प्रश्न है कि अन्य राज्यों को जो चावल साहाय्य दिया जा रहा है वह केरल को भी दिया जायेगा या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० प्र० जैन : जी हां, दिया जायेगा ।

†श्री स० म० बनर्जी : माननीय मंत्री को सी० टी० ओ० की हड़ताल के बारे में भी कुछ कहना चाहिये ।

†श्री अ० प्र० जैन : जहां तक सी० टी० ओ० की हड़ताल का सम्बन्ध है उनकी मांग है कि जब काम न हो तब उन्हें बाध्य करके छुट्टी पर नहीं भेजना चाहिये । यह छुट्टी उन्हें विभागीय तौर पर दी जाती है । हमारे सामने विकल्प ही यह है कि या तो उन्हें विभागीय छुट्टी पर भेजा जाए अथवा उनकी छंटनी कर दी जाए । छुट्टी पर भेजने से हम बहुत से लोगों को रोज़गार दे सकते हैं । देश भर में इस बात की आलोचना की गई है कि सी० टी० ओ०की दरें अत्यधिक हैं और उन्हें कम करना चाहिये । वस्तुतः हम कार्य की लागत से भी कम दर ले रहे हैं और इससे अधिक हानि सहन नहीं कर सकते । हम दोनों में से एक सुझाव मानने के लिए तैयार हैं । यदि संघ चाहता है कि कुछ लोगों की छंटनी कर दी जाए तो हम तैयार हैं । यदि वे विभागीय छुट्टी की पद्धति को बनाए रखना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं । इसके अतिरिक्त हम ने यह मामला श्रम पदाधिकारियों को सौंप दिया है और हम उनका निर्णय मानने के लिए तैयार हैं ।

†श्री स० म० बनर्जी : केन्द्रीय वेतन आयोग सेवा सम्बन्धी सारी शर्तों पर विचार कर रहा है अतः माननीय मंत्री को यह विषय भी आयोग को सौंप देना चाहिये ताकि हड़ताल तो बंद हो जाए ।

†श्री अ० प्र० जैन : वेतन आयोग की जो भी सिफारिश होगी वह इस संगठन पर भी लागू होगी । किन्तु इस बीच में मैं सारी कार्य व्यवस्था को अव्यवस्थित नहीं कर सकता ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
४२.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	६७,४१,०००
४३.	वन	२,३४,६०,०००
४४.	कृषि	१४,४१,४५,०००
४५.	असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें	१,३५,६०,०००
४६.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१२,६५,७८,०००
११८.	वनों पर पूंजी व्यय	८,७२,०००
११६.	खाद्यान्नों का क्रय	१,१०,१२,७३,०००
१२०.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२७,६१,२०,०००

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय**: अब सभा सामुदायिक विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या ६, ७ और १०७ पर चर्चा आरम्भ करेगी। इसके लिये ५ घंटे नियत किये गये हैं। जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे १५ मिनट के अन्दर उन प्रस्तावों की संख्या सभा पटल पर दे दें।

वर्ष १९५८-५९ के लिये, सामुदायिक विकास मंत्रालय की अनुदानों की निम्न मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग	शीर्षक	राशि
		रु०
६	सामुदायिक विकास मंत्रालय . . .	२०,१६,०००
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा .	१२,०३,८३,०००
१०७	सामुदायिक विकास मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	२,१३,९१,०००

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): मैं केवल अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ९३३, ९४१ और ९५२ के सम्बन्ध में ही कहूंगा।

सामुदायिक विकास मंत्रालय इस वर्ष लगभग २२ करोड़ रुपये व्यय करेगा। सामुदायिक खण्डों ने पिछले दो वर्षों में कई गोष्ठियां आयोजित की हैं। पिछले वर्ष सामुदायिक विकास अध्ययन दल का एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है। सलाहकार समिति की बैठकों में उस प्रतिवेदन पर चर्चा हो चुकी है। सभा-पटल पर, उसके सम्बन्ध में, जो एक विवरण रखा गया है उसमें बताया गया है कि स्थायी समिति ने ज़िलों में प्रशासकीय ढांचे को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य की पुष्टि की है। इस अध्ययन दल का सब से मुख्य प्रस्ताव है लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिये। इस अध्ययन दल ने उन कई समस्याओं का अध्ययन किया है जिन पर इस सभा के सदस्य अर्से से सोचते रहे हैं। उस अध्ययन दल ने स्पष्ट कहा है कि सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की सबसे बड़ी असफलता यही है कि वह जनता को प्रेरित नहीं कर सके हैं। और, आरम्भ से यही उनका उद्देश्य था। अध्ययन दल ने बताया है कि इस कमी को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रशासकीय व्यवस्था स्थापित करके ही दूर किया जा सकता है। उसने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्याख्या यों की है कि जनता द्वारा चुनी हुई गांव पंचायतों को ही उनके क्षेत्र विशेष के विकास और प्रशासन का कार्य सौंप दिया जाये। सामुदायिक विकास तभी वास्तविक बन सकता है, जब जनता उसकी समस्याओं को समझे और स्थानीय प्रशासन के प्रति सतर्क बनी रहे।

अध्ययन दल के इस प्रतिवेदन पर लगभग सभी स्तरों पर चर्चा की गई है। हमारे देश के प्रमुख व्यक्तियों ने भी इस विषय पर कई पत्रिकाओं में लेख लिखे हैं। केरल के मुख्य मंत्री श्री नम्बूदरीपाद ने अपने लेख में प्रश्न पूछा है कि क्या लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करके हम अपने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

अभीष्ट उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे ? इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं । लोकतांत्रिक ढंग की सरकार में होता यह है कि मंत्रालय तो मोटे तौर पर एक नीति निरूपित कर देता है, पर उसे कार्यान्वित करने का भार नौकरशाही व्यवस्था पर रहता है । जब तक इस नौकरशाही व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया जाता, तब तक विकेन्द्रीकरण सफल नहीं हो सकता । इस व्यवस्था में सदा ही मानवीय तत्वों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता । होता यह है कि मंत्री या राज्य का प्रधान जिस क्षेत्र या जाति का होता है, उसके विभाग में उसी क्षेत्र या जाति के लोगों की भरमार हो जाती है । व्यक्ति दलगत या जातिगत विचारों से ऊपर नहीं उठ पाता ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : माननीय सदस्य अपने लिये कह रहे हैं या किसी दूसरे के लिये ?

†**श्री तंगामणि** : मैं सभी के लिये कह रहा हूं । हो सकता है कि माननीय मंत्री का अनुभव दूसरा हो । निचले स्तरों पर भी इस प्रकार बातें हो सकती हैं । इसीलिये मैं कहता हूं कि नौकरशाही की स्थायी व्यवस्था पर भी लोकतांत्रिक नियंत्रण रहना चाहिये । खण्ड विकास अधिकारी और विकास आयुक्त के काम की जांच जनता की चुनी हुई पंचायतों द्वारा की जानी चाहिये । सभी अधिकारियों के काम की जांच सम्बन्धित क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधियों को करनी चाहिये । तभी इस दिशा में कोई प्रगति की जा सकेगी ।

प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि खण्ड सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी व्यक्ति भी सम्मिलित किये जाने चाहिये । और सभापति तथा उपसभापति तो गैर-सरकारी व्यक्ति ही बनाये जाने चाहिये । अभी कितनी खण्ड सलाहकार समितियों में गैर सरकारी व्यक्ति लिये गये हैं । इसके लिये ज़रूरी है कि खण्ड विकास अधिकारियों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो ।

इसीलिये मैंने अपने कटौती प्रस्तावों में सामाजिक शिक्षा अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण योजना के क्षेत्र की परिभाषा की आवश्यकता बताई है ।

खण्ड विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये अभी चार केन्द्र बने हुए हैं और सामाजिक शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये १३ केन्द्र हैं । हमें नहीं मालूम कि उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है । क्या हम उन्हें नये प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं ? हमें उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिये जिससे कि वे नौकरशाही की इस परिपाटी को तोड़ सकें ।

सामुदायिक विकास मंत्रालय को कभी भी अपनी सफलताओं को अतिरंजित करके नहीं बताना चाहिये ।

मुझे १९५७ में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि तब ५,००० खण्ड विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण हो रहा था । इसी प्रकार और भी आंकड़े बताये गये थे । लेकिन अब प्रतिवेदन में बताया गया है कि जनवरी, १९५८ के अन्त तक कुल १,८११ खण्ड विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ है । इसी प्रकार अन्य आंकड़े भी बहुत कम हैं । इनमें से कोई एक तो गलत होगा ही । मंत्रालय को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये ।

कोयम्बटूर में एक बड़ी महत्वपूर्ण गोष्ठी हुई थी । उसमें देहातों में मकान-निर्माण और देहाती उधार की सुविधाओं पर काफी चर्चा की गई थी । उस गोष्ठी में हमें बताया गया था कि अगले दस वर्षों में ५३३ गांवों का पुनर्निर्माण किया जायेगा या वहां के मकानों को नये नमूने पर

†मूल अंग्रेजी में

बनाया जायेगा । लेकिन प्रतिवेदन में बताया गया है कि अभी तक देहाती मकानों के निर्माण की कुल १०० योजनायें आरम्भ हुई हैं । राज्य सरकारों को शिकायत यह है कि जब तक योजना अन्तिम रूप में केन्द्र के पास नहीं भेज दी जाती तब तक उनको पेशगी धन नहीं दिया जाता । मंत्रालय को सभा के सामने वस्तु-स्थिति ही पेश करनी चाहिये, अतिरंजना नही करनी चाहिये ।

ग्राम दान आरम्भ होने से अब यह हो रहा है खण्ड विकास अधिकारी ग्रामदान के ही काम में लगे रहते हैं । वे ग्रामदान अधिकारी बनते जा रहे हैं ।

होता यह है कि खण्ड विकास अधिकारी ग्रामदान कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण जनता के पास जा कर कहते हैं कि यदि वे ग्रामदान आन्दोलन में शामिल हो जायेंगे तो उनके सारे सरकारी ऋण माफ़ कर दिये जायेंगे । ग्रामदान आन्दोलन को बढ़ाने का यह तरीक़ा उचित नहीं है ।

मैं नहीं जानता कि कितने राज्य केन्द्र के निदेशों के अनुसार चल रहे हैं । मैं चाहता हूं कि वार्षिक प्रतिवेदनों में हमें यह भी बताया जाना चाहिये । हमें बताया जाना चाहिये कि कितने राज्यों में वास्तव में खण्डों का विकास हुआ है । हमें इस क्षेत्र में राज्यों की प्रगति से भी अवगत कराया जाना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मद्रास प्राक्कलन समिति ने कहा है कि अभी तक सामुदायिक विकास खण्डों के लिये अनुकूल स्थान ही चुने गये हैं और अब आर्थिक, सामाजिक और अन्य दृष्टियों से पिछड़े हुए अन्य क्षेत्रों की समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जाना चाहिये । प्रत्येक राज्य में ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र मौजूद हैं । उन स्थानों से हमें केवल हाथ से काम करने वाले श्रमिक ही मिल सकते हैं, जिसे हमें धन से बदलना चाहिये । इसीलिये प्राक्कलन समिति ने उन क्षेत्रों के लिये विकास बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है । पहले मद्रास रायलसीमा के लिये ऐसा एक विकास बोर्ड बनाया गया था ।

प्राक्कलन समिति ने यह भी सिफारिश की है कि तदर्थ रूप से एक मूल्यांकन समिति भी बनाई जानी चाहिये जो इन क्षेत्रों पर किये जाने वाले व्यय का व्यवस्थित ढंग से मूल्यांकन करे । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ऋण साख वाले कार्यों के लिये ही दिये जाने चाहिये । होता यह है कि हम साख वाले व्यक्तियों को ही ऋण देते हैं और जिनको ऋण की वाकई ज़रूरत होती है उन्हें नहीं मिल पाता । इसलिये साख वाले कार्यों और साख वाले व्यक्तियों में विभेद करना आवश्यक हो गया है ।

मेरे एक कटौती प्रस्ताव मे इसकी आवश्यकता भी बताई गई है कि गांव के स्तर के कार्यकर्त्ताओं में प्रादेशिक भाषा के आधार पर पुरस्कार-प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करना चाहिये ।

प्राविधिक सहयोग प्रशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को २·३३ करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों को किस आधार पर आवंटन किया जाता है, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर या उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ?

मैंने अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ९३३ में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की तुलना में, सामुदायिक विकास के लिये कम अनुदानों और ऋणों की व्यवस्था की गई है । इस वर्ष यह राशि २२ लाख रुपये कम क्यों कर दी गई है ?

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : मेहता समिति ने सामुदायिक विकास के विषय पर एक बड़ा ही अच्छा प्रतिवेदन पेश किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

[श्री रघुबीर सहाय]

मेहता समिति ने उन सभी आलोचनाओं के सम्बन्ध में कहा है जो पिछले पांच-छः वर्षों में सामुदायिक विकास विभाग के बारे में की गई हैं। इस मंत्रालय की सबसे बड़ी आलोचना तो यह की गई थी कि सामुदायिक विकास विभाग को सरकार द्वारा प्रबन्धित विभाग की भांति ही संचालित किया जा रहा है ; और यह भी कि इस पर जितना व्यय किया जाता है उतना फल नहीं निकलता।

सभी कटौती प्रस्ताव अधिकांशतया इसी आलोचना की दृष्टि से किये गये हैं। मेहता समिति ने इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिये ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया है।

मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करके ही हम जनता का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और उनमें उत्साह पैदा कर सकते हैं। हमें इस प्रस्ताव पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

इस समिति ने तीन स्तरों पर शक्तियों का लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करने का सुझाव रखा है ; गांव के स्तर पर, खण्ड के स्तर पर और ज़िले के स्तर पर। गांवों की चुनी हुई पंचायतों को गांव के विकास के लिये कुछ कर लगाने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिये। फिर एक खण्ड के सभी पंचों को पूरे खण्ड के लिये एक पंचायत समिति चुननी चाहिये जिसमें स्त्रियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़ी हुई आदिम जातियों के प्रतिनिधि भी रहने चाहिये। इसके बाद, ज़िला परिषद् में विधान परिषद् के सदस्य, संसद् सदस्य और सभी पंचायत समितियों के सभापति रहने चाहिये। उसका सभापति ज़िला मैजिस्ट्रेट रहना चाहिये।

इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण पंचायत समिति ही है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ये सिफारिशें ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेनी चाहिये, या इनमें कुछ रूपभेद किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि गांव पंचायत और पंचायत समिति दोनों ही के सभापति चुने हुए या नामज़द किये हुए होने चाहियें, निर्वाचित नहीं होने चाहिये। यह इसलिये कि हम अभी तक गांवों में ऐसा वातावरण तैयार नहीं कर सके हैं कि वे सही आदमी को ही सभापति चुन सकें। इन निकायों को बड़ी व्यापक शक्तियां दी जा रही हैं।

इसलियें यदि इन निकायों के सभापति निर्वाचित होंगे, तो उनके संचालन में बड़ी बाधायें पड़ेंगी। गांवों की वर्तमान परिस्थिति में उनका निर्वाचन जाति या गांवों की दल बन्दी के आधार पर ही होगा। सभापति कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो अधिकारियों के साथ बैठ कर कार्य कर सके।

हमने उत्तर प्रदेश में इसका परीक्षण करके देखा है। योग्य सभापतियों और सरकारी अधिकारियों के सहयोग से ही इन निकायों का काम सुचारु रूप से चलाया जा सकता है।

मेहता समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् और स्थायी समिति ने विचार किया है। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद् ने एक बड़ा विचित्र रवैया अख्तियार किया है। उसने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश को सिद्धान्ततः तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसकी कार्यान्विति राज्य सरकारों पर छोड़ दी है। यह उचित नहीं है, क्योंकि सभी राज्य सरकारें इसके बारे में समान रूप से गम्भीर नहीं हैं। एक उसे कार्यान्वित करेगी, तो दूसरी स्थगित कर देगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद् को इस मामले में भी वही दृढ़ता दिखानी चाहिये थी जो उसने अन्य मामलों के सम्बन्ध में दिखाई है।

मैं चाहता हूं कि मेहता समिति की सिफारिशों को यथाशीघ्र सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाये ।

खाद्य समस्या के सम्बन्ध में भी यदि सभी राज्यों ने समान रूप से अविलम्बनीयता दिखाई होती, तो इसका हल बड़ी आसानी से बहुत पहले ही हो सकता है ।

इसी प्रकार सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में भी सभी राज्य इन सिफारिशों को समान महत्व नहीं दे रहे हैं । मेहता समिति की एक सिफारिश यह भी है कि सामुदायिक विकास के लिये राज्यों में अलग से एक मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिये । यह आवश्यक है । मुख्य मंत्री के पास इतना समय नहीं रहता कि वह सामुदायिक विकास विभाग की भी देखभाल कर सके । कई राज्यों ने इस सिफारश के प्रति उचित उत्साह नहीं दिखाया है ।

हमें राज्य सरकारों से बार-बार कहते रहना चाहिये कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करना बहुत ज़रूरी है ।

राज्य मंत्रालयों ने खाद्य समस्या के प्रति भी उचित जागरूकता नहीं दिखाई है । सामुदायिक विकास खण्डों को खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने का विशेष प्रयास करना चाहिये । उनके पास इसके लिये सभी सुविधायें भी है । हाल में, राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा सभी गांव पंचायतों को सामुदायिक विकास विभाग के अधीन कर दिया गया है । लेकिन जब तक राज्यों में सामुदायिक विकास के लिये अलग से मंत्री नियुक्त नहीं किये जाते तब तक गांव पंचायतों की दशा और उनके कार्य में भी सुधार नहीं हो सकेगा ।

हमें अपने सभी कार्यकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण देना चाहिये । मैं तो चाहता हूं कि विधान परिषद् के सदस्यों और संसद्-सदस्यों का भी प्रशिक्षण किया जाना चाहिये । उन्हें भी गोष्ठियों में जाना चाहिये । और सम्बन्धित अधिकारियों के सम्पर्क में आना चाहिये ।

हमें इस भारी कार्य को पूरा करने के लिये केन्द्र में सामुदायिक विकास मंत्रालय को अधिक शक्ति प्रदान करनी चाहिये ।

केन्द्रीय मंत्रालय का कार्य केवल राज्यों को परामर्श देना नहीं रहना चाहिये । अभी तक सामुदायिक विकास मंत्रालय के अधीन जितने भी विषय हैं उन सबको राज्य विषय माना जाता है । मैं चाहता हूं कि उन विषयों को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाये ।

श्री जाधव (मालेगांव) : सभापति महोदया, मैं ने दो कट-मोशन्ज़ (कटौती प्रस्ताव) पेश किये हैं--१२३८ और १२३९ । इन के बारे में और दूसरे जो अहम सवाल हैं, उन के ऊपर मैं रौशनी डालना चाहता हूं ।

आज हिन्दुस्तान की आबादी करीब करीब ३९ करोड़ से ज्यादा है । सारी दुनिया में दूसरा नम्बर हमारे देश का है । आज़ादी मिलने से पहले हम ने अपने देश-वासियों के सामने उन की ज़िन्दगी के बारे में एक नक्शा पेश किया था और आज़ादी मिलने के बाद दस साल निकल जाते हैं । उस के बाद अगर हिन्दुस्तान का एक कृषक यह कहता है कि "आजादी, कहां है आजादी ? किस के लिये आज़ादी ?" तो वह कुछ ग़लती करता है, ऐसा मैं नहीं समझ सकता । हमारे देश की जो हालत है, उस का यदि हम और देशों से कम्पैरिज़न --तुलना--करें, हमारी जो **पर कैपिटा**

[श्री जाधव]

इनकम है (प्रति व्यक्ति आय) है उसका यदि हम यू० एस० ए०, यू० एस० एस० आर०, युनाइटिड किंगडम, कैनेडा आदि देशों की **पर कैपिटा** इनकम से मुकाबला करें, तो हमें क्या दीखता है ? हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है, जिस के बारे में वायटिंस्की ने कहा है कि भारत कई सभ्यताओं का क्रीड़ाक्षेत्र और स्मशान बन चुका है। लेकिन वह हिन्दुस्तान कैसा है आज ? उन्होंने आगे चल कर कहा है कि भारत एक बहुत ग़रीब देश है। यहां के अधिकांश लोगों का निर्वाह स्तर बहुत ही नीचा है। उनका कहना है कि आज भारत छोटी-छोटी **जोतों** के कारण अत्यन्त ही निर्धन देश बन गया है।

ऐसा हमारा हिन्दुस्तान है। इस हिन्दुस्तान का सुधार करने के लिये, उस के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिये चाहे देर से क्यों न हो, हम ने कदम उठाये, उस के लिये प्लैन (योजना) बनाये। लेकिन प्लैन की जो बुनियाद है, वह बुनियाद ही ग़लत पहिये पर है। शुरु में हम ने हिन्दुस्तान के नक्शे को बनाने का जो मकसद अपने सामने रखा था, वह अलग था। बाद में सोशलिस्टिक पेटर्न का मक़सद हम ने बनाया। लेकिन जो मक़सद हम ने बनाया है, उस की तरफ़ हम जा रहे हैं क्या ? मैं बम्बई में रहता हूं। जाना है मुझे दिल्ली की तरफ़, लेकिन अगर में कन्या कुमारी की तरफ़ जाऊंगा, तो मैं दिल्ली कभी नहीं पहुंच सकता।

एक माननीय सदस्य : पहुंच जायेंगे—दुनिया गोल है।

श्री जाधव : हां, दुनिया गोल है। कभी न कभी घूम कर पहुंच हकता हूं, लेकिन इस के लिये ज़माना रुकने वाला नहीं है—ज़माना करवट ले रहा है और अगर हमें भी करवट बदलना है तो फिर उस के लिये कोई कदम उठाना ही पड़ेगा।

मैंने बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है। उस की बहुत सी सिफारिशों से मैं सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या यहं गवर्नमेंट इन सिफारिशों को अमल में लाने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के लिये इस तरफ़ कदम उठाना नामुमकिन है और न ही गवर्नमेंट कोई कदम उठाना चाहती है। हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत, उन की पोटेंशिएलिटी (सम्भावनायें) काफी हैं, लेकिन हम ने कभी उन लोगों को—हिन्दुस्तान की आबादी को—कांफिडेंस (विश्वास) में लेने की कोशिश नहीं की — हम नहीं लेना चाहते हैं उन को कांफिडेंस में। आज कांग्रेस अपनी ताकत गंवा बैठी है। तो दूसरे जो लोग हैं हिन्दुस्तान में, उन के हाथ में लोग न जा सकें, इस लिये ऐसा कदम उठाया जाता है। यह आवश्यक है कि कोई भी जात-पात या कोई भी धर्म—मज़हब—न देखते हुये हमें देश का डेवेलपमेंट करना है, लेकिन इस ज़माने में दूसरी ही जातें पैदा हो गई हैं और वे हैं पोलोटिकल—सियासी जमायतों की और उन की तरफ़ हम ज़ात की हैसियत से देखते हैं। जिन कामों में सब की ताकत लगनी चाहिये, वह ताकत न लगे, इसके लिये भी कोशिश होती है। मैं ने देखा कि संयुक्त महाराष्ट्र के सवाल महाराष्ट्र में कांग्रेस को बहुत बड़ी शिकस्त मिली।

संयुक्त महाराष्ट्र के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अवाम का भला हो और उस के लिये हम गवर्नमेंट के साथ को-आपरेशन करना चाहते हैं। वे को-आपरेशन (सहयोग) देना चाहते हैं, तो भी सरकार उस को-आपरेशन को नहीं लेना चाहती है। जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन के सिर पर उन व्यक्तियों को नोमीनेट (नामज़द) कर के बिठाया जाता है, जिन को उन्हों ने फेंक दिया है, जिन की लीडरशिप को उन्होंने फेंक दिया है।

अगर ऐसा होगा, तो हमारा मक़सद कभी पूरा नहीं होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान को सुधारना है, अगर हिन्दुस्तान की हालत को, उस की जहालत और गरीबी को दुरुस्त करना है, तो हमें सब लोगों की ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा और उस ताकत को इकट्ठा करने वाले लोग कहां हैं ? मिस्टर विल्सन ने भी कहा है कि अमरीका में हम ने नैशनल एक्सटेंशन के लिये लोकल लीडरशिप की मदद ली। विल्सन आते हैं, बलवंतराय जाते हैं। इन्होंने भी कहा और विल्सन ने भी कहा कि मैं देखता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता यह लोगों का प्रोग्राम हो जायगा, लोगों की विकास योजना हो जायगी। उन्होंने भी भविष्य की बात बताई है। आज भी वह लोगों की विकास योजना है, ऐसा वह नहीं बताते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हमारे देहात में बसने वाले जो ग़रीब लोग हैं, उनकी ज़िन्दगी को सुधारने के लिये हमें ज्यादातर खेती पर ज़ोर देना पड़ेगा। क्या स्थिति है खेती के बारे में ? जो स्टैटस्टिक्स हमें दिये गये हैं, उन में कहा गया है कि इस विषय में क्या सहायता दी जाती है। किसान अगर अच्छी खेती करना चाहता है, अच्छी फसल उगाना चाहता है, तो उस को काफी पैसे की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस के लिये क्या बन्दोबस्त कर सकती है ? गवर्नमेंट लोगों को क़र्ज़ा नहीं दे सकती है।

पं० कृ० चं० शर्मा : (हापुड़) : १०० करोड़ रुपये दे रही है।

श्री जाधव : १०० करोड़ रुपये से क्या होगा ?

जो हमारा क्रेडिट पैटर्न (ऋण देने का ढंग) है, उस को देखते हुये किसानों को क़रीब क़रीब ७५० करोड़ रुपया कर्ज़े की हैसियत से मिलता है, लेकिन को-आपरेटिव और गवर्नमेंट की तरफ़ से कितना पैसा मिलता है ? ३ परसेंट, ३.५ परसेंट—६ परसेंट, ६.५ परसेंट।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : अब बढ़ गया है।

श्री जाधव : आधा परसेंट बढ़ गया होगा—ज्यादा नहीं बढ़ता।

पंडित कृ० चं० शर्मा : दो साल पुरानी बात कर रहे हैं।

श्री जाधव : आज किसान को अगर १०० रुपये की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट की तरफ़ से उस को सात, आठ, दस रुपये मिलते हैं। बाकी रुपया वह कहां से लायगा। गवर्नमेंट ने प्राईवेट मनी-लैंडर्ज़ (निजी सूद खोर) के ऊपर एक कैद रखी है, लेकिन प्राईवेट मनी-लैंडर्ज़ अलग तरीक़े से लोगों को पैसा देते हैं, न हिसाब होता है, न किताब होता है। मैं ने एक सवाल पूछा था कि क्या गवर्नमेंट के सामने किसानों को क्रेडिट देने के लिये एग्रीकलचरल फाइनेंस कार्पोरेशन पैदा करने की कोई योजना है, तो मुझे जवाब दिया गया कि ऐसी योजना नहीं है। मैं ने कई फार्मर्ज़ में जा कर देखा है। एक किसान अगर इन्टेन्सिव कल्टीवेशन करता है, एक एकड़ के ऊपर अगर वह ढाई तीन सौ रुपया खर्च करता है, तो जो आमदनी वह पहले पैदा करता था, यह पैसा खर्च करने से उस से चौगुनी आमदनी पैदा कर सकता है। मैं कहता हूं कि लगातार तीन साल तक किसान को हर एकड़ के पीछे १०० रुपया क़र्ज़ा दिया जाय, तो हिन्दुस्तान में जो अनाज की किल्लत है, वह बराबर खत्म हो सकती है। हमने जो प्लान बनाया है उस पर हमने ४८०० करोड़ रुपया खर्च करना तय किया है। मैं चाहता हूं कि आप व्यर्थ की इधर उधर की बातों को छोड़ कर लगातार यह पैसा किसानों पर खर्च करें और यह पैसा उनको दे दें। हमारे जो किसान हैं वे पहले से भी ज्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं। आप यह न कहें कि वे नहीं कर सकते हैं।

[श्री जाधव]

आप सैमिनार्स (गोष्ठियां) करते हैं। इनमें कौन लोग आते हैं और कौन भाग लेते हैं ? मैं ने देखा है कि जो किसान लोग होते हैं वे इनमें कभी नहीं आते हैं। होटल वाले आते हैं या वे लोग आते हैं जिनका ऊपर के कांग्रेसियों पर असर होता है। यदि इस के बारे में किसानों की कठिनाइयों को जानने की कोशिश की जाये, उनके साथ चर्चा की जाये, तो आपको उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल जायेगा। आपको पता चल जायेगा कि शू कहां पिंच (तकलीफ़ कहां है) करता है ? इस वास्ते किसानों की ज़रूरतों को जाने बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं और उनकी तक़लीफ़ों को जानने के लिये आपको किसानों से पूछना पड़ेगा।

महाराष्ट्र में शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक मालीनगर शूगर फैक्ट्री है। वहां पर एक किसान एक एकड़ में ७५ टन पैदा करता है। एक एकड़ में ७५ टन गन्ना पैदा करना कोई मामूली बात नहीं है। आज उसकी हालत क्या है ? उसको कह दिया जाता है कि अगर तुम इतना पैदा नहीं कर सकोगे तो तुम को नोटिस दे दिया जायगा और तुम्हारा गन्ना फैक्ट्री नहीं लेगी। इतना गन्ना वह पैदा करता है, उससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि वह कितना होशियार है और कितना अधिक वह पैदा कर सकता है। मैं ने उत्तर प्रदेश में, पंजाब तथा बिहार में देखा है और लोगों से भी पूछा है कि वे आन एन एव्रेज (औसतन) कितना गन्ना पैदा करते हैं। मुझे बताया गया है कि एक एकड़ में नौ टन, दस टन या १२ टन ही गन्ना वे पैदा करते हैं। वहां पर इससे ज्यादा गन्ना पैदा नहीं होता है। लेकिन यहां पर ७५ टन पैदा होता है और इसके बावजूद भी उनको नोटिस दे दिया जाता है। यह स्थिति है जिस की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये और उनकी जो कंठिनाइयां हैं उनको मालूम करने की कोशिश करनी चाहिये।

मैंने एक किसान से पूछा कि क्या उसे पानी की तकलीफ़ तो नहीं होती है। उसने मुझे बतलाया कि हमेशा ही उसे पानी की तक़लीफ़ रहती है और माइनर इरिगेशन जो है उससे भी उसको पानी नहीं मिलता है। आज हिन्दुस्तान में जितना भी पानी मिलता है उसमें से खाली ३५ टका पानी गवर्नमेंट की मशीनरी से उसको मिलता है लेकिन उसके लिये हम पैसा कितना लेते हैं ? मैं ने एक इंजीनियर से पूछा जो कि इरिगेशन (सिंचाई) का इंजीनियर है कि तुमने टैक्स तो चार गुने और पांच गुने बढ़ा दिये हैं और अब उस किसान की क्या हालत होगी? उसने मुझे बतलाया कि अगर कुएं से किसान पानी निकालेगा तो उसको इससे भी ज्यादा देना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा उसका खर्च बैठेगा। वहां पर वह खुद काम करता है और उसकी कीमत आप मालूम नहीं कर सकते हैं। आप श्रमदान की बात करते हैं और यह आप उसी से मांगते हैं जो जिन्दगी भर श्रम करता रहता है, जिसके लिये कोई टाइम टेबल नहीं होता है जो सवेरे चार बजे उठता है और रात को सोते वक्त तक काम ही काम करता रहता है। एक वकील होता है वह आठ घंटे काम करता है, एक डाक्टर होता है वह छः घंटे ही काम करता है, एक फैक्टरी का मुलाज़िम होता है वह भी आठ नौ घंटे ही काम करता है। लेकिन जो किसान होता है वह हमेशा ही काम करता रहता है और इतना होते हुये भी वह काम करने के लिये तैयार है। सवाल केवल यह है कि उसको मदद चाहिये, पैसे की मदद चाहिये और दूसरी चीज़ों की मदद चाहिये। इस तरह की मदद उसकी कौन करेगा ?

मैं मानता हूं कि आपको इस काम के लिये फंड्स (निधियां) चाहियें। फंडस के लिये मैं आपके सामने एक तज़वीज़ रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने भी सर्विसिस के लोग हैं, जितने भी व्यापारी हैं या उद्योग धंधों में लगे हुये हैं और शहरों में रहते हैं, उनसे आपको इस काम के लिये पैसा लेना होगा। खेती से हिन्दुस्तान को होने वाली जो नैशनल इनकम है वह पचास टका है। इन खेती करने वालों की ओर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिये। मैं सुझाव रखता

हूं कि एक आदमी जिसकी माहवारी तनख्वाह १०० रुपया या आमदनी सौ रुपया माहवार है सरकार को उससे कम्युनिटी डिवेलपमेंट (सामुदायिक विकास) के लिये तथा नैशनल एक्सटेंशन सर्विस (राष्ट्रीय विस्तार सेवा) के लिये एक दिन की तनख्वाह लेनी चाहिये । जो आदमी दो सौ रुपया माहवार कमाता है, उससे दो दिन की तनख्वाह ले लेनी चाहिये । इस तरह से ज्यों ज्यों उसकी आमदनी बढ़ती जाये त्यों त्यों उससे इसी हिसाब से ज्यादा पैसा वसूल किया जाना चाहिये । बलवन्त राय मेहता समिति ने जो सिफारिशें पेश की हैं, उनको अमल में लाया जाना चाहिये । मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि अवाम के ऊपर जो डेमोक्रेसी को हम चलाना चाहते हैं अगर आपको उसे सफल बनाना है तो आपको ताकत को डिसैंट्रलाइज़ (विकेन्द्रीकृत) करना होगा सत्ता को विकेंद्रित करना होगा, नीचे का जो पहिया है, उसको तैयार करना होगा इसको हम न करके इधर उधर की बातें करते हैं । इस चीज़ को मैं मराठी में एक कहावत है उसके ज़रिये समझाने की कोशिश करूंगा । इसको मैं मराठी में ही कहूंगा । वह इस तरह से है :—

उड़ीदामाजी काले गोरे काय निवडावे निवडिता ।

जिधर देखो उधर जो उड़द होते हैं, जो कि एक पल्स (दाल) है काले ही काले नज़र आते हैं । सफेद अगर आप चुनना चाहेंगे तो कहां से चुनेंगे । इस वास्ते हमको जो दुरुस्त रास्ता है, उसको अख्तयार करना होगा ।

इस सिलसिले में एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस काम में हमको स्टूडेंट्स (विद्यार्थियों) की कोओपरेशन लेनी चाहिये । हमारी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों में से हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स निकलते हैं । कुछ मैट्रिक पास करके निकलते हैं तो कुछ ग्रेजुएट होकर निक्लते हैं । उन पर कम्पलशन एक्सरसाइज़ (बाध्य) की जानी चाहिये कि वे कम से कम एक साल अपनी ज़िन्दगी का इसके लिये सर्फ करें । अगर वे इस तरह करते हैं तो जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा है और मैं भी उनसे इस बात में सहमत हूं कि देश के लिये अगर वे साल का समय नहीं देते हैं तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा चाहे उन्होंने इम्तहान पास कर लिया हो ।

हमारे जो लोग हैं और विद्यार्थी आजकल वे काम से बहुत दूर हटते जा रहे हैं, वे श्रम करना पसन्द नहीं करते हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दिल्ली में मैं एक कनफैक्शनरी की दुकान में गया था । वहां पर मैं ने देखा कि एक साहब ने एक सेर मिठाई ली और उसके बाद वह अपने नौकर को ढूंढने के लिये चले गये ताकि वह पुड़िया को उठाकर ले जाये । इस तरह से हम श्रम करने की आदत से दूर हटते जा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि कम से कम जो तालिबइल्म हैं, जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर इस कम्पलशन को एक्सरसाइस किया जाये कि वे श्रम करें । अगर उनकी मदद ली गई तो आपकी कई समस्यायें हल हो सकती हैं । यह चीज़ उनके करिकुलम में रख दी जानी चाहिये । एक साल में एक विद्यार्थी अगर दो या ढाई सौ दिन चार घंटे रोज़ काम करेगा तो आपको काफी मदद मिल सकती है ।

हमारे आज जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने एक अफसर की हैसियत से भी काम किया है और यह कहा जाता है कि उनका काम बहुत अच्छा था । अगर वे मेरे बतलाये हुये सुझावों पर अमल करेंगे तो आगे भी उनको कुछ प्रोमोशन मिल सकती है, ऐसा मैं कह सकता हूं । साथ ही साथ जो बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट है उसको सब स्टेट्स में अमल होना चाहिये ।

†**चौ० रणवीर सिंह** : इस देश में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आदि के सुधार के लिए और लोगों की आय के साधन बढ़ाने के हेतु सामुदायिक परियोजना प्रशासन की स्थापना की गई थी। भूमि के सुधार में यह प्रशासन कुछ सफल हुआ है। जनवरी १९५८ में २,१५२ खंड थे जिन के क्षेत्र में २,७६,००० गांव थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ११० करोड़ रुपये की बड़ी सिंचाई योजनाएं थीं किन्तु प्रथम योजना में ११० करोड़ रुपया तो छोटी सिंचाई योजनाओं पर ही व्यय किया गया और ४०० करोड़ रुपया बड़ी योजनाओं पर व्यय किया गया। दोनों योजनाओं में १,७९६ करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यय किये जा रहे हैं। किन्तु फिर भी १,३३५ करोड़ रुपये का अनाज आयात करना पड़ा है।

चाहे कितना प्रचार किया जाये देश में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। इस के लिए मूल्यों को सहायता देने की नीति और कम ब्याज पर आर्थिक सहायता की नीति को अपनाना होगा। कृषि योजना सम्बन्धी जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल चीन गया था उस ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि चीन में खाद्यान्न के मूल्य सम्बन्धी नीति प्रविधिक सहायता उर्वरक आदि के संभरण और पहले से निश्चित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के ठेकों द्वारा कृषकों को अधिक अन्न उपजाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उस ने यह भी कहा कि कृषि सम्बन्धी ऋण का जो लक्ष्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रखा गया है उस में वृद्धि कर देनी चाहिये और ऋण देने की व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिये ताकि कृषकों को ठीक समय पर ऋण मिल सके। जब तक हमारे सामने उत्पादन बढ़ाने की समस्या है हमें इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिये कि मूल्य स्थिर करने से उत्पादन बढ़ जायेगा।

इस वर्ष आशा है कि सहकारी समितियां १०० करोड़ रुपये ऋण देंगी किन्तु रक्षित बैंक ने केवल ३५ करोड़ रुपये की सहायता दी है। ऐसी स्थिति में तो सामुदायिक विकास प्रशासन उत्पादन बढ़ाने में अधिक सहायता नहीं कर सकेगा।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में २२७ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। प्रारूप के अनुसार संभवतः इस राशि में से—जो कि प्रारूप में २०० करोड़ थी—१०४ करोड़ रुपया तो कर्मचारिवृन्द पर ही व्यय किया जायेगा और मुश्किल से ३८ करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिया जायेगा और शेष ऋण दिया जायेगा। यदि यह राशि पंचायतों द्वारा दी जाये तो अधिक लाभ हो सकता है। पंचायत विभाग ने आय के साधन बढ़ाने के हेतु १८,२२,१५० रुपये की योजनाएं रखी थीं जिस में ५,९५,१५० रुपये का अनुदान पंचायतों ने देना था किन्तु इन योजनाओं की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई।

खंड विकास पदाधिकारी दिन के समय गांवों को देख कर रात को घर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार के जीपों को इसी प्रयोग में लाते हैं तथा महीने में २५ दिन घर पर रहते हैं। उन पदाधिकारियों को बता देना चाहिये कि वे अधिकाधिक खंड क्षेत्रों में रहा करें।

यदि प्रत्येक खंड में दस या बीस गांव में गहन कार्य किया जाये और किसानों को बीज सुधारने के लिए कहा जाये तो बहुत अच्छा हो।

मेहता समिति ने भी इस प्रशासन की बहुत सी त्रुटियों का उल्लेख किया है। हमारा सुझाव है कि पुनर्गठित योजना के अधीन २,५०,००० प्राथमिक बहु प्रयोजनीय समितियां तथा

इतनी ही पंचायतें होनी चाहिए जो देश में कृषकों को कम ब्याज पर वित्तीय सहायता दें। यदि खंड क्षेत्रों में लक्ष्य की पूर्ति हो जाये तो शेष तीन वर्षों में ग्रामीण स्वयं बहुत कुछ कर सकता है।

†**श्री शोभाराम** (अलवर) : समुदायिक विकास योजना की मांगों पर चर्चा करने के पूर्व हमें दो बातों पर ध्यान रखना चाहिये पहिला यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकारी विभागों को गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिल कर कार्य करना चाहिये दूसरे सभी ग्रामीणों को एक हो कर सामाजिक क्रांति लाने का प्रयत्न करना चाहिये।

मैं मेहता समिति की इस सिफारिश का पुरजोर समर्थन करता हूं कि खंड स्तर पर एक ऐसी समिति बनायी जाय जिसमें जनता के निर्वाचित सदस्य हों। यह समिति अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के सम्बन्ध में सलाह देगी। इस प्रकार की प्रतिनिधि समिति से ही जनता में उत्साह और उद्योग की भावना पैदा की जा सकती है और क्रियाकारी व्यवस्था का लोकतंत्रीय तरीके से विकेन्द्रीकरण हो सकता है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में राय मांगी गई है और बहुत सी राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में अभी उत्तर नहीं दिया है। वस्तुतः यह सुझाव सारे भारत में निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिये। इसकी सफलता पर ही योजना की सफलता निर्भर है।

दूसरी बात योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में है। योजनाओं का लक्ष्य निर्धारण खंड या जिला स्तर पर होता है और उनका निर्धारण करते समय स्थानीय लोक नेताओं की सलाह नहीं ली जाती है। फलतः वे लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं अतः राज्य सरकारों को यह निश्चित आदेश दिये जायें कि वे स्थानीय नेताओं की सलाह से ही लक्ष्य निर्धारित करें तथा निर्धारण के पश्चात् निश्चित रूप से उनको पूरा किया जाय।

इन कार्यों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक स्वीकृति में विलम्ब होने के कारण सारे कार्य में गड़बड़ी पैदा हो जाती है और धन का अपव्यय होता है। अतः इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि जिस परियोजना का कार्य चल रहा हो उसका कार्य मंजूरी आने में विलम्ब के कारण न रोका जाय। दूसरा बजट के पारित होते ही यह मंजूरी यथाशीघ्र पहुंच जानी चाहिये। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच में समायोजन नहीं है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच समायोजन नहीं है फल यह होता है कि मंजूरी में विलम्ब होने के कारण राशि पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाती है।

यह भावना भी बढ़ती जा रही है कि जिला अधिकारी स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं फलतः योजना क्रियान्वित नहीं हो पाती है बल्कि जनता को हानि होती है। अतः विभिन्न स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों को ले कर एक समिति बनाने पर ही जनता का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और इसी पर योजना की सफलता आधारित है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा): उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास योजना का अर्थ ग्रामीण भारत का उत्थान है। लेकिन अब देखना यह है कि ग्रामीण भारत की तरक्की हो रही है या नहीं। देखना यह है कि हिन्दुस्तान में बसने वाले किसानों की जिन्दगी में कुछ बहतरी आई है या नहीं और अगर नहीं आई है तो इसका क्या कारण है। किसी भी काम का उसको केवल अच्छी मंशा से नहीं आंका जा सकता है। उसके क्या परिणाम हुए हैं और आगे उससे क्या सम्भावना है, इसी से उसकी सफलता और असफलता आंकी जा सकती है। आज देश लगभग ६ लाख गांवों में बसा हुआ है। हमारे मुल्क की कुल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

कुल आबादी में से ६ व्यक्तियों में से ५ व्यक्ति ग्रामों में बसते हैं, और जो लोग ग्रामों में रहते हैं उनमें १० में से ८ अपना गुजारा खेती से करते हैं, कृषि से अपना पेट पालते हैं। अब देखना यह है कि भारत की प्रथम और द्वितीय योजनाओं में कृषि का विकास हुआ है या नहीं। खेती की तरक्की हुई या नहीं, गल्ले की पैदावार बढ़ी या नहीं। अगर पैदावार बढ़ी, अगर भुखमरी मुल्क में घटी, तो यह बात साफ जाहिर है कि सामुदायिक विकास योजना सफल हुई। अगर मुल्क के अन्दर भुखमरी है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अगर वहां बसने वाले लोग भूख मर रहे हैं तो यह समझा जायेगा कि जो कुछ भी यह सामुदायिक विकास योजना है, केवल कोरी कागजी है। इससे अभी तक मुल्क का या ग्रामों का विशेष किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ।

यदि खेती की तरक्की नहीं हुई तो उसके क्या कारण हैं? अगर इस पर गौर किया जाये तो पता चलता है, अगर हम रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन को हम देखें, तो मालूम होता है, कि अंग्रेजी राज्य में सहकारी बैंकों से, सरकारी को-आपरेटिव बैंकों से ३ परसेन्ट और ग्रामों में बसने वाले महाजनों से ४६ परसेंट कर्ज किसानों को मिलता था। इन दस वर्षों में क्या सहकारी बैंकों की कोई तरक्की हुई? क्या सहकारिता के आधार पर हम किसानों की मांगों के अनुसार उनको कुछ अधिक कर्ज दे सके? रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि जहां पहले ३ फी सदी को-आपरेटिव बैंकों से कर्ज मिलता था वहां अब केवल ४.२ फी सदी कर्ज मिलता है। दस वर्षों में हम इतना बढ़ सके हैं। हमारी इतनी मांग है और हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। अपनी मांग के अनुसार जो हम दस वर्षों में १.२ परसेन्ट आगे बढ़े, अगर यही हमारे बढ़ने का, आगे चलने का मान रहा तो हम समझते हैं कि १०० सालों में भी अपने ग्रामीण भारत की तरक्की नहीं कर सकेंगे।

इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि देश के बनाने की जिम्मेदारी हिन्दुस्तान के हर नागरिक के ऊपर है। लेकिन अभी तक हुआ कैसे है? विचारों में मतभेद हो सकता है, लोग अलग अलग अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया रख सकते हैं। लेकिन हम को देखने से ऐसा पता चलता है कि जिस आधार पर आज हमारा कम्युनिटी डेवेलपमेंट, हमारी सामुदायिक विकास योजना चल रही है, उसका नजरिया बिल्कुल ही पश्चिमी है, या यह कहा जा सकता है कि रूसी ढंग की है। कम्यूनिटी डेवेलपमेंट अमरीकी शब्द है और प्लैनिंग रूसी शब्द है। तो हिन्दुस्तान की सरकार अमरीका और रूस की नकल कर रही है। क्या अमरीका और रूस की नकल करने से हिन्दुस्तान का विकास सम्भव है? अगर सम्भव है तो हमें उन रास्तों पर चलने में कोई ऐतराज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सम्भव नहीं है तो हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। हमें अपना कोई ऐसा मार्ग बनाना होगा जो कि हमारे देश की जो स्थिति है, जो यहां की आबादी है, यहां की जमीन के ऊपर जो बोझा है, इन तमाम बातों को मद्दे नजर रखता हो। हमें अपनी योजना इसके आधार पर बनानी होगी।

विडम्बना यह है कि सरकार आज जो कुछ भी काम कर रही है, उसके काम के जो तरीके हैं, वे बिल्कुल ही केन्द्रीकरण के तरीके हैं, उसके काम करने का ढंग 'बिल्कुल सेन्ट्रलाइजेशन का है। यहां बलवन्त राय मेहता कमेटी की बाबत कहा गया। कमेटी की पूरी राय है कि हम को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकेन्द्रीकरण करना होगा, तभी हम सही मानों में हिन्दुस्तान के अन्दर सामुदायिक विकास योजना को कामयाब कर सकेंगे, सफल कर सकेंगे।

अगर आप अच्छी तरह से गौर करें अगर सामुदायिक विकास योजनाओं को लें, प्लैनिंग कमेटियों को लें और देखें कि आज उसका प्रेजिडेंट कौन है, तो पायेंगे कि जिले का कलेक्टर जो है वही प्लानिंग कमेटी का प्रेजिडेंट है, वही डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक का प्रेजिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेन्ट को-आपरेटिव्ज का प्रेजिडेन्ट है । जिला बोर्डों, टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज जो हैं उनकी सारी देख रेख उसी कलेक्टर के मातहत है। चाहे भट्टा हो, चाहे ईंट बनाने का काम हो, चाहे को-आपरेटिव का काम हो, चाहे बुनकर समिति का काम हो, सारी की सारी कमेटियों का प्रेजिडेंट कलेक्टर बना दिया जाता है। यह नहीं कि उन कमेटियों के लोग उसे चुनते हैं, बल्कि सूबाई सरकार से वह अपने आप ही मनोनीत कर दिया जाता है। तमाम माडल बाईलाज बना दिये जाते हैं कि हर एक बात में कलेक्टर का हाथ होना चाहिये। मैं कह सकता हूं कि जिस को सबसे कम जानकारी है, जो सबसे कम गांवों में पहुंचता है, जिस को यह पता नहीं है कि खाद का गड्ढा क्या होता जो यह नहीं जानता है कि हम जमीन को किस तरह से जखज बना सकते हैं, उसी को हर बात के लिये सर्वोच्च अधिकारी बना दिया जाता है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि हिन्दुस्तान की तरक्की हो, नये देश को बनाया जाय, नये मुल्क की तामीर की जाय, लेकिन देखना होगा कि इस नये देश की तामीर किन के हाथों सम्भव है। गांवों में बसने वाले इन लाखों आदमियों के हाथों से इस गरीब देश की तामीर होगी या जिला हेडक्वार्टर्स पर या सूबाई सरकार की कुर्सी पर बैठ कर जो लोग सारी योजनाओं को चला रहे हैं, उनके हाथों से। क्या उनके हाथों से यह योजना कामयाब होगी और देश का उत्थान होगा? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत योजना मंत्री, और जो हमारे मुल्क के बहुत ही मुमताज नेता कहे जाते हैं, प्रधान मंत्री जी, उनको बताना चाहता हूं कि नये देश को कलेक्टरों और कमिश्नरों के हाथों से नहीं बनाया जा सकता है। अगर बनाना है तो बलवन्त राय महता कमेटी की रिपोर्ट पर अमल किया जाय? वैसे हम उससे १०० फी सदी सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी जहां तक विकेन्द्रीयकरण का प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उस पर अमल किया जाय। जो प्लैनिंग कमेटीज हैं, या दूसरी कमेटियां हैं, उनके अन्दर जो चुनाव हों, वे बहुमत से हों, चाहे कोई भी व्यक्ति उसके पदाधिकारी चुने जायें। दूसरी तरफ से यह कहा जा सकता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर को सभापति नहीं रक्खा जायगा तो हम को जो एस० डी० ओ० हैं, तहसीलदार या दूसरे लोग हैं, उनका सहयोग, उनका कोआपरेशन, नहीं मिलेगा। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल तक भले ही इनका कोआपरेशन मिले, पांच साल बाद छठवां साल जरूर आयेगा जब उनको झख मार कर हमको सहयोग देना होगा। अगर इन छः वर्षों में हम कुछ अर्से तक नाकामयाब भी रहें, तो भी आगे चल कर हमें कामयाबी मिलेगी। जब तक देश की जनता के कन्धों के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं आयेगी तब तक कभी भी जनता या जनता के प्रतिनिधियों को अहसास नहीं हो सकता है।

आज मुझे यह देख कर दुःख होता है कि हिन्दुस्तान आजाद हो जाने के बाद भी हम यह पाते हैं कि जब झंडा फहराने का भी काम होता है, तो उसे कलेक्टर करता है और जनता के प्रतिनिधि, मैं विरोधी पक्ष वालों के लिए नहीं कहता जो कि ट्रेजेरी बेंचेज से सम्बन्ध रखते हैं और जो लोक सभा के सदस्य हैं वे बेचारे अलग खड़े देखते रहते हैं, यद्यपि ये लोग दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह बार देश की आजादी की लड़ाई के सिलसिले में जेल जा चुके हैं। इन लोगों को झंडा फहराने का काम नहीं दिया जाता पर उस कलेक्टर को वह काम दिया जाता है जिसने कि उन पर डंडे बरसाय थे। मैं अपने लिए और विरोधी पक्ष वालों के लिये

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

नहीं कहता, पर मैं चाहूंगा कि अगर इस योजना को कामयाब करना है तो लोक-सभा के जो ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य हैं इन तमामा लोगों को प्लानिंग कमेटी के और दूसरे काम के लिए जिम्मेवार बनाया जाये, इनके ऊपर जिम्मेवारी डाली जाये। आखिर यह चार सौ की तनख्वाह और इतने लम्बे–लम्बे भत्ते क्यों मिलते हैं। उनसे कोई काम लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि जितने असम्बली के मेम्बर हैं उनको बी० डी० ओज० बनाया जाये, उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, और जो दूसरे लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट आदि हैं उन्हें भी कोई ओहदा मिलना चाहिए और साल में यह देखना चाहिए कि कितने दिनों इन्होंने हैडक्वार्टर पर रह कर कितना कितना काम किया। इससे यह होगा कि जिम्मदारी आने पर उनसे अधिक काम लिया जा सकेगा। अधिक जिम्मेदारी आने पर वह लोग जो काम के अन्दर कुछ सहयोग देना चाहते हैं, जिनको आज प्रेरणा नहीं मिल रही है, मैं समझता हूं कि उनको अधिक प्ररेणा मिलेगी और वे कुछ काम कर सकेंगे। हमारे नोटिस में बहुत से अधिकारी हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है आज सारे सहकारी आन्दोलन को एक व्यक्ति दबोचे हुए है। वह उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर उत्तर प्रदेश से मणिशंकर मिश्र को हटा दिया जाय तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का सहकारी आन्दोलन एक साल में जहां आज हैं उसे बहुत कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत नहीं है। पर हमें शिकायत तो इस बात की है कि आज योजना आगे नहीं बढ़ रही है।

जहां तक हमारे जिले इटावा का सवाल है...

उपाध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब को किसी खास व्यक्ति के खिलाफ यहां नहीं कहना चाहिए।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : मैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं कहना चाहता। मैं तो यह कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में देखें कि एक-एक व्यक्ति एक-एक काम को दबोचे हुए है और उसे आगे नहीं बढ़ने देता है। वह उस पर अपना आधिपत्य बनाये रखना चाहता है।

अब मैं चन्द शब्द अपने जिले इटावा के बारे में कहना चाहता हूं। दुर्भाग्य से इटावा जिला जमुना और चम्बल की घाटियों में बसा हुआ है जहां पर मध्यप्रदेश के डाकुओं का २४ घंटे खतरा रहता है। अगर आपको वहां का विकास करना है तो सबसे पहले डाकुओं से त्रस्त जनता को राहत मिलनी चाहिए। अगर जनता को डाकुओं से राहत मिलती है तो मैं समझता हूं कि उनको बहुत बड़ी राहत मिल जायेगी। और यह तभी सम्भव है जब मध्य प्रदेश की जो रेलवे लाइन भिंड तक है उसे आगे बढ़ा कर इटावा और फर्रुखाबाद में मिलाया जाये। इससे लाखों आदिमयों को काम मिलेगा, और यातायात के साधन ठीक होंगे। जब तक यातायात के साधन ठीक नहीं होंगे, तब तक न डकैतियां कम हो सकती हैं और न डाकू कम हो सकते हैं। बन्दूकों और गोलियों से डकैतियों को दूर नहीं किया जा सकता। अगर डकैतियों को दूर करना है तो उन इलाकों में निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और वह कम से कम जूनियर हाई स्कूल तक होनी चाहिए। जब तक उस क्षेत्र में बसने वालों के पेट की ज्वाला शान्त नहीं की जायेगी, वहां के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उनको कोई न कोई ऐसा गलत काम जरूर करना होगा जिससे कि वह अपने पेट

को भर सकें। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए आगरा और इटावा जिलों में डकैतियों को कम करना चाहते हैं तो वहां पर बेकार लोगों को काम मिलना चाहिए, वहां पर यातायात के साधन सुलभ होने चाहिएं और यातायात के साधनों को सुधारने के सिलसिले में जमुना, चम्बल और कावेरी इन तीनों नदियों के पुल बनाये जाने चाहिएं। और अगर इन तीनों नदियों पर होकर रेलवे लाइन को आगे बढ़ाकर इटावा और फर्रुखाबाद तक मिलाया जायेगा तो इस इलाके की बहुत उन्नति हो सकती है।

इस इलाके की खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए वहां पर कुछ ट्यूब वैल्स का प्रबन्ध करना होगा क्योंकि जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक वहां पर खेती बाड़ी को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता और न खेती की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है।

मैं आपके मारफत केन्द्रीय सरकार से यह दरखास्त करना चाहता हूं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इन नदियों के बीच में बसने वाले लोगों के ऊपर गरीबी का बड़ा बोझा है। अगर आप इस बोझे को दूर करना चाहते हैं तो जो जंगलात के कानून हैं उनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। ये जंगल के जंगली कानून वाले आकर गांवों में खुंटी गाड़ देते हैं और कहते हैं कि यहां तक जंगल है। बेचारे गांव वालों को मजबूर होकर. उनको कुछ न कुछ देना पड़ता है। आप चरु को लें तो यह हाल है कि जहां पहले भेड़ बकरी गाय आदि को मुफ्त चराने की इजाजत थी वहां पर अब गाय और भैंस का चार आना और एक रुपया लिया जाता है। जब इस प्रकार चार आना और एक रुपया लिया जायेगा तो हालत क्या होगी। इस इलाके के अन्दर दूध की नदी बहा करती थी। पर आज वहां पर छोटे-छोटे मासूम बच्चों को भी दूध पीने को नहीं मिलता। तो मैं चाहूंगा कि जंगलात के जंगली कानूनों में भी कुछ सुधार होना चाहिए और उनको वहां के निवासियों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर उनकी सुविधा के अनुसार बनाना चाहिए।

सामुदायिक मंत्रालय की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६	६८	श्री पाणिग्रही	सामुदायिक विकास प्रशासन द्वारा प्रशासन कार्यों में जाने वाले भारी खर्चे में कमी करने में असफल रहना	१०० रु०
६	१०३	श्री घोषाल	सामुदायिक परियोजना में प्रशासन पर होने वाले अत्याधिक खर्चे को रोकने में असफल रहना	१०० रु०
६	१२३६	श्री वें० च० मलिक	खंड क्षेत्रों में अस्पृश्यता निवारण की आवश्यकता	१०० रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७	१२६	श्री घोषाल	केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं पर द्वैध नियंत्रण	मांग की राशि घटा कर १रु० करदी जाये
७	६९	श्री पाणिग्रही	सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में खाद्य उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहना ।	१०० रु०
७	१०४	श्री घोषाल	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों की सभाओं में हावड़ा जिले के संसद् सदस्यों को भाग लेने की सुविधायें न देना ।	१०० रु०
७	१३६	श्री घोषाल	पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के समारोहों में विरोधी पक्ष के संसद् सदस्यों को भाग लेने से वंचित रखना	१०० रु०
७	७४४	प्र० गं० देव	उड़ीसा के सम्बलपुर जिले के देवगढ़ सबडिवीजन में एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने की आवश्यकता	१०० रु०
७	९३३	श्री तंगामणि	सामुदायिक परियोजना के लिये राज्यों को दिये गये अनुदान में कमी	१०० ०
७	९३४	श्री तंगामणि	सामुदायिक विकास के दो स्तर बनाने के लिये गहनोत्तर खंडों को समाप्त करना	१०० रु०
७	९३५	श्री तंगामणि	समाज शिक्षा संगठन कर्ताओं के लिये प्रशिक्षण योजना के क्षेत्र की व्याख्या करने की आवश्यकता	१०० रु०
७	९३६	श्री तंगामणि	खंड विकास अधिकारियों की प्रशिक्षण योजना का पुनरीक्षण करना	१०० रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७	९३७	श्री तंगामणि	विभिन्न गोष्ठियों का संचालन	१०० रु०
७	९३८	श्री तंगामणि	प्रादेशिक भाषा के आधार पर ग्राम सेवकों में पुरस्कार प्रतियोगिता प्रारम्भ करने की आवश्यकता	१०० रु०
७	९३९	श्री तंगामणि	खंड परामर्शदात्री परिषद् में गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने की आवश्यकता	१०० रु०
७	९४०	श्री तंगामणि	मेहता दल के प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता	१०० रु०
७	९४१	श्री तंगामणि	राष्ट्रीय विकास परिषद् की केन्द्रीय तथा स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण को शीघ्र लागू करना	१०० रु०
७	१२०४	श्री बि० दास गुप्त	सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की असफलता	१०० रु०
७	१२०५	श्री बि० दास गुप्त	ग्रामीण स्थिति के उपयुक्त खंड विस्तार अधिकारियों की व्यवस्था करने में असफल रहना	१०० रु०
७	१२०६	श्री बि० दास गुप्त	सामुदायिक विकास परियोजनाओं को समय पर आवंटित धन-राशि देने में असफ रहना	१०० रु०
७	१२०७	श्री बि० दास गुप्त	प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षण प्रणाली में परिवर्तन करना	१०० रु०
७	१२०८	श्री बि० दास गुप्त	समाजिक शिक्षा संगठन के निर्माण में असफल रहना	१०० रु०
७	१२०९	श्री बि० दास गुप्त	लोक प्रतिनिधित्व के आधार पर सलाहकारी समिति बनाने में असफल रहना	१०० रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७	१२१०	श्री बि० दास गुप्त	खंड विकास कार्यक्रम में सिंचाई को छोटी परियोजनाओं को शामिल करना	१०० रु०
७	१२११	श्री बि० दास गुप्त	ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकास को परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में स्वायत्तशासी संविहित निर्वाचित ग्राम पंचायत बनाने की आवश्यकता	१०० रु०
७	१२३७	श्री बै० च० मलिक	खंड सलाहकार समितियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता	१०० रु०
७	१२३८	श्री जाधव	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में जनता का उत्साहपूर्ण सहयोग पाने में असफल रहना	१०० रु०
७	१२३९	श्री जाधव	कृषि अर्थ व्यवस्था को विकसित करने में असफल रहना	१०० रु०
७	१३४०	श्री प्र० गं० देव	गांवों में छोट पैमाने के उद्योग चलाने के लिये वहां की जनता को टैक्नीकल जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता	
७	१४०७	श्री प्र० गं० देव	सामुदायिक विकास परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा में किये जाने वाले कार्यों की असमानता को दूर करना	१०० रु०
१०७	९५२	श्री तंगामणि	टैक्नीकल सहकारिता प्रशासन कार्यक्रम के अधीन विभिन्न राज्यों को धनराशि प्रदान करना	१०० रु०

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : हमारे गांवों की जनता बहुत गरीब है और वे अधिकांश कृषि पर ही निर्भर करते हैं, अतः गांवों की आर्थिक दशा का सुधार के लिये हमें पहिले वहां की जनता की दशा सुधारनी चाहिये । वस्तुतः ग्रामवासियों तक सही दृष्टिकोण से पहुंच होनी चाहिये गांवों में बहुत से अनुभवी किसान रहते हैं उनके अनुभव से हमें लाभ उठाना चाहिये तथापि उनकी उपेक्षा की जाती है ।

सामुदायिक विकास क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में जो ग्राम सेवक हैं वे बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे हैं । उन्हें गांवों की आवश्यकता का पता नहीं रहता । न उनका गांव की जनता से सम्पर्क ही है । वस्तुतः उनका कर्त्तव्य है कि वे प्रत्येक कृषक से सम्पर्क स्थापित कर उसकी जरूरत का पता लगायें और उन्हें पूरा करें ।

अब मैं खंड़ क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं को लेता हूं । सिंचाई के बिना देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि होना असंभव है लेकिन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों और सामुदायिक परियोजना खंडों में इस कारण सिंचाई की योजनायें क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं कि वहां के नियम बहुत कड़े हैं अर्थात् जनता की ओर से चन्दे का निश्चित प्रतिशत अवश्य रहना चाहिये जिसके न होने पर वे योजनायें क्रियान्वित नहीं की जाती हैं । सरकार को चाहिये कि यदि जनता आगे न बढ़े तो स्वयं ही इन योजनाओं को लेवे । विकास योजनाओं में भी जनता से एक तिहाई अंशदान देने को कहा जाता है लेकिन ग्रामीण जनता विशेषतः आदिम जाति क्षेत्रों के लोग इतने गरीब हैं कि वे अंशदान नहीं दे सकते अतः उन्हें इस शर्त से मुक्त कर दिया जाय ।

अब मैं अनुसूचित तथा आदिम जाति क्षेत्रों के बहुप्रयोजनीय खडों को लेता हूं । ये खंड गहन विकास के लिये निर्दिष्ट किये गये हैं तथापि यह आश्चर्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में आदिम जाति क्षेत्र में एक भी गहन विकास खंड नहीं है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या वे गहन विकास खंड आदिम जातियों के विकास के लिये है और यदि हां तो वे आदिम जाति क्षेत्रों में क्यों नहीं खोले गये हैं ।

†**श्री संबंदम्** (नागपट्टिनम्) : सामुदायिक क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या खाद्य समस्या है । पहिले हमें खाद्य समस्या को हल करना चाहिये तभी देश की दशा सुधर सकती है । इसके लिये यह भी आवश्यक है कि हम कृषि से सम्बन्धित उद्योगों का विकास करें यथा दुग्ध उद्योग, कृषि मशीनों का निर्माण नलकूप बनाने, इत्यादि । इससे खाद्य समस्या हल होने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा ।

साथ ही परिवार नियोजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में गांवों में भी प्रचार किया जाये । निसंदेह हम अच्छी किस्म के बीज देने, उर्वरक देने तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के सम्बन्ध में बहुत काम कर रहे हैं तथापि हम सहकारी कृषि की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । सामुदायिक खंडों में सारी कृषि सहकारी सामुदायिक तरीके से होनी चाहिये । साथ ही हमें सहकारी ऋण समितियां भी खोलनी चाहिये जिससे भूमिहीन किसानों को सरलता से ऋण प्राप्त हो सके । सहकारी ऋण समितियों के साथ साथ सहकारी बिक्री समितियां भी होनी चाहिये जिससे किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके । विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण हमने तैयार उर्वरक का आयात बन्द कर दिया है लेकिन मेरा सुझाव है कि उर्वरक के आयात में इतनी कड़ाई नहीं की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री संबंद्म]

सरकार सिंचाई की ओर तो ध्यान दे रही हैं लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह गांवों से पानी निकालने की समस्या पर भी ध्यान देवे । क्योंकि इससे बरसात में पानी भर जाता है और फसल खराब हो जाती है । इसलिये अधिक पानी वाले इलाकों में जल निकालने की समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिये । गांवों में गृह निर्माण के लिये भी हरिजन और पिछड़ी जातियों को सरकारी सहायता राशि दी जानी चाहिये ।

श्री पहाड़िया (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : पेशतर इसके कि मैं सामुदायिक विकास योजना के बारे में कुछ कहूं, मैं सरकार की इस बात का स्वागत करना चाहता हूं जिस के मातहत कि स्वास्थ्य विभाग से पंचायतों को हटाकर सामुदायिक विकास योजना मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में कुछ बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा ।

जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है अलग अलग प्रान्तों में अलग अलग तरह के कानून पंचायतों के सिलसिले में बनाये गये हैं । जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है आप देखेंगे कि जो चुनाव पंचायत का होता है उससे एक बड़ी भारी गड़बड़ी गांवों में हो रही है । इससे गांव पंचायतें ठीक तरह से नहीं बन पा रही हैं और जो सहयोग आप विकास के काम में उनसे लेना चाहते हैं वह इससे पूरी तरह से नहीं हो सकेगा । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई केन्द्रीय कानून सारे प्रान्तों के लिए आप बनायेंगे तो बहतर रहेगा और उसके तहत कम से कम हाथ उठा कर जो प्रणाली चुनाव करने की है उसे तो निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिये अन्यथा जो फायदा आप उठाना चाहते हैं पंचायतों से अपने विकास के कार्य में वह आप उठा नहीं सकेंगे ।

पंचायतों के मातहत केवल प्रबन्ध का काम ही नहीं है, न्याय का काम भी उनके पास होता है । जब न्याय की बात भी होती है और प्रबन्ध की बात भी होती है तो विकास का काम इसके साथ पंचायतें नहीं कर सकेंगी ।

दूसरी बात पंचायतों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक तो गांव पंचायत होती है, उसके ऊपर तहसील पंचायत होती है और उसके ऊपर ज़िला बोर्ड होता है । इस तरह से काम मल्टीप्लाई होता जाता है । यह पता नहीं चलता है कि कौन सा काम गांव पंचायत करेगी, कौन सा काम तहसील पंचायत करेगी और कौन सा काम ज़िला बोर्ड करेगा । इस वास्ते यदि सम्भव हो सके तो या तो तहसील पंचायत को खत्म कर दिया जाना चाहिये और या फिर ज़िला बोर्ड को खत्म कर दिया जाना चाहिए । इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इसके विपरीत इससे फायदा ही होगा । कोई निश्चित संस्था आपके पास होगी जोकि काम को करेगी । आप चाहे गांव पंचायत को लें और उसका जो पंच है वह बहुत सी बातें आपको आकर बता सकता है या फिर तहसील पंचायत का सरपंच बता सकता है । मैं समझ नहीं पाता कि आपको जिला बोर्ड का कोई सदस्य या ज़िला बोर्ड का चेअरमैन क्या बतायेगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तहसील पंचायतों और ज़िला बोर्डों दोनों में से अगर एक संस्था समाप्त कर दी जाय तो आपके विकास का काम बहुत अच्छे तरीक़े से चल सकेगा.....

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो माननीय सदस्य बहुत कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री पहाड़िया : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप परसों कह सकेंगे । अब सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, ५ अप्रैल, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिय स्थगित हुई ।

(गुरुवार, ३ अप्रैल, १९५८)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३८२९–५७

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
१४२४	सरकारी वस्तुओं की प्रदर्शिनी . .	३८२९–३०
१४२५	रेशम का धागा . .	३८३०–३१
१४२६	नेपाल से सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल . .	३८३१
१४२७	इंजीनियरी की वस्तुओं सम्बन्धी निर्यात संवर्धन परिषद्	३८३२–३३
१४२८	कोयला खनन् उपकरण संयत्र	३८३३–३५
१४२९	दर्शन यंत्रों के शीशों का संयंत्र	३८३५–३६
१४३०	प्रलेख चलचित्र . . .	३८३६–३७
१४३१	भोपाल राजधानी परियोजना . . .	३८३८
१४३२	कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान . .	३८३८–४०
१४३५	रेडियोधर्मिता . .	३८४०–४१
१४३६	सल्फा औषधियां . . .	३८४१–४२
१४३७	रेशम के गूदड़ का निर्यात . . .	३८४२–४३
१४३८	नेपाले के लिये भारतीय विशेषज्ञ . .	३८४३–४४
१४४०	प्याज का निर्यात . .	३८४४–४५
१४४२	एरंड तेल का निर्यात .	३८४५
१४४३	समाचार व सूचना पदाली .	३८४६–४७
१४४४	जेसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता . . .	२८४७–४९
१४४५	रहन-सहन के स्तर का निर्धारित किया जाना .	३८४९–५१
१४४६	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियां .	३८५१–५२
१४४७	अमेरिका से व्यापार .	३८५२–५४
१४४८	खनिज उद्योग संस्था, नागपुर . .	३८५४
१४४९	प्रादेशिक लघु उद्योग संस्था, कलकत्ता .	३८५४
१४५०	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम .	३८५४–५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
११	कोयले की खानों का बन्द होना . .	३८५५–५७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३८५७–८२

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
१४३३	श्रमिक संघों के अभ्यावेदन	३८५७
१४३९	मनीपुर के लिये भूमि सुधार विधेयक	३८५७
१४४१	पहाड़ी क्षेत्र के गीतों का प्रसारण	३७५७–५८
१४५१	पंजाब में हस्तशिल्प का विकास	३८५८
१४५२	भारत-नेपाल व्यापार करार	३८५८
१४५३	भारत-पाकिस्तान सीमा पर डाकू	३८५९
१४५४	आणविक ईंधन निर्माण संयंत्र	
१४५५	खानों के मुख्य निरीक्षक का प्रतिवेदन	३८५९–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९६७	बिजली का सामान	३८६०
१९६८	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड	३८६०
१९६९	सरकारी कार्यालयों में स्थान	३८६१
१९७०	राष्ट्रीय इमारत संस्था की पत्रिका	३८६१
१९७१	सरकारी कार्यालयों के लिये स्थान	३८६२
१९७२	ईंटों तथा टाइलों के बनाने के बारे में संगोष्ठी	३८६२
१९७३	कोयला खान क्षेत्रों में खेल-कूद	३८६२–६३
१९७४	फरीदाबाद का प्रशासक	३८६३
१९७५	अमृतसर (पंजाब) में कपड़े के कारखानों का बन्द किया जाना	३८६४
१९७६	औद्योगिक विवाद	३८६४
१९७७	बिजली के पंखे और रेडियो सेट	३८६४
१९७८	दिल्ली का काम दिलाऊ दफ्तर	३८६५
१९७९	निष्क्राम्य सम्पत्ति	३८६५
१९८०	आंध्र प्रदेश का खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	३८६५
१९८१	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	३८६६
१९८२	दियासलाई कुटीर कारखाना	३८६६–६७
१९८३	अलौह धातुयें	३८६७
१९८४	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्राइवेट लिमिटेड	३८६७–६८
१९८५	दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति	३८६८
१९८६	श्रमिक विवाद	३८६८
१९८७	न्यायाधिकरणों के पंचाट	३८६९
१९८८	सिंचाई योजनायें	३८६९
१९८९	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में सड़कें	३८७०
१९९०	आकाशवाणी का गीत तथा नाटक विभाग	३८७०
१९९१	हिमाचल प्रदेश में मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र	३८७०–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः) पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
१९९२	हिमाचल प्रदेश में धातु प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र	३८७१
१९९३	छोटे पैमाने के उद्योग	३८७१–७२
१९९४	उपक्षार का आयात	३८७२
१९९५	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	३८७२–७३
१९९६	साइकल के टायर और ट्यूब	३८७३
१९९७	साइकल के टायर और ट्यूब	३८७३–७४
१९९८	राजस्थान में विस्थापित किसान	३८७४
१९९९	बन्दरों का निर्यात	३८७४–७५
२०००	दुभाषिये	३८७५
२००१	श्रमिकों के लिये औषधालय	३८७५–७६
२००२	भारत सेवक समाज द्वारा प्रचार कार्य	३८७६–७७
२००३	त्रिपुरा में चाय बागान	३८७७
२००४	त्रिपुरा में बीडी कारखानें	३८७७
२००५	मुख्य श्रम आयुक्त के कल्याण सलाहकार	३८७७–७८
२००६	नमक	३८७८
२००७	हिमाचल प्रदेश में छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योग	३८७९
२००८	मैसूर की द्वितीय पंच वर्षीय योजना	३८७९
२००९	प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें	३८८०
२०१०	प्रेस सूचना विभाग	३८८०–८१
२०११	मैसूर और बम्बई में छोटे पैमाने के उद्योग	३८८१
२०१२	अभ्रक खान कल्याण निधि	३८८१–८२
२०१३	हिमाचल प्रदेश में हथकरघे	३८८२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		३८८२–८३

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ मार्च, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६३ की एक प्रति ।

(२) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ७०/आर० अमेंडमेंट १९, दिनांक १ मार्च, १९५८ ।

(दो) जी० एस० आर० संख्या १३४/आर० अमेंडमेंट २०, दिनांक १५ मार्च, १९५८ ।

(३) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २२ मार्च, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७० की एक प्रति ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३८८३

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) ने रावी नदी प्रवाह में परिवर्तन के बारे में श्री राधा रमण के तारांकित प्रश्न संख्या १२९ के १४ फरवरी, १९५८ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

अनुपस्थिति की अनुमति ३८८४

निम्नलिखित सदस्यों की प्रत्येक के आगे दिखाई गयी अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई :—

(१) रानी केसर कुमारी देवी .	२१ दिसम्बर, १९५७ (तीसरा सत्र) और १० से २५ फरवरी, १९५८ (चौथा सत्र)
(२) श्री लक्ष्मण सिंह .	१० फरवरी से ४ मार्च, १९५८ (चौथा सत्र)।
(३) श्री नल्लकोया . .	१० फरवरी से ८ मार्च, १९५८ (चौथा सत्र)।
(४) श्री सत्य नारायण .	१० फरवरी से १४ मार्च, १९५८ (चौथा सत्र)।
(५) श्री पी० रा० रामाकृष्णन .	२४ फरवरी से २० मार्च, १९५८ (चौथा सत्र)।
(६) श्री नरसिंहन् .	२४ मार्च से ९ मई, १९५८ (चौथा सत्र)।
(७) श्री जेधे . .	३ मार्च से १५ अप्रैल, १९५८ (चौथा सत्र)।
(८) श्री मि० सू० मूर्ति .	१९ फरवरी से २८ मार्च, १९५८ (चौथा सत्र)।
(९) श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव	१७ से २१ दिसम्बर, १९५७ (तीसरा सत्र) और १० फरवरी से ४ अप्रैल, १९५८ (चौथा सत्र)।
(१०) श्री प्र० च० बरूआ .	२१ दिसम्बर, १९५७ (तीसरा सत्र) और १० फरवरी से २० मार्च, १९५८ (चौथा सत्र)।
(११) श्री नाथ पाई . .	१९ मार्च से ८ अप्रैल, १९५८ (चौथा सत्र)।
(१२) श्री चौखामून गोहेन .	१४ से २१ दिसम्बर, १९५७ (तीसरा सत्र) और १० फरवरी से १ अप्रैल, १९५८ (चौथा सत्र)।
(१३) श्री लास्कर . .	१० फरवरी से ८ मार्च, १९५८ (चौथा सत्र)।
(१४) पंडित हीरालाल शास्त्री .	१० मार्च से ३० अप्रैल, १९५८ (चौथा सत्र)।
(१५) श्री बाबू नाथ सिंह .	१० फरवरी से १९ मार्च, १९५८ (चौथा सत्र)।
(१६) श्री अवधेश कुमार सिंह	११ मार्च से ८ मई, १९५८ (चौथा सत्र)।

अनुदानों की मांगें ३८८५–३९३४

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई सारी मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं। सामुदायिक विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा असमाप्त रही।

शनिवार, ५ अप्रैल, १९५८ के लिये कार्यावलि—

सामुदायिक विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा।

———